रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 6—मई 12, 2006 (वैशाख 16, 1928)
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6—MAY 12, 2006 (VAISAKHA 16, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय स्टेट बैंक

मुंबई, दिनांक 17 अप्रैल 2006

सं. एसबीडी क्र. 4/05-06.--भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक अधिनियम, 1959 (1959 का 38 वाँ) की धारा 25, उप धारा (1) के अनुच्छेद (ग) के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक श्री एम. एन. राव के स्थान पर श्री जीवन गोस्वामी भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) मुंबई को दिनांक 17 अप्रैल, 2006 से निम्नलिखित सहयोगी बैंकों के निदेशक के रूप में नामित करता है :--

1. स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर
2. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक आफ इन्दौर
4. स्टेट बैंक आफ मैसूर
5. स्टेट बैंक आफ पटियाला
6. स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र
7. स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर

ए. के. पुरवार
अध्यक्ष

बार कौंसिल ऑफ इन्डिया

नई दिल्ली-110002

विषय : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन

भारतीय विधिज्ञ परिषद ने अपनी 9/4/06 की बैठक में 17/4/2006 से आरम्भ तथा 16/4/2008 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गए।

प्रस्ताव संख्या 40/2006

प्रस्ताव पास किया जाता है कि श्री जगनाथ पटनायक को पुनः सर्वसम्मति से दो साल की अवधि के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। दो साल की अवधि 17/4/2006 से आरम्भ तथा 16/4/2008 को समाप्त होगी।

प्रस्ताव संख्या 41/2006

प्रस्ताव पास किया जाता है कि श्री राजेन्द्र रघुवंशी को सर्वसम्मति से दो वर्ष की अवधि के लिए उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है दो वर्ष की अवधि तथा 17.04.2006 से आरम्भ तथा 16.04.2008 को समाप्त होगी।

एस. राधाकृष्णन
सचिव

भारतीय विधिज्ञ परिषद को 8-9 अप्रैल की बैठक में माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा जनहित याचिका (रिटपिटिशन 40/2006) में न्यायलयों में सम्बोधन पर किये गये अवलोकन पर विचार विर्मश किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया।

प्रस्ताव संख्या 58/2006

अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(ज) अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद नियम के भाग 6 के अध्याय 3क के अर्न्तगत निम्नलिखित नियम सम्मलित किया गया।

न्यायालय के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार दर्शित करने की बार की बाध्यता के सुसंगत और न्यायिक पद की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालयों में अपनाया जाने वाला संशोधन निम्नानुसार होना चाहिए :-

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों में ''योर आनर'' या ''आनरेबुल कोर्ट'' सम्बोधान के स्थान पर वकील, न्यायालय को ''सर'' शब्द से या सम्बन्धिक प्रादेशिक भाषा में तत्समान शब्द से मम्बोधित कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण :- ''माई लार्ड'' और ''योर लार्डशिप'' सम्बोधन औपनिवेशिक अतीत के द्योतक हैं, अत: यह प्रस्ताव है कि न्यायालय के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार दर्शित करने के लिए उपरोक्त नियम को सम्मिलित किया जाए।

सचिव

एस. राधाकृष्णन
सचिव

भा॰वि॰प॰:डी:01/2005

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. संख्या 543/2003 और एल.पी.ए. संख्या 666/2003 के मामले में दिये गये आदेश के अनुसरण में सर्वसाधारण के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों से विधि में डिग्री धारण करने वाले अभ्यार्थियों को 10+2+3 पैटर्न में किसी अन्य विद्या में स्नातक होने के पश्चात् तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम को या 10+2 पैटर्न में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् 5 वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा। अधिवक्ताओं के रूप में नामांकन चाहने वाले ऐसे अभ्यार्थियों को निम्नलिखित विषयों में भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा संचालित परीक्षा देनी होगी और उसे उत्तीर्ण करना होगा :-

1. सिविल प्रक्रिया संहिता, परिसीमा अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम।
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
3. स्वीय विधियाँ
4. वृत्तिक आचरण और भारत का विधिक इतिहास।
5. भारत की सांविधानिक विधि।
6. पर्यावरण विधि।

ये अपेक्षाएं इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हैं।

2. यह भी अधिसूचित किया जाता है कि वे सभी विद्यार्थी जिनके पास विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा निहित उपर्युक्त न्यूनतम अर्हता नहीं है और उन्होंने भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों में इस अधिसूचना की तारीख के पूर्व एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है। अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए पात्र होंगे। यह छूट स्पष्टत: उन्हीं विद्यार्थियों तक परिसीमित की गयी है जिन्होंने इस अधिसूचना की तारीक्ष के पूर्व एल.एल.बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है। परीक्षा के ब्यौरे के लिए अभ्यर्थी भारतीय विधिज्ञ परिषद के सचिव के उपर्युक्त पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

एस. राधाकृष्णन
सचिव

तारीख : 21.02.200

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़

चंडीगढ़-160014, दिनांक 21 अप्रैल 2006

सं. 2-2006/जी आर.--

केंद्र सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा- विभाग) ने अपने पत्रांक एफ.नं. 2-5/ 2005 यू. II, दिनांक 13-9-2005 के द्वारा निम्नलिखित विनियमों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है:-

'कम्प्यूटर के अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि' (एम.डी.ए.) (सेमेस्टर पद्धति) परीक्षाओं के विनियम, जिसे सत्र 2001 से लागू कर दिया है और जिसका उल्लेख पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर के खंड- II, 2002 में है, विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/भारत सरकार/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में किया गया संशोधन

1. 'कम्प्यूटर के अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि' के पाठ्यक्रम की अवधि के तीन शैक्षणिक सत्र होंगे जिनमें छह सेमेस्टर समाहित होंगे।

विभिन्न सेमेस्टरों की परीक्षाएं उन तिथियों पर होंगी जिनको सिंडीकेट समय-समय पर तय करेगी।

2.1. प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता होगी-

(i) पंजाब विश्वविद्यालय की 10+2+3

पद्धति की किसी भी अनुशासन की स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक हों।

(ii). पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा उपर्युक्त परीक्षा के समकक्ष घोषित किसी भी परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक हों।

2.2. प्रवेश प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में ही होगा। इसके लिए वही नियम लागू होंगे जिनको समय-समय पर सिंडीकेट बनाएगी।

3. प्रत्येक विद्यार्थी को एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने और प्रत्येक वर्ष की प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में सिंडीकेट। सीनेट के द्वारा समय-समय पर तय की गई राशि देनी पड़ेगी।

परीर्पक्षीया देने वाले किसी भी अभ्यर्थी को प्रतिप्रश्नपत्र के हिसाब से परीक्षा दिए जाने वाले प्रश्न पत्रों के लिए वह परीक्षा शुल्क देना होगा जो अधिकतम पूरे सेमेस्टर का हो सकता है, जिसे सिंडीके/सीनेट ने समय-समय पर तय किया होगा तथा यह परीक्षा शुल्क सेमेस्टर परीक्षा शुल्क, यदि कोई हो के अतिरिक्त होगा।

4. प्रत्येक सेमेस्टर परीक्षा के आरंभ होने से पहले कम्प्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग विभाग का अध्यक्ष उन अभ्यार्थियों की सूची परीक्षा नियंत्रक को भेजेगा जिनके विषय में वह संतुष्ट हो गया होगा कि वे सभी नियमों और विनियमों को पूरा करते हैं और परीक्षा देने के योग्य हैं

5. प्रत्येक सेमेस्टर की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी को पूरी परीक्षा में अथवा उन प्रश्न पत्रों में परीक्षा देनी होगी, जिनको समय-समय पर पाठ्यक्रम समिति ने पाठ्यक्रम/ लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तय किया हो तथा जिन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त हो गया हो शिक्षा और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगी।

6.1. पहले और दूसरे सेमेस्टर परीक्षा में वे नियमित अभ्यर्थी

(i) सम्मिलित हो सकेंगे जो परीक्षा से पहले और दूसरे सेमेस्टर में कम्प्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग विभाग में नियमित विद्यार्थी रहे हैं।

(ii) जिस अभ्यर्थी ने प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की प्रयोगात्म वर्ग में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त की है। दिए गए व्याख्यान और प्रयोगात्मक कक्षाओं से 10 प्रतिशत की कमी को विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर पाठ्यक्रम समिति माफ कर देगी।

6.1. वही विद्यार्थी पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा दे सकेंगे जो नियमित विद्यार्थी रहे होंगे तथा–

(i) जो परीक्षा से ठीक पहले वाले पहले और दूसरे सेमेस्टर में कम्प्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग विभाग का नियमित विद्यार्थी रहा हो,

(ii) जो पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रयोग विषय को सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थित रहा हो, किंतु विभाग के अध्यक्ष की संस्तुति पर बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा कुल दिए गए व्याख्यानों और कुल किए गए प्रयोगों के 10 प्रतिशत की अनुपस्थिति को माफ किया जा सकता है।

(iii) जिस विद्यार्थी ने प्रत्येक विषय के आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।

6.2. तीसरे तथा चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए वही विद्यार्थी अधिकृत होगा–

(i) जो विद्यार्थी परीक्षा से ठीक पहले वाले क्रमश: तीसरे और चौथे सेमेस्टर में कम्प्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग विभाग में नियमित विद्यार्थी रहा हो;

(ii) जिसने पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा जो विनियम 9 में दिए गए प्रावधान के अनुसार तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देने का अधिकारी हो।

(iii) जो तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय के कुल दिए गए सैद्धांतिक व्याख्यानों और प्रयोगों में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थित रहा हो, इस प्रावधान के साथ कि विभाग के अध्यक्ष की संस्तुति के आधार पर बोर्ड ऑफ स्टडीज कुल दिए गए सैद्धांतिक व्याख्यानों तथा प्रयोगों की 10 प्रतिशत कमी को माफ कर सकता है।

(iv) जिसने प्रत्येक विषय के आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए हो।

6.3 वही अभ्यर्थी पांचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षा देने का अधिकारी होगा–

(i) जो परीक्षा से ठीक पहले वाले पांचवें और छठे सेमेस्टर में कम्प्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग विभाग में नियमित विद्यार्थी रहा हो,

(ii) जिसने पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिया हो या विनियम 9 के प्रावधानों के अधीन पांचवें तथा छठे

सेमेस्टर की परीक्षा देने के सर्वथा योग्य हो;

(iii) जिसने तीसरे वर्ष की परीक्षा के लिए पांचवें तथा छठे सेमेस्टर के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के सभी विषयों के व्याख्यानों तथा प्रयोगों में अलग-अलग रूप से कम से 75 % उपस्थित रहा हो, साथ ही यह भी प्रावधान है कि विभाग के चेयरमैन की संस्तुति पर पाठ्यक्रम समिति वास्तविक रूप में दिए गए कुल व्याख्यानों तथा किए गए कुल प्रयोगों में उपस्थिति की 10 % कमी को क्षमा कर सकती है,

(iv) जिसने प्रत्येक विषय के आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 40 % अंक प्राप्त किए हों

7. प्रत्येक मामले में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे सेमेस्टर में परीक्षा देने तथा उसे उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम आवश्यक अंक इस प्रकार होंगे:

(i) परीक्षा के प्रत्येक विषय के आंतरिक मूल्यांकन में स्वतंत्र रूप से, चाहे सैद्धांतिक भाग हो या प्रयोगात्मक भाग परियोजना-परक कार्य आदि को सम्मिलित करते हुए 40 % प्राप्तांक अवश्य होने चाहिए, तभी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी; तथा

(ii) पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे सेमेस्टर की परीक्षा देने की अनुमति के लिए, विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रत्येक विषय में स्वतंत्र रूप से, चाहे वह सैद्धांतिक हो या प्रायोगिक (परियोजना-कार्य आदि को सम्मिलित करते हुए) कुल आंतरिक मूल्यांकन के 50 प्रतिशत प्राप्तांक;

यदि कोई परीक्षार्थी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें तथा छठे सेमेस्टर में, प्रत्येक विषय में स्वतंत्र रूप से आंतरिक मूल्यांकन में 40 % अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे आगामी सत्र में वह विषय फिर से पढ़ना होगा, फिर से एसाइनमेंट्स देने होंगे, कक्षा में टेस्ट देने होंगे तथा सेमिनार देने होंगे, जिनका प्रावधान उस सेमेस्टर के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा किया गया हो, तभी वह विश्वविद्यालय की परीक्षा दे सकेगा। इसके साथ शर्त यह है कि विद्यार्थी को कोर्स की सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा तथा निर्धारित अधिकतम अवसरों में तथा निर्धारित अकादमिक पांच सत्रों के भीतर ही हो, जो कोर्स में उसके मूल रूप में उसके प्रवेश की तिथि से गिने जाएंगे, सभी निर्धारित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, तभी वह उपाधि को प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(iii) यदि किसी विद्यार्थी के लिए परीक्षा पुन: एक प्रश्न-पत्र/ प्रश्न पत्रों में देय हो जाती है तो उसे वह परीक्षा अन्य नियमित विद्यार्थियों के साथ ही पुनपरीक्षार्थी के रूप में देनी होगी। इस संदर्भ में कोई विशेष परीक्षा उसके लिए आयोजित नहीं की जाएगी।

8. पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं में, स्थिति के अनुसार सभी विषयों के अंकों के कुल योग के एक प्रतिशत अंक कृपांक के रूप में दिए जाएंगे। कोई भी परीक्षार्थी अपने लाभ की दृष्टि से इन कृपांकों का उपयोग प्राप्तांकों के कुल योग में या अलग-अलग प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों में कर सकता है। ध्यान रहे कि कृपांकों का उपयोग केवल परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए या उच्चतर श्रेणी को प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है, आंतरिक मूल्यांकन को और अच्छा बनाने तथा परीक्षा को विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण करने के लिए नहीं।

9. कोई भी विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करने का अधिकारी तभी बनेगा जब वह इस पाठ्यक्रम की सभी शर्तों को पूरा कर लेगा और निर्धारित सभी परीक्षाओं को अधिक से अधिक पांच शैक्षणिक सत्रों में, इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से, उत्तीर्ण कर लेगा। इसके साथ शर्त यह भी है कि निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को एक या एक से अधिक विषयों में पुन: परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है:

(i) यदि कोई विद्यार्थी विनियम 7 (i) के प्रावधानों के अनुसार पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में प्रत्येक विषय के आंतरिक

मूल्यांकन में वांछनीय अंक प्राप्त कर लेता है, पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा को देता है और विनियम 7 (ii) के प्रावधान के अधीन परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे दूसरे वर्ष के तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई करने की अनुमति होगी। तथा पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में सभी विषयों या कुछ विषयों में पुन: परीक्षा, तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के विषयों के साथ, देनी होगी। विद्यार्थी को उन्हीं विषयों में पुन: परीक्षा देने के लिए अधिकृत माना जाएगा, जिनमें उसने विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित परीक्षा वाले भाग तथा आंतरिक मूल्यांकन वाले भाग के अंकों के कुल योग के कम से कम 50 % अंक प्राप्त कर लिए हों (आंतरिक मूल्यांकन के अंक पहले वाले ही माने जाएंगे, दुबारा आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा।) यदि वह पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता/ पाती है, तो उसे तीसरे वर्ष के पाठ्यक्रम के पांचवें सेमेस्टर में पढ़ाई करने की अनुमति नहीं मिलेगी तथा तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा का उसका परिणाम तब तक रोका रखा जाएगा, जब तक वह पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए निर्धारित सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता/ जाती।

(ii) यदि कोई विद्यार्थी विनियम 7(1) के प्रावधानों के अनुसार दूसरे वर्ष की परीक्षा के लिए तीसरे और चौथे सेमेस्टर के सभी विषयों के आंतरिक मूल्यांकन में अनिवार्य अंक नहीं प्राप्त कर पाता है, और विनियम 7 (2) के प्रावधान के अधीन दूसरे वर्ष में तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा देता है और उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे तीसरे वर्ष में पांचवें सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति होगी और उसको पांचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षा के सभी विषयों के साथ-साथ तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा के सभी या कुछ विपयों की फिर से परीक्षा देने की अनुमति होगी।

विद्यार्थी उन्हीं विषयों की फिर से परीक्षा दे सकेगा, जिन विषयों में विश्वविद्यालय की परीक्षा वाले भाग तथा आंतरिक मूल्यांकन वाले भाग के कुल अंकों के पचास प्रतिशत अंक उसे प्राप्त हुआ हों (आंतरिक मूल्यांकन के अंक पहेल वाले ही माने जाएंगे, ये अंक दुबारा नहीं दिए जाएंगे)। यदि वह तब भी तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता/पाती है तो पांचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षा का उसका परिणाम तब तक रोककर रखा जाएगा, जब तक कि वह तीसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में निर्धारित सभी विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता/जाती।

(iii) यदि कोई विद्यार्थी विनियम 7 (i) के प्रावधान के अधीन तीसरे वर्ष के पांचवें और छठे सेमेस्टर के सभी विषयों के आंतरिक मूल्यांकन वाले भाग में निर्धारित अनिवार्य अंक प्राप्त कर लेता है, विनियम 7 (ii) के अधीन पांचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षा देता है लेकिन अनुत्तीर्ण रहता है, तो उसे पांचवें और छठे सेमेस्टर के सभी विषयों में फिर से परीक्षा देने की अनुमति मिल सकती है। वह उन्हीं विषयों में फिर से परीक्षा देने के लिए अधिकृत होगा/होगी, जिनमें उसने विश्वविद्यालय की परीक्षा वाले भाग तथा आंतरिक मूल्यांकन वाले भाग के कुल योग के 50 % अंक प्राप्त कर लिए हों (आंतरिक मूल्यांकन के अंक पहले वाले ही रहेंगे, ये अंक दुबारा नहीं दिए जाएंगे।)

10. एम.सी.ए. के विषयों के लिए कुलपति, बोर्ड ऑफ स्टडीज की संस्तुति पर प्रश्न पत्र-निर्माताओं की नियुक्ति करेगा।

11. सभी विषयों के परीक्षक, वे चाहे बाह्य हों या आंतरिक, बोर्ड ऑफ स्टडीज की संस्तुति के आधार कुलपति के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। परियोजना कार्य का मूल्यांकन कुलपति के द्वारा नियुक्त तीन आंतरिक परीक्षकों की एक समिति के द्वारा किया जाएगा।

12. परीक्षाओं का परिणाम परीक्षा नियंत्रक के द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाएगा।

13. उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का श्रेणी-विभाजन निम्नलिखित रूप में होगा।

(i) सभी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं के पूर्णांकों के योग के 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि परीक्षार्थियों को पहले प्रयास में ही सभी विषयों/ परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेना होगा।

(ii) सभी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं के कुल अंकों के योग के 60% या उससे अधिक और 75% से कम अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा।

(iii) सभी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर की परीक्षाओं के कुल अंकों के योग के 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले सभी परीक्षार्थियों को द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा।

2. एम.बी.ए. (अंकशकालीन) के नाम में एम.बी.ए (कार्यकारी) के रूप में सत्र 2002-2003 ई. से परिवर्तन, जिसे विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में प्रभावी बनाया गया।

3. वाणिज्य-स्नातक परीक्षा (सामान्य तथा प्रतिष्ठापूर्ण) से संबंधित तथा पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग-II, 2000 ई. के पृष्ठ 305 पर दिए गए (सत्र 2002 ई. से प्रभावी) विनियम सं. 26 में परिवर्द्धन, जिसे पंजाब विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा है।

26. किसी भी संबद्ध महाविद्यालय का कोई भी नियमित विद्यार्थी किसी ऐसे विषय को चुन सकता है, जिसमें ऑनर्स भी सम्मिलित है, जिसमें उसका महाविद्यालय मान्यता प्राप्त या संबद्ध नहीं है, जिसे वह किसी अन्य संबद्ध महाविद्यालय में पढ़ रहा है; इस दशा में उस दूसरे महाविद्यालय का प्राचार्य यह प्रमाणित

करेगा कि वह विद्यार्थी उस विषय में आवश्यक संख्या में व्याख्यानों आदि में उपस्थित रहा है। जिस महाविद्यालय में उस विद्यार्थी ने प्रवेश प्राप्त किया है, उस महाविद्यालय का प्राचार्य इसकी संपुष्टि के लिए परीक्षा नियंत्रक को सूचित करेगा।

4. पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग-II, 2000 ई. के पृष्ठ 127-128 पर दिए हुए एम.एस-सी. (द्वि-वार्षिक) (सेमेस्टर पद्धति) के प्रवेश से संबंधित विनियम सं. 2 में परिवर्द्धन (सत्र 2001-2002 ई. से प्रभावी), जिसे पंजाब विश्वविद्यालय की विभिन्न निकायों/भारत सरकार के अनुमोदन/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा है।

2. जिस व्यक्ति ने निम्नलिखित में से किसी एक परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है, वह एम.एस-सी.(सेमेस्टर पद्धति) में प्रवेश पाने का पात्र होगा।

जंतु विज्ञान

पंजाब विश्वविद्यालय की, जंतु विज्ञान विषय के साथ, बी.एस-सी. उपाधि, या इसके सिंडीकेट के द्वारा मानी हुई किसी अन्य विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्तांक हों।

5. पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर खंड-II 2000 ई. के पृष्ठ 78-80 पर दिए हुए विनियम 3.1, जिसका संबंध मास्टर ऑफ आर्ट्स परीक्षा से है, में निम्नलिखित रूप में संशोधन, जिसे विश्वविद्यालय की अनेक निकायों/ भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा है।

3.1 एम.ए. (भाग-I) के प्रथम वर्ष में वही विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है, जिसने लाहौर स्थिति पंजाब विश्वविद्यालय से 1948 ई. से पूर्व, या किसी अन्यविश्वविद्यालय से निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, जिसे पंजाब विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षा के समकक्ष मान लिया हो:-

एम.ए.भाग-I (फ्रेंच) में वही विद्यार्थी प्रवेश पा सकता है:-

(i) जिस विद्यार्थी ने बी.ए./ बी.एस.सी./बी.कॉम./ बी.बी.ए./ बी.सी.ए. या ऑनर्स (10+2+3 शिक्षा पद्धति से) परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा पंजाब विश्वविद्यालय या अन्य किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ फ्रेंच में एडवान्स डिप्लोमा कर लिया हो।

या

(ii) जिस विद्यार्थी ने पंजाब विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से बी.ए./बी.एस.सी./ बी.कॉम/ बी.बी.ए/ बी.सी.ए. (10+2+3 शिक्षा पद्धति से) परीक्षा फ्रेंच के ऐच्छिक विषय या फ्रेंच में आनर्स के साथ कम से कम 45 % प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण कर ली हो।

या

(iii) जिस किसी विद्यार्थी ने बी.ए./ बी.एस.सी. /बी.कॉम/ बी.बी.ए./ बी.सी.ए. या ऑनर्स (10+2+3 शिक्षा पद्धति के अधीन) तथा फ्रेंच नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन के प्रदत्त एप्रोफोंडी लैंग्वेज फैंकाइज (डी.ए.एल.एफ एडवांस्ड फ्रेंच लैंग्वेज डिप्लोमा) उत्तीर्ण कर लिया हो।

इसके अतिरिक्त धारा, 2.1 के अधीन यह भी प्रावधान है कि -

कोई भी विद्यार्थी फ्रेंच विषय में एम.ए. के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तभी आवेदन कर सकता है कि जब उसे धारा 3.1 (1) की शर्तों के अनुसार फ्रेंच भाषा का ज्ञान हो।

6. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में विनिमय 2 (2) में संवर्द्धन तथा एक वर्षीय उच्चतर वैज्ञानिक कम्प्यूटिंग (डी.ए.एस.सी) (सत्र 2002-2003 से प्रभावी) से संबंधित विनियम

2. इस डिप्लोमा में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता निम्नलिखित होगी-

(i) पंजाब विश्वविद्यालय की विज्ञान के विषयों के साथ स्नातक उपाधि

या

(ii) बी.ई/ बी.केट.

या

(iii) कोई अन्य परीक्षा, जिसे पंजाब विश्वविद्यालय ने ऊपर लिखी हुई परीक्षाओं के समकक्ष मान लिया हो।

एक-वर्षीय उच्चतर वैज्ञानिक कम्प्यूटेशन (डी.ए.एस.सी) डिप्लोमा से संबंधित विनियम सेमेस्टर पद्धति, जुलाई, 2002 के प्रवेश से

अवधि

1. उच्चतर वैज्ञानिक कम्प्यूटेशन (डी.ए.एस.सी) डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होगी जिसमें दो सेमेस्टर रहेंगे। पहले सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर के महीने में और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा अप्रैल/ मई के महीने में विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर तय की गई तिथियों पर होगी।

प्रवेश

2. इस डिप्लोमा में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता होगी-

(i) पंजाब विश्वविद्यालय की विज्ञान के विषयों के साथ स्नातक उपाधि

या

(ii) पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा उपर्युक्त उपाधि के समकक्ष मानी गई कोई अन्य परीक्षा

3. प्रवेश डी.एसे.सी. में पहले सेमेस्टर में दिया जाएगा। प्रवेश उन्हीं नियमों के अधीन होगा जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा समय-समय पर अनुमोदन प्राप्त होंगे।

4. डी.ए.एस.सी में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रत्येक सेमेस्टर में विश्वविद्यालय को वह प्रवेश शुल्क तथा शिक्षा शुल्क देना होगा जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के द्वारा तय किया गया होगा।

परीक्षा और मूल्यांकन

5. भौतिक विज्ञान-विभाग का बोर्ड ऑफ कंट्रोल कुलपति के पास अनुमोदन के लिए एक समिति बनाने का प्रस्ताव भेजेगा, जिसका कार्यकाल दो वर्षों का होगा और जिसका संयोजक इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम का ह्यसंयोजक रहेगा।

भौतिकविज्ञान-विभाग का अध्यक्ष इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संयोजक की संस्तुति के आधार पर परीक्षा नियंत्रक के पास ऐसे विद्यार्थियों की सूची भेजेगा जो सभी नियमों को पूरा करते हैं और परीक्षा देने के लिए जिनकी पात्रता ठीक हो।

समय-समय पर भौतिकविज्ञान-विभाग का बोर्ड ऑफ कंट्रोल पाठ्यक्रम को परिवर्तित करता रहेगा।

6. वही विद्यार्थी पहले और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा दे सकेगा-

(i) जो परीक्षा से ठीक पहले वाले इस डिप्लोमा पाठ्यक्रम के पहले या दूसरे सेमेस्टर में भौतिकविज्ञान- विभाग का नियमित विद्यार्थी रहा हो।

(ii) जो पहले और दूसरे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय की सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में कम से कम 75 % उपस्थित रहा हो। उपस्थिति में कमी को विश्वविद्यालय के नियमानुसार क्षमा किया जा सकता है।

7. उसी विद्यार्थी को डिप्लोमा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र मिलेगा जो अपने प्रवेश से आरंभ दो शैक्षणिक सत्रों में तय सही परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लेगा, लेकिन प्रावधान यह भी है कि किसी भी विषय में 40 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी को उस विषयों में फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है।

8. (i) सभी सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में आंतरिक मूल्यांकन होगा। प्रायोगिक पाठ्यक्रमों के लिए मूल्यांकन पूरी तरह आंतरिक परीक्षकों के द्वारा या बाह्य परीक्षकों की सम्मिलित करते हुए किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम के संयोजक की संस्तुति पर भौकिविज्ञान-विभाग का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाह्य परीक्षक की नियुक्त करेगा।

(ii) संयोजक/ अध्यापक संबद्ध विषय/ प्रश्न पत्र में वांछित स्तर बनाए रखने के लिए और विद्यार्थियों की निष्पादन-क्षमताओं का उस विषय /प्रश्न पत्र में मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) सैद्धांतिक विषय/ प्रश्न पत्र में 25 % अंक सेमेस्टर के अंदर तथा 75 % अंक सेमेस्टर के बाद की परीक्षा के लिए निर्धारित है।

(iv) किसी भी प्रश्न पत्र की, सेमेस्टर के उपरांत की परीक्षा की, उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी उस समय देख सकते हैं जो समय विभाग/ उसके अध्यापक ने तय किया होगा।

(v) प्रयोगशाला-विषयक पाठ्यक्रम में 50 % अंक सेमेस्टर के दौरान निर्धारित रहेंगे, जो निम्नलिखित बातों पर आधारित होंगे।

(अ) प्रयोग में वांछित परिणाम प्राप्त करने में विद्यार्थी के द्वारा दिखाई गई अपनी निष्पादन क्षमता।

(आ) प्रयोग पर आधारित मौखिक परीक्षा।

(इ) प्रयोग पर आधारित लिखित आख्या।

9. किसी भी प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन एक समिति करेगी, जिसमें कम से कम दो परीक्षक होंगे जो डिप्लोमा कोर्स के संयोजक की संस्तुति के आधार पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। विद्यार्थी को अपने प्रोजेक्ट वर्क को एक सेमिनार में प्रस्तुत करना होगा।

10. परीक्षा परिणाम परीक्षा नियंत्रक के द्वारा तैयार और घोषित किया जाएगा।

11. डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थियों को पूर्णकालिक विद्यार्थियों की तरह ही यूनिवर्सिटी में छात्रावास की सुविधाओं के लिए, जो विश्वविद्यालय के नियमानुसार होंगी, अधिकृत माना जाएगा।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का श्रेणी-विभाजन निम्नलिखित रूप में होगा:

(i) सभी सेमेस्टर के कुल अंकों के 75 % या इससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थिगों को विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा बशर्ते कि उस विद्यार्थी ने पहले प्रयास में ही सभी परीक्षाओं/ विषयों को उत्तीर्ण कर लिया हो।

(ii) सभी सेमेस्टर के कुल अंकों के कम से कम 60 % तथा 75 % से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा।

(iii) पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर के कुल अंक के योग के 60 % से कम अंक पाने वाले विद्मार्थियों को द्वितीय श्रेणी मिलेगी।

<u>पुनर्परीक्षा</u>

13. सभी पुनर्परीक्षाएं मुख्य परीक्षाओं के साथ ही दिसंवर अप्रैल में या विश्वविद्यालय के नियमानुसार वोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा तय की गईं तिथियों पर होंगी।

7. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/ भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में (सत्र 2002-2003 ई. से प्रभावी) पत्राचार अध्ययन-विभाग/ संबद्ध महाविद्यालयों के लिए स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा जनसंख्याविषक शिक्षा से संबंधित स्नातकोत्तर डिप्लोमा के विषय में विनियम:

1. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा जनसंख्याषियक शिक्षा से संबंधित स्नातकोत्तर डिप्लोमा की पढ़ाई की अवधि एक शैक्षणिक सत्र होगी।

2. इसकी परीक्षा सामान्यत: अप्रैल/ मई के महीने में या सिंडीकेट के द्वारा तय की गई तिथियों पर होगी।

3. परीक्षा के आरंभ होने तथा प्रवेश के लिए फॉर्म लेने की अंतिम तिथि और शुल्क निम्नलिखित रूप में होगा:

(अ) विलंब शुल्क के बिना, तथा

(आ) उस विलंब शुल्क के साथ जिसे सिंडीकेट समय-समय पर तय करेगी और जिसे परीक्षा नियंत्रक पंजाब विश्वविद्यालय के पत्राचार अध्ययन-विभाग के अध्यक्ष को / संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्यों को अधिसूचित करेगा।

4. विद्यार्थियों से लिए जाने वाले परीक्षा शुल्क की धन- राशि समय-समय पर सिंडीकेट के द्वारा तय की जाएगी।

5. इस पाठ्यक्रम में वही विद्यार्थी प्रवेश लेने के लिए सुयोग्य माना जाएगा (i) जिसने पंजाब विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो अथवा उसके पास ऐसी अन्य कोई योग्यता हो जिसे सिंडीकेट ने इसके समकक्ष मान लिया हो या (ii) पैरा-मेडिकल स्टाफ, जिसके पास पांच वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो।

6. प्रवेश पाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को पत्राचार अध्ययन-विभाग / संबद्ध महाविद्यालयों का नियमित विद्यार्थी होना पड़ेगा तथा उसे सिंडीकेट के द्वारा समय-समय पर तय किए गए प्रवेश शुल्क तथा अन्य शुल्कों को देना होगा।

7. इस पाठ्यक्रम के लिए एक बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन किया जाएगा, जिसका संयोजक पत्राचार अध्ययन-विभाग का अध्यक्ष होगा और कुलपति चार-पांच व्यक्तियों इसके सदस्य के रूप में को नामित करेगा।

8. प्रत्येक परीक्षार्थी को समय-समय पर बोर्ड ऑफ स्टडीज के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों की परीक्षा देनी होगी।

9. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या पंजाबी या हिंदी भाषा होगी।

10. वही विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम की परीक्षा दे सकेगा जिसका नाम पत्राचार अध्ययन-विभाग के अध्यक्ष/ संबद्ध महा-विद्यालयों के प्राचार्य के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के आधार पर ऊपर भेजा जाएगा।

(i) जो परीक्षा से ैक पहले वाले शैक्षणिक वर्ष में पत्राचार अध्ययन- विभाग/ संबद्ध महाविद्यालयों के नियमित विद्यार्थी रहा हो।

(ii) जो संबद्ध महाविद्यालयों की कक्षाओं के याख्यानों में निर्धारित संख्या में उपस्थित रहा हो।

(iii) जिसने पत्राचार अध्ययन विभाग को कम से कम 50 प्रतिशत उत्तर पुस्तिकाएं (रेश-पोन्स शीट्स) प्रस्तुत की हों।

(केवल पत्राचार अध्ययन-विभाग के लिए)

(iv) उत्तर पुस्तिकाओं या व्याख्यानों में उपस्थिति की कमी को, सिंडीकेट के द्वारा समय-समय पर तय किए गए नियमों के अनुसार, पत्राचार अध्ययन-विभाग का अध्यक्ष। संबद्ध महाविद्यालयों का प्राचार्य क्षमा कर सकता है।

11. यदि पत्राचार अध्ययन विभाग/ संबद्ध महाविद्यालय में कोई नियमित विद्यार्थी है और वह या तो परीक्षा नहीं दे पाता है या परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो वह विश्वविद्यालय को निर्धारित शुल्क देकर पत्राचार अध्ययन विभाग/ संबद्ध महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दे सकता है।

12. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित अंक इस प्रकार होंगे:

(i) प्रत्येक प्रश्न-पत्र में 35 प्रतिशत प्राप्तांक

(ii) कुल प्राप्तांक 40 प्रतिशत

उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रखा जाएगा

(अ) 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी प्रथम श्रेणी

(आ) 50 प्रतिशत या इससे अधिक किंतु 60 प्रतिशत से कम कुल अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी

(इ) कुल अंकों का 50 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी तृतीय श्रेणी

13. विश्वविद्यालय के नियमानुसार सिंडीकेट /सीनेट के द्वारा समय-समय पर तय किए गए कृपांग दिए जाएंगे।

14. (i) यदि कोई विद्यार्थी कुल योग के 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है किंतु एक प्रश्न-पत्र में अनुतीर्ण रह जाता है, और उस प्रश्न-पत्र में उसे 25 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह उसी वर्ष सितंबर के महीने या परीक्षा नियंत्रक के द्वारा तय की गई तिथियों पर होने वाली पूरक परीक्षा में उस प्रश्न-पत्र की परीक्षा दे सकता है। यदि वह इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहता। रहती है या इस परीक्षा में अनुपस्थित रहता/ रहती है, तो वह आगामी परीक्षा दे सकता/ सकती है। यदि वह विश्वविद्यालय की उस परीक्षा में उस प्रश्न-पत्र में कम से कम

35 % अंक प्राप्त कर लेता/ लेती है तो उसे उस परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।

(ii) ऐसे परीक्षार्थी को समय-समय पर सिंडीकेट के द्वारा शुल्क को देना होगा और वह पुरस्कार या मेडल के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी।

15. यदि कोई परीक्षार्थी प्रदत्त दो अवसरों में भी उस प्रश्न-पत्र को नहीं देता है या प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे संपूर्ण परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और यिद वह चाहे तो वह पूरी परीक्षा को फिर से दे सकता/ सकती है।

16. यदि कोई परीक्षार्थी तीन लगातार अवसरों में भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसे इस पाठ्यक्रम की अपनी पढ़ाई करने की अनुमति नहीं होगी।

17. परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के समाप्त होने के चार सप्ताह के ऊपरांत या यथाशीघ्र श्रेणियों को दर्शाते हुए उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित करेगा।

18. प्रत्येक उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा जनसंख्या शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा दिया जाएगा जिसमें उसकी वह श्रेणी जिसमें उसने वह परीक्षा उत्तीर्ण की है के साथ कुल प्राप्तांकों तथा अंकों के कुल योग के साथ प्रदर्शित होगी।

8. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/ भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (एग्रो-प्रोसेसिंग) के नाम का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (फूड टेक्नोलॉजी) के रूप में परिवर्तन (सत्र 2002-2003 से प्रभावी)।

9. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/ भारत के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, भाग-II, 2000 ई. के पृष्ठ 264-268 पर दिए गए (सत्र 2002-2003 ई. से प्रभावी) विनियम 2.1 तथा 5.1 में अनुमोदनार्थ संशोधन

2.1. इस पाठ्यक्रम में वही व्यक्ति प्रवेश पा सकेगा, जिसके पास निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता हो:-

() बी.ए./ बी.कॉम./ बी.बी.ए./ बी.सी.ए./ बी.एस.सी./ बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल) की पंजाब विश्वविद्यालय से उपाधि या किसी अन्य विश्वविद्यालय की ऐसी ही कोई मान्यता प्राप्त उपाधि जो इनके समकक्ष हो तथा उसमें कम से कम 45

प्रतिशत कुल योगांकों के प्राप्तांक, बशर्ते उसने प्रथम उपाधि स्तर पर कम से दो विषय स्कूल-वर्ग के पढ़े हो।

5. बी.कॉम/बी.बी.ए/एम.कॉम. उत्तीर्ण विद्यार्थी दो अध्यापन विषय चुन सकते हैं, जिनमें से एक वाणिज्य (कॉमर्स) का अध्यापन होगा और दूसरा विषय निम्नलिखित विषयों में से कोई एक होगा:-

अर्थशास्त्र का अध्यापन या अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी तथा संस्कृत भाषाओं में से किसी एक भाषा का अध्यापन

बी.सी.ए. उत्तीर्ण विद्यार्थी कम्प्यूटर विज्ञान तथा उसका अनुप्रयोग एक विषय के रूप में चुन सकते हैं। अध्यापन के अन्य विषय गणित हैं। अध्यापन के अन्य विषय गणित का अध्यापन या अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी या संस्कृति में से कोई एक भाषा हा सकता है।

प्रस्तावित विनियम

बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) उत्तीर्ण विद्यार्थी दो अध्यापन-विषयों में एक गृहविज्ञान को तथा दूसरे विषय को निम्नलिखित विषयों में से अध्यापन-विषयों के रूप में, चुन सकते हैं: विज्ञान का अध्यापन या अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी तथा संस्कृत भाषाओं में से कोई एक भाषा

बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल) / बी.एस.सी. (मेडिकल) स्नातक निम्नलिखित में से कोई दो अध्यापन-विषय चुन सकते हैं:

1. विज्ञान का अध्यापन/ शारीरिक विज्ञान का अध्यापन
2. जीवन विज्ञान का अध्यापन
3. अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी तथा संस्कृत में से किसी एक भाषा का अध्यापन

बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल)/ बी.एस.सी.(गैर-मेडिकल) स्नातक निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषयों का चयन करेंगे:

1. विज्ञान का अध्यापन/ शारीरिक विज्ञान का अध्यापन
2. गणित का अध्यापन/ कम्प्यूटर विज्ञान का अध्यापन
3. अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी तथा संस्कृत भाषा में से किसी एक भाषा का अध्यापन

कला-स्नातक निम्नलिखित में से कोई एक विषय अध्यापन के लिए चुन सकते हैं:

सामाजिक विज्ञान का अध्यापन, इतिहास का अध्यापन, भूगोल का अध्यापन, अर्थशास्त्र का अध्यापन, तथा/ अथवा निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अध्यापन, यदि अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर वह विषय पढ़े हो:

अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा तथा संस्कृत भाषा

10. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/ भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में प्रभावी पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग-I, 2000 ई. के पृष्ठ III पर दिए गए अध्याय V (ए) के विनियम 2 'विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा पृ. 44 पर दिए गए विनियम 8' एकेडेमिक कौंसिल में निम्नलिखित संशोधन:-

8. एकेडेमिक कौंसिल के प्रकार्य निम्नलिखित होंगे-

(अ) विश्वविद्यालय के अध्यापन कार्य तथा नव विकास के लिए प्रस्तावों को तैयार करना,

(आ) विश्वविद्यालय में अध्यापकों के लिए नए पदों के सृजन के लिए सिंडीकेट को संस्तुति करना तथा अध्यापकों के पदों की समाप्ति के विषय में सलाह देना

पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग-I, 2000 ई. के पृ. III पर दिए गए विनिवय 2 में संशोधन

2. सीनेट के पास यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर बोर्ड आफ फाइनेंश के द्वारा सिंडीकेट को भेजी गई संस्तुतियों के आधार पर अध्ययन संबंधी विभागों के बारे में निर्णय करे, जिनमें प्रोफेसर, रीडर तथा लेक्चरर के पद दिए जाने वाले हो।

11. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/ भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में प्रभावी 'अभियांकी तथ्य प्रौद्योगिकी' संकाय के नाम का 'अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, वास्तु शास्त्र तथा नियोजन' के रूप में परिवर्तन

12. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियामवली, खंड- II, 2000ई. के पृष्ठ 45-46 पर दिए गए विनियम 4.1 में संशोधन

4.1 इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी.ए. या बी.एस.सी (सामान्य तथा आनर्स) के स्नातक पाठ्यक्रम में उसी व्यक्ति को प्रवेश मिल सकेगा, जिसने अंग्रेजी विषय को उत्तीर्ण करते हुए निम्नलिखित परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। यह भी प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने +2 की परीक्षा को अंग्रेजी विषय के बिना ही उत्तीर्ण किया हो, तो उसे इस शर्त के साथ बी.ए. / बी.एस.सी. के प्रथम वर्ष में प्रवेश मिल सकेगा कि वह प्रवेश पाने के बाद दो लगातार अवसरों में कमी वाले अंग्रेजी के विषय को सम्बद्ध बोर्ड/निकाय/ कौंसिल/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर लेगा, जिसके अभाव में उसका बी.ए./ बी.एस.सी. प्रथम वर्ष का प्रवेश और उसकी परीक्षा स्वत: निरस्त समझी जाएगी।

(i) पंजाब विश्वविद्यालय की बी.ए./ बी.एस.सी./ बी.कॉम. भाग-1 (पुरानी पद्धति)/ प्री मेडिकल/ प्री. इंजीनियरिंग/ इंटरमीडिएट:कला/ विज्ञान/कृषि परीक्षा

(ii) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय/ बोर्ड/ कौंसिल की 10+2+3 पद्धति की +2 परीक्षा

13. पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड-I, 2000 ई. के पृष्ठ 33 अध्याय-II (ए) (1) 'द सीनेट' पर दिया गया विनियम संख्या 25

25. किसी भी विनियम को राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा, जब तक कि उसमें किसी अन्य तिथि से प्रभावी होने का उल्लेख न किया गया हो।

यदि शैक्षणिक मामलों में भारत सरकार के द्वारा लगाई गई किसी आपत्ति की सूचना, जो प्रस्तावित विनियमों/ संशोधनों/ संबर्द्धनों/ विलापनों से सम्बद्धित हो, विश्वविद्यालय के कार्यालय में भेजे जाने की तिथि के तीन महीनों के अंदर प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि सरकार को प्रस्तावित विनियमों / संशोधनों/ संबर्द्धनों/ बिलोपनों पर कोई आपत्ति नहीं है और उनको सीनेट के द्वारा अनुमोदित हो जाने की तिथि से लागू मान लिया जाएगा।

14. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/ भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में, सत्र 2004-2005 ई. से प्रभावी, अकादमिक कौंसिल के प्रकार्यों

से संबंधित, पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड-I, 2000ई. के पृष्ठ 44-45 पर दिए गए, अध्याय 2 (ए) (4) 'एकेडेमिक कौंसिल' के विनियम 8 (एच) में संशोधन 8 (एच) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के प्रबंध के लिए, सामान्य तथा वित्तीय नियंत्रण सिंडीकेट के अधीन रहने की शर्त के साथ तथा, इस प्रयोजन के लिए-

(i) अकादमिक कौंसिल के सामान्य नियंत्रण के अधीन, पुस्तकालय के नीतिगत मामलों में सलाह देने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए। एक पुस्तकालय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(1) से (5) XXX XXX XXX

(6) पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापक-वर्ग में से कोई एक सदस्य (जो रीडर या इससे उच्चतर पद पर हो)

(2) XXX XXX XXX

15. सीनेट/ भारत सरकार/ भरत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन में प्रत्याशा में प्रभावी, पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली के भाग-I, 2000 ई. के पृष्ठ 67-68 पर दिए गए, अध्याय-2 (बी) के 'सामान्य फेलोज का निर्वाचन' नामक विनियम संख्या 17 (XVIII) (सी) (V) में संशोधन

<u>प्रस्तावित विनियम</u>

किसी भी मतदाता को, नियत समय के अंदर ही उपस्थित न होने पर, तथा निम्नलिखित में से किसी एक भी प्रपत्र के मतदान के समय मतदान अधिकारी के समक्ष पहचान के लिए न प्रस्तुत करने पर, मतपत्र नहीं दिया जाएगा:

(i) मतदाता का चित्र-सहित अपना ताजा पहचानपत्र, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था के नौकरी प्रदाता अधिकारी के द्वारा दिया गया हो। मान्यता प्राप्त संस्था से अभिप्राय सरकारी संस्था,अर्ध-सरकारी संख्या, स्टेट्यूटरी निकायों, स्वायत्त निकायों,निगमों तथा बोर्डों से है।

(ii) सामान्य निर्वाचन पहचान पत्र

(iii) चित्र-सहित वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस

(iv) वैद्य पासपोर्ट

(v) किसी प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी / उप-न्यायाधीश/ पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य का चित्र सहित प्रमाण-पत्र

(अ) आयकर विभाग के द्वारा जारी किए गया स्थायी खाता संख्या (पी.ए.एन.)

(इ) ऐसा कोई अन्य प्रपत्र, जिस पर मतदाता का चित्र भी हो और जिसे पंजाब विश्वविद्यालय ने पहचान करने के लिए दिया हो।

(vi) बैंक/ डाकघर के द्वारा दिया गया निकट भूतकाल में दी गई कोई पासबुक, जिस पर चित्र भी लगा हो

(vii) किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा-संस्था के द्वारा दिया गया पहचान पत्र, जिस पर चित्र लगा हो

(viii) कोई चालू राशनकार्ड, जिस पर चित्र लगा हो

(ix) किसी पूर्व-सनिक का चित्र सहित कोई प्रपत्र : पूर्व सैनिक की पेंशनबुक / पेंशन-भुगतान का आदेश/ पूर्व-सैनिक की विधवा/ अवलम्बी होने का प्रमाणपत्र/ वृद्धावस्था-पेंशन का आदेश तथा विधवा-पेंशन-आदेश

(X) सचित्र वरिष्ठ नागरिक कार्ड

(xi) सचित्र स्वतन्त्रता- सेनानी कार्ड

(XII) सचित्र सद्यः प्रदत्त हथियार का लाइसेंस

(XIII) सक्षम अधिकारी के द्वारा सद्यः प्रदत्त सचित्र विकलांगता का प्रमाण-पत्र।

(XIV) बार कौंसिल / एसोशियशन के द्वारा सद्यः प्रदत सन्चित्र प्रमाण-पत्र।

16. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/ भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में, पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली भाग-I, 2000 ई. के अध्याय IV (ए) (ii), जिसका संबंध अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण (पुरुष)/ अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण (महिलाएं) से है, पृष्ठ 107 पर लिखे हुए विनियम 2 में परिवर्द्धन।

2. अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण के कर्त्तव्य और प्रकार्य निम्नलिखित होंगे-

(i) चंडीगढ़ में रहकर विश्वविद्यालय की कक्षाओं में पढ़नेवाले विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था करना और उनके अनुशासन के लिए पर्यवेक्षण करना, तथा इसके साथ ही परिसर से बाहर रहने वाले विद्यार्थियों के आवास की व्यवस्था को अनुमोदित करना;

(ii) विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक तथा शिक्षेतर गतिविधियों का निर्देशन करना।

(iii) विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के शारीरिक कल्याण तथा एन.सी.सी. की गतिविधियों का ध्यान रखना।

(iv) विद्यार्थियों की शिक्षेतर गतिविधियों के लिए विद्यार्थी कल्याण विभाग को निर्धारित अमेलगनेटेड फंड के लेखा को चलाना

(v) परिसर में तथा परिसर के बाहर (शिक्षा संबंधी कार्य, जिसे विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा/ अथवा डी.यू. आई. देखते हैं)

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अनुशासन से संबंधित सभी मामलों की व्यवस्था करना तथा समुचित जांच-पड़ताल के पश्चात आवश्यक दंड निर्धारिण करना;

(vi) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक और भावात्मक हित-संपादन के लिए उपाय और साधन तलाश करना, तथा उनमें देश के प्रति निष्ठा, कर्त्तव्य के प्रति समर्पण तथा सत्य के मार्ग पर प्रमाण जैसे महान् आदर्शों के प्रति आदर का भाव जगाना।

2.2. कुलपति तथा सिंडीकेट की संस्तुति पर सेनेट अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण (महिलाएं) की भी नियुक्ति उस कालावधि के लिए और उन शर्तों पर कर सकती है, जो अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण के लिए निर्धारित है और इसका आधार अमलगमेटेड फंड होगा एकाउंट होगा। अधिष्ठाता, विद्यार्थी कल्याण (महिलाएं) की उस शिकायत समिति की भी अध्यक्ष होगी जो लैंगिक प्रताड़ना के परिहार, अनुशासन तथा आचरण संहिता के निर्वहन के लिए अधिकृत है।

17. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों / भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में सत्र 2003-2004ई. के प्रवेश से प्रभावी, पंजाब विश्वविद्यालय की विनियमावली, खंड-II, 2000 ई. के पृष्ठ 46 पर दिए गए, बी.ए./ बी.एस.सी. (सामान्य तथा आनर्स) से संबंधित विनियम 7 में संशोधन

7. वही विद्यार्थी पहले /दूसरे/ तीसरे वर्ष की परीक्षा दे सकेगा-

(अ) जिसने विनियम 4.1. में उल्लिखित योग्यता दात्री परीक्षा कम से कम एक अकादमिक सत्र के पूर्व उत्तीर्ण कर ली हो।

यदि किसी विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देनी हो और वह बी.ए./ बी.एस.सी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य हो, तो उसके मामले में एक शैक्षणिक वर्ष की गणना उस परीक्षा से होगी जिसमें उसे पूरक परीक्षा देने के योग्य घोषित किया गया हो। यदि किसी विद्यार्थी को पूरक परीक्षा देने वाली श्रेणी में रखा गया हो/ कोई विद्यार्थी +2 की परीक्षा में उस विषय में अनुत्तीर्ण रह गया हो तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है;

ऐसे अभ्यर्थी का प्रवेश विनियम 4.2. के अधीन सशर्त होगा और उसका प्रवेश तभी संपुष्ट माना जाएगा

जब वह पूरक परीक्षा वाले विषय में प्रवेश के लिए अपने बोर्ड /निकाय/ कौंसिल/ विश्वविद्यालय से दो लगातार अवसरों में परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। यदि वह लगातार दो अवसरों में भी पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका बी.ए./बी.एस.सी. भाग-I में सशर्त प्रवेश में निरस्त समझा जाएगा।

यदि पूरक परीक्षा की श्रेणी में आया हुआ परीक्षार्थी प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व, बोर्ड +2 की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए सक्षम माना जाएगा, बशर्ते उसके पास निर्धारित योग्यताएं हों और स्थान सुलभ हो।

(आ) XXX XXX XXX

18. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों / भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में (सत्र 2002-2003 ई. के प्रवेश से प्रभावी), स्नातक स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रम पर्यवेक्षण तथा कार्यकारी समिति (यू.जी.ए.टी.एम.ई.सी.) के प्रकार्यों से संबंधित बी.एस.सी.(आनर्स स्कूल) (वार्षिक पद्धति)से संबंधित विनियम 12.2 में धारा (1द्व) का परिवर्द्धन

12.2. बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्नातक स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रम पर्यवेक्षण तथा कार्यकारी समिति (यू.जी.ए.टी.एम.ई.सी.) का गठन करेगा जिसका प्रयोजन तीनों वर्षों में शैक्षणिक कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन होगा। इस यू.जी.ए.टी.एम.ई.सी. संमिति के प्रकार्य निम्नलिखित होंगे;

(i) से (v) XXX XXX

(vi) यू.जी.ए.टी.एम.ई.सी. समिति प्रश्न-पत्र निर्माण तथा मूल्यांकन के संबंध में यदि कोई शिकायत होती है तो उस संबंध में अपनी सिफारिशें करेगी तथा झगड़े निपटाएगी।

19. सीनेट / भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू (अप्रैल, 2003 ई. की परीक्षा से प्रभावी) पंजाब विश्वविद्यालय के कलेंडर, खंड-II, 2000 ई. के पृष्ठ 69 पर दिए गए बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल) (वार्षिक पद्धति) परीक्षा से संबंधित विनियम में परिवर्द्धन:

"यदि किसी विद्यार्थी ने पंजाब विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, तो वह व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उन विषयों के सैद्धांति प्रश्न-पत्रों की परीक्षा फिर से दे सकता/ सकती है, जिनमें वह पहले परीक्षा दे चुका/ चुकी है, ताकि पहले की उपेक्षा उसके प्राप्तांक अच्छे हो जाए। वह प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा चाहे तो एक साथ या अलग-अलग दे सकता/ सकती है।

इसके लिए उसे बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल) परीक्षा देने के वर्ष के तुरंत बाद के तीन वर्षों के अंतर ही दो अवसर मिलेंगे। उसे वार्षिक/ सेमेस्टर परीक्षा में अन्य नियमित विद्यार्थियों के साथ ही परीक्षा देनी होगी।

बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल) के विद्यार्थियों की परीक्षा उस समय लागू पाठ्यक्रम के आधार पर तथा उस समय लागू विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होगी।

आंतरिक मूल्यांकन के भाग में सुधार की अनुमति नहीं होगी।

व्याख्यातमक टिप्पणी:

किसी परीक्षार्थी के द्वारा सुधारे गए परीक्षा-परिणाम का प्रभाव पहले तय की गई मूल परीक्षा की वरिष्ठता सूची को प्रभावित नहीं करेगा।"

20. विश्वविद्यालय के निकायों/भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल) (वार्षिक पद्धति) परीक्षा से संबंधित औद्यमिक जीव-प्रौद्योगिकी/ औद्यमिक कम्प्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग के सहायक विषयों के प्रमाण-पत्र देने के लिए विनियम 14 में परिवर्द्धन:

14. वर्ष 1999-2003 ई. के बीच बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उन विद्यार्थियों को अलग से सहासक विषयों के पढ़ने के प्रमाण-पत्र दिए जएंगे, जिन्होंने औद्योमिक जीव, प्रौद्योगिकी/ औद्योमिक कम्प्यूटर विज्ञान तथा अनुप्रयोग के विषय सहायक विषयों के रूप में अपने पाठ्यक्रम में तीनों वर्षों में पढ़े हैं, जिस पर परीक्षा नियंत्रक की मोहर/ हस्ताक्षर होने के साथ-साथ बी.एस.सी. (आनर्स स्कूल) के तीसरे वर्ष में सहायक विषय के प्राप्तांक भी लिखे होंगे।

21. सीनेट /भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में, अप्रैल 2003 ई. की परीक्षा से प्रभावी, पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर खंड-II, 2000 ई. में दिए गए एम.एस.बी. (आनर्स स्कूल) (वार्षिक पद्धति) से संबंधित विनियम 13 में परिवर्द्धन:

"यदि किसी परीक्षार्थी ने पंजाब विश्वविद्यालय से एम.एस.बी. (आनर्स स्कूल) (वार्षिक पद्धति) परीक्षा सेमेस्ट पद्धति से उत्तीर्ण की है, तो वह अपने परीक्षा फल को सुधारने की दृष्टि से यदि चाहे तो, व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में फिर से परीक्षा दे सकता/ सकती है। इस संदर्भ में उसे अपना पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लेगे के पांच वर्ष के अंदर ही दो अवसर मिलेंगे। उसे मुख्य सेमेस्टर परीक्षा में संबद्ध विषय/ विषयों की परीक्षा देनी होगी अर्थात् पहले और तीसरे सेमेस्टर में पढ़े हुए विषयों की परीक्षा नवंबर/ दिसंबर तथा दूसरे और चौथे सेमेस्टर में पढ़े हुए विषयों की परीक्षा अप्रैल/ मई में परीक्षा देनी होगी। यदि उसके परीक्षा परिणाम में कोई सुधार नहीं हो पाता है तो वह आगामी वर्ष में संबद्ध सेमेस्टर में फिर से परीक्षा दे सकता/ सकती है और इसे उसका दूसरा अवसर माना जाएगा। इसके लिए उसे वह शुष्क देना होगा जो प्रत्येक विषय के लिए सिंडीकेट के द्वारा समय-समय पर सेमेस्टर के लिए अधिकतम रूप में तय किया जाएगा।

<u>व्याख्यात्मक टिप्पणी:</u>

किसी भी परीक्षार्थी के द्वारा इस प्रकार सुधारा गया परीक्षा परिणाम मूल परीक्षा में निर्धारित वरिष्ठता सूची को प्रभावित नहीं करेगा।"

22. भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू (2002 ई. की परीक्षा से प्रभावी, पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग-II, 200 ई. के पृष्ठ 85 पर दिए गए, पत्राचार द्वारा एम.ए. भाग-I (समाजशास्त्र) (वार्षिक पद्धति) से संबंधित विनियम 9.1 में परिवर्द्धन) :

(i) प्रश्न पत्र- II में वही परीक्षार्थी उत्तीर्ण समझा जाएगा, यदि वह सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अलग से या रिसर्च एसाइनमेंट्स के साथ संयुक्त रूप में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करता/ करती है।

(ii) परीक्षा-परिणाम के पूर्ववत् रहने की स्थिति में कोई भी परीक्षार्थी केवल सैद्धांतिक प्रश्नपत्र की परीक्षा फिर से दे सकता है और इस संदर्भ में आंतरिक मूल्यांकन के उसके अंक पूर्ववर्ती मुख्य परीक्षा वाले ही रहेंगे। यह बात इस प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण/ अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों पर भी लागू होगी।

(iii) किसी भी विद्यार्थी को एसाइनमेंट जमा करने के लिए कोई भी अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा।

(iv) पुनर्मूल्यांकन केवल सैद्धांतिक प्रश्न-पत्रों का ही हो सकेगा, एसाइनमेंट तथा आंतरिक मूल्यांकन का नहीं। इस प्रश्नपत्र में किसी भी अभ्यर्थी के आंतरिक मूल्यांकन के अंक अब तक अपरिवर्तित रहेंगे, जब तक कि वह पूरक परीक्षा में या प्रश्नपत्र के सैद्धांतिक भाग को उत्तीर्ण नहीं कर लेता।

23. विश्वविद्यालय के निकायों/ भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू (2002-2003 ई. प्रवेश से प्रभावी), स्नातकोत्तर शैक्षणिक कार्यक्रम पर्यवेक्षण तथा कार्यकारी समिति (पी.जी.ए.पी.एम.ई.सी) के प्रकार्यों से संबंधित, पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग-II, 2000 ई. में दिए गए एम.एस.सी. (आनर्स स्कूल) (वार्षिक पद्धति) से संबंधित विनियम 10.2 में धारा (XII) का संबर्द्धन:10.2 बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्नातकोत्तर शैक्षणिक कार्यक्रम पर्यवेक्षण तथा कार्यान्वयन समिति (पी.जी.ए.पी.एम.ई.सी) का गठन करेगा, जो तीनों वर्षों के शैक्षणिक कार्यक्रमों पर नजर रखेगी। इसका गठन और इसके प्रकार्य निम्नलिखित रूप में होंगे।

(i) से (vi) XXX XXX XXX

(vii) पी.जी.ए.पी.एम.ई.सी. का कार्य प्रश्नपत्र निर्माण तथा मूल्यांकन से संबंधित शिकायतों यदि कोई हों के विषय में संस्तुति करना तथा उनका समाधान करना होगा।

24 पंजाब-विश्वविद्यालय के कैलेण्डर, भाग II, 2000 के पृष्ठ 175-183 पर दिए गए कला, भाषा, शिक्षा, विज्ञान एवं डिजाइन तथा ललित कलाओं के संकायों में पी.एच.डी. उपाधि से संबंधित विनियमों में संशोधन ।

3.4 आवेदक एनरोलमेंट की तिथि के एक वर्ष के भीतर ही अपने विश्वविद्यालय के विभाग के चैयरमैन/अध्यक्ष अथवा सम्बद्ध प्रिंसीपल, होमसाइंस कॉलेज के द्वारा रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) के लिए आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक डीन विश्वविद्यालय के विभाग के चैयरमैन/अध्यक्ष/प्रिंसीपल होम साइंस कॉलेज की संस्तुति के आधार पर छह महीने तक की अवधि बढ़ा सकता है।

पंजीकरण के आवेदन पत्र में निम्नलिखित बातें होंगी-

(अ) शोध-प्रबन्ध का सम्भावित शीर्षक या शोध कार्य का व्यापक क्षेत्र; अथवा

(आ) शोध परियोजना की संभावित रूपरेखा।

यदि कोई आवेदक डेढ़ वर्ष के अंदर अपने शोध प्रबंध की संभावित रूपरेखा और शीर्षक के साथ अपना पंजीकरण का फार्म प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विभाग का चैयरपर्सन/ अध्यक्ष/ प्रिंसीपल, होम साइंस कालेज, ज्वांइट

रिसर्च बोर्ड को विशेष कारण सूचित करेगा, जिनके आधार पर डेढ़ वर्ष के अतिरिक्त छह महीने की अवधि का और विस्तार पंजीकरण के फार्म, संभावित शोध-विषय और शोध-प्रबंध की रूपरेखा को जमा करने के लिए स्वीकृत कर सकता है (जो सामान्य एक वर्ष और छह महीने के विस्तार के अतिरिक्त होगा)। इसके लिए उसे वह शुल्क भी देना पड़ेगा जो सिंडीकेट/ सीनेट समय-समय पर तय करेगी ।

3.5 (अ) किसी भी आवेदक को पंजीकरण का फार्म, शोध-प्रबंध का संभावित शीर्षक और उसकी रूपरेखा को सम्बद्ध विभाग के चैयरपर्सन को प्रस्तुत करना होगा, जो इसकी प्राप्ति से एक सप्ताह के अन्दर ही इसे विश्वविद्यालय के कार्यालय को भेज देगा ।

(आ) यदि कोई आवेदक दो वर्ष के अंदर भी पंजीकरण के फार्म और शोध की रूपरेखा को चेयरपर्सन/अध्यक्ष को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसका एनरोलमेंट अपने आप ही कैंसिल (निरस्त) हो जाएगा। इसके लिए आवेदक को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी ।

4.2 विभाग का अध्यक्ष/प्रिंसीपल, होम साइंस कालेज आवेदन पत्र को अग्रसारित करते हुए किसी उपयुक्त शोध निर्देशक के नाम की भी संस्तुति करेगा जो आवेदक का शोध के क्षेत्र में निर्देशन कर सके। यदि आवश्यकता हो तो वह एक से अधिक संयुक्त शोध निर्देशकों के नाम की भी संस्तुति कर सकता है।

4.3 आवेदक तथा शोध-निर्देशक की प्रार्थना पर संयुक्त शोध-निर्देशकों को विश्व-विद्यालय के अध्ययन विभागों, विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय परास्नातक केन्द्रों, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त हों तथा राष्ट्रीय/स्वायत प्रयोगशालाओं से लिया जा सकता है। सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष इस संबंध में इनको प्रमाणित करेगा बशर्ते ये निम्नलिखित शर्तो को पूरा करते हों-

(अ) ये शोध निर्देशक पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त कर चुके हों तथा इनकी प्रकाशित सामग्री हो। जैसे : पुस्तकें, लेख तथा संदर्भित शोध-पत्रिकाओं में शोध-पत्र

तथा

(आ) पी-एच.डी. की उपाधि को प्राप्त करने के पश्चात् किए गए शोध का प्रमाण । इस उद्देश्य के लिए सम्बद्ध संस्थाओं आदि से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा ।

11.1 प्रत्येक आवेदक हर छह महीने की अवधि के बीत जाने पर अपने शोध निर्देशक का लिखित में सूचित करेगा कि उसने इन छह महीनों में क्या शोध कार्य किया है। शोध-निर्देशक इस रिपोर्ट के आधार पर वह कार्यवाही करेगा जो उचित होगी तथा जिसका आधार यह रिपोर्ट तथा इस मामले की अन्य परिस्थितियां होंगी ।

प्रगति के इस प्रतिवेदन पर कम से कम एक शोध-निर्देशक/ प्रस्तावित शोध निर्देशक/ संयुक्त शोध निर्देशक हस्ताक्षर करेगा और आवेदक इसे सम्बद्ध विभाग के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा, जिसे विभागीय अकादमिक समिति के सम्मुख विचारार्थ रखा जाएगा। आकदमिक समिति की कार्यवाही की एक प्रति रिकार्ड के लिए विश्वविद्यालय के कार्यालय को भेजी जाएगी। विभाग का अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि प्रगति के प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यदि किसी मामले में लगातार दो प्रगति प्रतिवेदन नहीं मिलते हैं तो यह मामला अकादमिक समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा और संयुक्त शोध बोर्ड (ज्वाइंट रिसर्च बोर्ड) को एनरोलमेंट तथा पंजीकरण के निरस्तीकरण (कैंसलेशन) के लिए संस्तुति की जाएगी ।

13. यदि कोई आवेदक इन विनियमों के अधीन दिए गए निश्चित समय के अन्दर अपना शोध-कार्य और शोध प्रबन्ध पूरा नहीं कर पाता तो वह अपने शोध-निर्देशक के माध्यम से सम्बद्ध विभाग के अध्यक्ष को अवधि में विस्तार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

बशर्ते कि -

(i) अवधि में विस्तार एक समय पर एक वर्ष से अधिक अवधि का नहीं किया जाएगा।

(ii) अवधि विस्तार के प्रत्येक प्रार्थना-पत्र के साथ वह शुल्क देना होगा जिसे सिंडीकेट/सीनेट समय-समय पर तय करेगी।

यदि शोध प्रबंध निर्धारित पांच वर्ष की अवधि के उपरान्त किया जाएगा, तो इस विलम्ब को निम्नलिखित अधिकारी माफ कर सकेगें :

(i) तीन महीने तक के लिए-डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इनस्ट्रक्शन ।

(ii) एक वर्ष तक के लिए - ज्वाइंट रिसर्च बोर्ड ।

(iii) एक वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलपति, ज्वांइट रिसर्च बोर्ड के द्वारा अभिलिखित विशेष और अपवाद स्वरूप परिस्थितियों के आधार पर ।

इनरोलमेंट की तिथि से पांच वर्ष अवधि बीत जाने के बाद पी-एच.डी. के शोध-प्रबंध को प्रस्तुत किए जाने पर, विलम्ब के लिए क्षमादान के लिए एक वर्ष के लिए दो हजार रुपये का शुल्क या समय-समय पर सिंडीकेट/ सीनेट के द्वारा तय किया गया शुल्क देय होगा ।

यह प्रावधान किया जाता है कि इनरोलमेंट की तिथि से शोध-प्रबंध को प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम समय सीमा आठ वर्ष की होगी अर्थात् सामान्य सीमा : तीन वर्ष, समय सीमा में विस्तार : दो वर्ष, तथा क्षमादान समय सीमा : तीन वर्ष, जिसकी समाप्ति पर आवेदक का एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन स्वत: ही निरस्त समझा जाएगा ।

25. पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग-II, 2000 ई. के पृष्ठ 233 पर दिए गए विनियम संख्या 3.1 तथा 3.3, जिनका संबंध पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुवाद-डिप्लोमा (अंग्रेजी से हिन्दी/पंजाबी) से है तथा जो सत्र 2003-2004 से लागू होगा तथा जिसे विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/भारत सरकार/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू मान लिया गया है, में संशोधन :-

3.1 वही व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा, जो विनियम 2 में दी गई योग्यताओं से युक्त है और जो पंजाब विश्वविद्यालय के हिन्दी/पंजाबी विभाग के अध्यक्ष द्वारा या पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा (जैसी भी स्थिति हो) हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा :

(अ) अच्छे चरित्र का ।

(आ) परीक्षा से ठीक पूर्ववर्ती सत्र में सम्बद्ध विभाग/महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी रहने का,

तथा

(इ) कक्षा में दिए गए कुल व्याख्यानों में से कम से कम 66 प्रतिशत में उपस्थिति का;

3.3 यदि कोई विद्यार्थी निर्दिष्ट पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने के बाद परीक्षा में भाग नहीं लेता है या परीक्षा में भाग लेता है और अनुत्तीर्ण रह जाता है, तो उसे इस पाठ्यक्रम में पढ़ाई करने के तीन वर्षों के भीतर, यथास्थिति के अनुसार विभाग के अध्यक्ष/ महाविद्यालय के प्राचार्य की संस्तुति पर, फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है।

26. पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग-II, 2000 ई. के पृष्ठ 302 पर दिए गए विनियम 4.1(ए), जिसका सम्बन्ध बी.कॉम (सामान्य तथा आनर्स) परीक्षा से है (सत्र 2003-2004 के प्रवेशों से प्रभावी माना जाने वाला), जिसे विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/भारत सरकार/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू कर दिया गया है, में परिवर्द्धन ।

4.1 वही विद्यार्थी प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की परीक्षा दे सकेगा जिसने-

(अ) विनियम 3 में दी गई, कम से कम एक अकादमिक सत्र पूर्व, योग्यता देने वाली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो ।

जिन आवेदकों को, जिस +2 कक्षा की परीक्षा में पूरक परीक्षा देने के लिए स्थान प्राप्त हुआ हो और उसने बोर्ड की पूरक परीक्षा प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व उत्तीर्ण कर ली हो, तो उनको आगामी उच्चतर कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है बशर्ते कि वे इसके योग्य हों और उनके लिए स्थान सुलभ हो ।

(आ) XXX XXX XXX

27 विश्वविद्यालय के निकायों/भारत सरकार/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की प्रत्याशा में, पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग- II, सन् 2000 के पृष्ठ 360-364 पर दिए गए, एल-एल0एम0 परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा-परिणाम को बेहतर बनाने से सम्बन्धित संबर्द्धन ।

"एल-एल.एम. के विद्यार्थी, जिन्होंने 55% से कम कुल अंक प्राप्त किए हों/कर रहे हों, तो उन्हें एल-एल0एम0 उपाधि प्राप्त करने की तिथि के लिए अवसर दिया जाएगा।"

नोट:- 1. बेहतर हो गए परीक्षा-परिणाम से, मूल परीक्षा के द्वारा निर्धारित वरीयता-क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. जिन्होंने एल-एल.एम. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें इस विनियम-परिवर्तन के प्रभावी होने की तिथि से दो वर्षों के भीतर ही अपना परीक्षा-परिणाम बेहतर करने का अवसर मिलेगा।

28. यूनीवर्सिटी इंस्टीट्सूट ऑफ इंजीनियरिंग ऐंड टेकनोलोजी की अभियांत्रिकी में स्नातक-परीक्षा (बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग) से सम्बन्धित विनियम 3 (सन् 2003 के प्रवेशों से प्रभावी) और जिसको सीनेट/भारत सरकार/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू किया गया :

3. इस उपाधि की किसी भी विधा में प्रथम समस्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश-परीक्षा के द्वारा ही प्रवेश मिलेगा। वही आवेदक प्रवेश परीक्षा दे सकेगा, जिसने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सी.बी. एस.ई.), नई दिल्ली की, या इसके समकक्ष की किसी परीक्षा को अनिवार्य विषयों के रूप में उत्तीर्ण किया हो तथा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय को भी लेकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो :

1. रसायन विज्ञान
2. जैव-प्रौद्योगिकी
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. जीव विज्ञान (बॉयोलोजी)

29. पंजाब विश्वविद्यालय के कैलेंडर, भाग-II, सन् 2000 के पृष्ठ 377 पर दिया गया विनियम 3, जिसका सम्बन्ध स्नातक-स्तरीय अभियांत्रिकी परीक्षा से है (सन् 2003 के प्रवेश से प्रभावी), तथा जिसे सीनेट के अनुमोदन/भारत सरकार/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में लागू कर दिया गया है :

3. इस पाठ्यक्रम की किसी भी विधा के पहले समस्तर में प्रवेश, प्रवेश-परीक्षा के द्वारा ही दिया जाएगा। वही आवेदक प्रवेश-परीक्षा दे सकेगा, जिसने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सी.बी. एस.ई.), नई दिल्ली की, या इसके समकक्ष की किसी परीक्षा को अनिवार्य विषयों के रूप भौतिकी तथा गणित लेकर उतीर्ण किया हो तथा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय के साथ भी लेकर इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया हो :

(I) रसायन विज्ञान (कैमिस्ट्री)
(II) जैव प्रौद्योगिकी (बायो-टेक्नोलॉजी)
(III) कम्पयूटर विज्ञान (कम्पयूटर साइंस)
(IV) जीव विज्ञान (बॉयोलाजी)

(कलकत्ता) (ए. एम. आई. ई.) के ए और बी के अनुभाग उत्ताण कर लिए हों या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल इंजीनियर्स (कलकत्ता) (आई.आई.सी-एच.ई.) के अनुभाग 'ए' और 'बी' की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, तथा इनमें कुल अंक कम से कम

30. विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों के द्वारा अनुमोदन/भारत सरकार के द्वारा अनुमोदन/भारत सरकार के राजपत्र के प्रकाशन की प्रत्याशा में एम. टैक (ऊर्जा अभियान्त्रिकी तथा प्रबन्धन) (सत्र 2002-2003 के प्रवेश से प्रभावी) विनियम:

1.1 एम.टैक (उर्जा अभियान्त्रिकी तथा प्रबन्धन के किसी भी नियमित आवेदक के लिए पाठ्यक्रम चार समस्तर (दो वर्ष) का होगा। किसी भी आवेदक को अधिकतम चार शैक्षणिक वर्षो के भीतर ही इस उपाधि के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसा न होने पर उसे इस पाठ्यक्रम को आगे पढ़ने से वंचित होना पड़ेगा।

2.1 एम. टैक (ऊर्जा अभियान्त्रिकी तथा प्रबन्धन) के पाठ्यक्रम में उसी आवेदक को प्रवेश मिलेगा जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हों-

बी. ई/ बी. टैक या इसके समकक्ष की कैमिकल, मैकेनिकल, सिविल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चरल, इंजीनियरिंग में कोई उपाधि, भौतिकी, ऊर्जा, रसायन-विज्ञान में पचपन प्रतिशत कुल प्राप्तांकों के साथ एम.एस.सी. की उपाधि।

2.2 प्रवेश के लिए वही पद्धति लागू की जाएगी जिसका निर्णय समय-समय पर सिंडीकेट ने किया हो।

2.3 यदि किसी आवेदक ने इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (कलकत्ता) (ए. एम. आई. ई.) के ए और बी के अनुभाग उत्तीर्ण कर लिए हों या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कैमिकल इंजीनियर्स (कलकत्ता) (आई.आई.सी-एच.ई.) के अनुभाग 'ए' और 'बी' की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, तथा इनमें कुल अंक कम से कम पचपन प्रतिशत प्राप्त किए हों, तो उसे एम.टैक (ऊर्जा

अभियान्त्रिकी तथा प्रबन्धन) पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है बशर्ते उसने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

3.1 एम. टैक (ऊर्जा अभियान्त्रिकी) की उपाधि की परीक्षा दिसम्बर/जनवरी तथा मई/जून या सिंडीकेट द्वारा तय की गई तिथियों पर हुआ करेगी।

3.2 परीक्षा के फार्म तथा परीक्षा शुल्क बिना विलम्ब के तथा विलम्ब सहित लेने की अंतिम तिथियां सिंडीकेट तय करेगी।

3.3 विनियम 3.1 के अधीन सिंडीकेट द्वारा तय की गई तिथियों की सूचना परीक्षा नियंत्रक जारी करेगा।

3.4 यदि कोई आवेदक एम.टैक (ऊर्जा प्रौद्योगिकी) के किसी सम्बद्ध समस्तर में विश्वविद्यालय के विभाग में नियमित विद्यार्थी रहा है और उसने ऊर्जा शोध केन्द्र के निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए है तभी वह उस समस्तर की परीक्षा में बैठ सकेगा :

(i) अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र ।

(ii) प्रत्येक प्रश्न पत्र में दिए गए व्याख्यानों में से कम से कम 75% उपस्थित रहने का तथा सत्रीय कार्य, टयूटोरियल कार्य, प्रयोगशाला का कार्य, सेमिनार में कम से कम 75% उपस्थित रहने का प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा समय-समय पर जो अभ्यास और आवधिक परीक्षाएं हुई है उनमें उत्कृष्टता के साथ सुयश अर्जन करने का प्रमाण-पत्र।

4. उपस्थिति में कमी होने की दशा में ऊर्जा शोधकार्य केन्द्र के निदेशक द्वारा दस प्रतिशत तक की कमी को क्षमा किया जा सकता है।

आवेदक द्वारा प्रवेश के लिए दिए जाने वाला शुल्क सिंडीकेट द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा।

6.1 प्रत्येक आवेदन को परीक्षा के लिए निम्नलिखित पढ़ाई करनी होगी।

(अ) अभियान्त्रिकी तथा प्रौद्योगिकी के संकाय द्वारा समय-समय पर तय किए गए प्रश्न-पत्रों में से कम से कम दस सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र, जिनका चयन ऊर्जा शोध केन्द्र के निदेशक के परामर्श से होगा। इस के साथ शर्त यह भी है कि इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के अंत में किसी भी आवेदक को पांच प्रश्न पत्रों से अधिक की परीक्षा देने की तथा पहले वर्ष की समाप्ति पर दस प्रश्न-पत्रों (जिनमें पहले समस्तर में उत्तीर्ण किए गए पांच प्रश्न-पत्र सम्मिलित रहेंगे) की परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी।

(आ) स्वच्छता के साथ टंकित या मुद्रित शोध प्रबंध की चार प्रतियाँ, जिन्हें अच्छी तरह संग्रहित किया गया हो, विश्वविद्यालय में जमा करवानी होंगी।

6.2 अध्ययन और परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होगा।

7.1 आवेदक अपना शोध-प्रबंध उस सम्बद्ध अध्यापक के निर्देशन में तैयार करेगा जो विश्वविद्यालय/विभाग/सहयोगी संस्था से संबंधित होगा तथा एक संयुक्त शोध निर्देशक होगा जो किसी अन्य संस्था,

उद्योग/निगम/अन्य संगठन से होग जो ऊर्जा के क्षेत्र के कार्यरत हो। फिर भी यदि ऊर्जा शोध केन्द्र का निदेशक इस बात से सहमत हो कि शोध प्रबन्ध को तैयार करने की सुविधाएं किसी अन्य जगह पर उपलब्ध हैं तो वह उसे अपना शोध प्रबंध वहां तैयार करने की अनुमति दे सकता है और उसका यह समय एम.टैक. (ऊर्जा प्रौद्योगिकी) के लिए आवश्यक कालावधि में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आवेदक को अपना शोध प्रबन्ध पूरा करने के लिए अपने शोध निर्देशक के या ऊर्जा शोध केन्द्र के निदेशक के प्रत्यक्ष निर्देशन में कम से कम चार सप्ताह कार्य करना अनिवार्य होगा।

7.2 शोध प्रबंध में क्रमबद्ध तथा आलोचनात्मक रूप में उस विषय के वर्तमान ज्ञान का विवरण होगा, मूल रूप से किए गए अनुसंधान के परिणाम होंगे तथा शोध कर्ता के स्वतंत्र रूप से शोध करने की क्षमता का प्रदर्शन होगा और शोध प्रबन्ध में यह लिखा जाएगा कि उसने स्वतंत्र रूप से क्या शोध-कार्य किया है तथा यह भी बताया जाएगा कि शोध-प्रबन्ध में सन्निहित अन्य सूचनाएं उसे कहां से प्राप्त हुई है।

7.3 विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के तीसरे समस्तर की समाप्ति पर शोध प्रबन्ध जमा कर देगा बशर्ते उसने पहले और दूसरे समस्तरों के सभी सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों की परीक्षा दे दी हो। शोध-प्रबन्ध का परीक्षा परिणाम तभी घोषित किया जाएगा जब उसने सभी दस सैद्धन्तिक प्रश्न-पत्रों को उत्तीर्ण किया होगा। यदि किसी विद्यार्थी का शोध-प्रबन्ध अस्वीकृत कर दिया जाता है या वह तीसरे समस्तर में अपना शोध-प्रबन्ध पूरा नहीं कर पाता है तो उसे अधिक से अधिक दो वर्षों की अवधि शोध प्रबन्ध को ज़मा करवाने या उसे संशोधित रूप में प्रस्तुत करने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ

यह भी प्रावधान किया जाता है कि स्थिति के अनुसार ऊर्जा शोध केन्द्र के निदेशक की संस्तुति पर इन दो वर्षों की अवधि कुलपति द्वारा दी जा सकती है।

7.4 शोध-प्रबन्ध की विषय वस्तु पर एक मौखिक परीक्षा होगी। यदि परीक्षक चाहें और इसे आवश्यक समझें तो विद्यार्थी की लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा भी कर सकते हैं।

8.1 किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निम्नलिखित प्रकार से अंक प्राप्त करने होंगे :

(अ) प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र में 40% अंक ।

(आ) प्रत्येक प्रश्न-पत्र के सत्रीय भाग में 50% अंक ।

8.2 यदि कोई विद्यार्थी विनिमय 8.1 के अनुसार किसी भी प्रश्न-पत्र/प्रश्न-पत्रों में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे बाद में होने वाली परीक्षा में उस प्रश्न-पत्र में फिर से परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए उसे प्रत्येक समस्तर परीक्षा में निर्धारित प्रति प्रश्न-पत्र के हिसाब से परीक्षा शुल्क देना होगा, जिसका निर्धारण समय-समय पर सिंडीकेट अधिकतम रूप में करेगी। साथ ही अन्य समस्तरों की परीक्षा के शुल्क का निर्धारण भी समय-समय पर सिंडीकेट द्वारा किया जाएगा, जिसमें वह परीक्षा देगा, इस शर्त के साथ कि उत्तीर्ण होने पर उसे विशेष योग्यता वाली कोटि में नहीं रखा जाएगा।

9. उत्तीर्ण हुए आवेदकों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाएगा :

(अ) वे विद्यार्थी जिन्होंने सभी सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों के पूर्णांक में से 75% प्राप्तांक और सत्रीय सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्रों के पूर्णांक में से कम से कम 50% प्राप्तांक प्राप्त किए हों और इसके साथ ही उसका शोध प्रबन्ध विशेष-योग्यता वाला समझा गया हो, इस शर्त के साथ कि उसने पहले ही प्रयास में परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण कर लिए हों (अर्थात विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा पहली बार में दी हो) । : विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण

(आ) वे विद्यार्थी जिन्होंने सभी सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र और सत्रीय प्रश्न-पत्र उत्तीर्ण कर लिए हों लेकिन जो विशेष योग्यता वाली उत्तीर्णता की श्रेणी में रखे जाने योग्य न हों । : प्रथम श्रेणी

10. प्रत्येक समस्तर की परीक्षा की समाप्ति के बाद चार सप्ताहों के अन्दर या जितनी जल्दी हो सके, परीक्षा नियंत्रक परीक्षा परिणाम को घोषित और प्रकाशित करेगा। प्रत्येक उत्तीर्ण परीक्षार्थी को उस समस्तर को उत्तीर्ण किए जाने संबंधी प्रमाण-पत्र तथा विनियमों के अनुसार उपाधि प्रदान की जाएगी।

11. यदि किसी व्यक्ति ने सभी सैद्धान्ति प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण कर लिया हो और वह शोध प्रबंध को पूरा न कर पाया हो तो उसे ऊर्जा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि दी जाएगी ।

31. सीनेट/भारत सरकार के अनुमोदन/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में औषधि निर्माण विज्ञान (फार्मेसी) में स्नातक परीक्षा से संबंधित (सन् 2003 के प्रवेश से प्रभावी) विनियम 3.1 :

3.1 पहले समस्तर के पाठ्य क्रम में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी। वही आवेदक इस परीक्षा को दे सकेगा जिसने 10+2 की परीक्षा भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान अनिवार्य विषयों के रूप में पढ़कर तथा निम्नलिखित विषयों में से किसी और विषय को पढ़कर उत्तीर्ण की हो :

1. गणित
2. जैव प्रौद्योगिकी
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. जीव-विज्ञान

32. सीनेट/भारत सरकार के अनुमोदन/ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में विनियम 2. (सन् 2003 से प्रभावी), जिसका संबंध स्थापत्य में स्नातक परीक्षा से है :

2. प्रथम समस्तर में प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा को वही आवेदक दे सकेगा, जिसने 10+2 कक्षा की परीक्षा भौतिक विज्ञान तथा गणित को अनिवार्य विषयों के रूप में तथा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय को लेकर उत्तीर्ण की हो।

1. रसायन विज्ञान
2. अभियान्त्रिकी रेखांकन (ड्राइंग)
3. कम्प्यूटर विज्ञान
4. जीव विज्ञान

33. (i) वियणन प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; (ii) कार्मिक प्रबन्धन तथा श्रमिक कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; (iii) अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोगा से संबंधित (2002-2003 के प्रवेश से प्रभावी) विनियम जिनकी प्रत्याशा विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने की है।

(i) विपणन प्रबंधन में स्नातकोतर डिप्लोमा ।

(ii) कार्मिक प्रबंधन तथा श्रमिक कल्याण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

(iii) अंतरराष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।

1. सभी स्नातकोत्तर डिप्लोमा के अध्ययन की कालावधि एक वर्ष की होगी। परीक्षा दो समस्तरों में विभाजित होगी। सामान्य रूप से पहले समस्तर की परीक्षा दिसम्बर में और दूसरे समस्तर की परीक्षा अप्रैल/मई के महीने में या सिंडीकेट द्वारा तय की गई तिथियों पर होगी ।

2. सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष/ महाविद्यालय का प्राचार्य प्रत्येक समस्तर की परीक्षा आरंभ होने के कम से कम पांच सप्ताह पहले परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा में प्रवेश के फार्म और परीक्षा शुल्क के साथ ऐसे विद्यार्थियों की सूची भेजेगा जिन्होंने विनियमों के अधीन सभी शर्तों को पूरा कर लिया है और जो परीक्षा देने के लिए सर्वथा योग्य हैं।

3. पहले समस्तर में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यताएं निम्नलिखित होंगी-

(अ) (i) किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी संकाय की स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, जिसे सिंडीकेट ने समकक्ष मान लिया हो तथा उसमें कुल प्राप्ताकों का प्रतिशत 45 हो :

शर्त यह है कि यदि किसी आवेदक ने विश्वविद्यालय की उपाधि किसी आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी/ उर्दू/पंजाबी गुरुमुखी लिपि) तथा/या प्राचीन भाषा (संस्कृत/फारसी/ अरबी) या किसी अन्य विश्वविद्यालय की इसी प्रकार की कोई उपाधि जिसे सिंडीकेट ने मान्यता दे दी हो, 45% कुल प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण की हो तो उस भाषा के सभी प्रश्न पत्रों के सभी कुल अंकों के प्रतिशत की गणना की जाएगी और इसमें अतिरिक्त ऐच्छिक प्रश्न-पत्र तथा अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र सम्मिलित नहीं रहेगा जो उसने मूल विषयों के साथ-साथ उत्तीर्ण किया है।

अथवा

(ii) (क) इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकांउटेंट ऑफ वेल्स या (ख) इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंव वकर्स अकांउटेन्टस ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड मैनेजमेंट एकाउंटेंटस इनकापोरेटिड बाय रॉयल चार्टर, लंदन,

या (ग) इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्णता।

अथवा

(iii) कम से कम 50% प्राप्तांकों के साथ ए. एम. आई. ई. परीक्षा में उत्तीर्णता।

4. प्रत्येक आवेदक की परीक्षा समय-समय पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए विषयों में होगी।

प्रत्येक प्रश्नपत्र में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30% अंक निर्धारित रहेंगें। इसमें सेमिनार, परियोजना तथा मौखिक परीक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

सेमिनार परियोजना तथा कार्यशाला का मूल्यांकन शत प्रतिशत होगा। मौखिक परीक्षा बाह्य परीक्षक और आंतरिक परीक्षक मिलकर लेंगे।

सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष/कॉलेज का प्राचार्य इन आवधिक परीक्षाओं, लिखित कार्यो, प्रकरण परिचर्या, सिंडीकेट सत्र, कार्यक्षेत्र भ्रमण आदि के अंको को परीक्षा आरंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पहले परीक्षा नियंत्रक को भेज देगा।

5. पहले समस्तर की परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकेगा ;

(i) जो पहले समस्तर की परीक्षा से ठीक पहले वाले समस्तर में विभाग/कॉलेज में नियमित विद्यार्थी रहा हो।

(ii) जिसने प्रत्येक प्रश्न पत्र में व्याख्यानों, परिसंवादों, प्रकरण परिचर्चाओं, सिंडीकेट सत्रों, कार्यक्षेत्र में भ्रमण, परियोजना कार्य इत्यादि में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिती दर्ज की हो।

6. दूसरे समस्तर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी नियमित विद्यार्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि :-

(अ) वह दूसरे समस्तर की परीक्षा आरंभ होने से ठीक पहले वाले समस्तर में विभाग कॉलेज में नियमित विद्यार्थी रहा हो।

(आ) उसने प्रत्येक प्रश्न-पत्र में व्याख्यानों, परिसंवादों, प्रकरण परिचर्चाओं, सिंडीकेट सत्रों, कार्यक्षेत्र में भ्रमण, परियोजना कार्य इत्यादि में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की हो।

(इ) वह प्रथम समस्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो या विनियम ..... के अधीन पुनः परीक्षा देने के योग्य घोषित किया गया हो।

7. प्रत्येक समस्तर में परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्धारित अंक निम्नलिखित रूप में होंगे :-

(i) विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में स्वतंत्र रूप से, तथा आंतरिक मूल्यांकन सहित संयुक्त रूप में भी 35% प्राप्तांक।

(ii) सेमिनार, परियोजना तथा मौखिक परीक्षा में 35% प्राप्तांक।

(iii) प्रत्येक समस्तर में कुल 45% प्राप्तांक ।

8. प्रत्येक समस्तर में विश्वविद्यालय की परीक्षा में कुल अंकों के एक प्रतिशत अंक कृपांक के रूप में दिए जाएंगें। कोई भी परीक्षार्थी अपने लाभ की दृष्टि से चाहे तो कुल अंकों में या किसी एक या एक से अधिक प्रश्न पत्रों में इन कृपांकों का लाभ उठा सकता है। ध्यान रहे कि ये कृपांक केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए या उच्चतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए ही प्रयुक्त हो सकते हैं, विशेष योग्यता के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए नहीं।

9. (अ) यदि कोई परीक्षार्थी पहले समस्तर में अनुतीर्ण रह जाता है और समस्तर में निर्धारित प्रश्न पत्रों में से 50% प्रश्न पत्रों में, स्वतंत्र रूप से तथा आंतरिक मूल्यांकन सहित संयुक्त रूप में कम से कम 35% अंक प्राप्त कर लेता है, तो उसे दूसरे समस्तर में पढ़ाई जारी रहने की अनुमति होगी, लेकिन उसे आगामी अप्रैल/मई की परीक्षा में ऐसे उन सभी प्रश्न-पत्रों में फिर से परीक्षा देनी होगी, जिनमें वह

दिसम्बर की परीक्षा में अनुतीर्ण रह गया था, साथ ही उसे दूसरे समस्तर की परीक्षा भी देनी होगी।

(आ) यदि कोई परीक्षार्थी दूसरे समस्तर की परीक्षा में अनुतीर्ण रह जाता है और वह स्वतंत्र रूप से तथा आंतरिक मूल्यांकन के साथ संयुक्त रूप में कम से कम 35% अंक उस समस्तर में निर्धारित प्रश्न-पत्रों में से 50% प्रतिशत प्रश्न पत्रों में प्राप्त कर लेता है, तो उसे समस्तर परीक्षाओं के साथ-साथ दो लगातार परीक्षाओं में उन प्रश्नों में फिर से परीक्षा देने की अनुमति होगी जिन्हें वह अप्रैल में हुई परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाया है।

व्याख्या : पांच प्रश्न-पत्रों का 50% दो प्रश्न पत्रों को माना जाएगा तथा सात प्रश्न पत्रों का 50% तीन प्रश्न-पत्रों को माना जाएगा। जाएगा जो इस विनियम के अनुसार है।

(इ) यदि कोई परीक्षार्थी दूसरे समस्तर के लिए ऊपर दिए गए अवसरों का उपयोग करने के बाद भी उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे यह पढ़ाई छोड़नी होगी।

10. यदि किसी विद्यार्थी को ऐसे प्रश्न पत्र में पुनः परीक्षा देनी हो, जिसमें शतप्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन का ही प्रबन्ध हो तो उसे फिर से कक्षा के व्याख्यानों में उपस्थिति रहे बिना उस प्रश्न-पत्र को उत्तीर्ण करने के लिए एक अवसर और दिया जाएगा। इसके लिए वर्क असाइनमेंट उसे सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष/कालेज का प्राचार्य देगा ।

11. यदि कोई परीक्षार्थी पहले और दूसरे समस्तर में अनुत्तीर्ण रहता है और वह 'पुनर्परीक्षा' के विनियमों की शर्तें पूरी नहीं करता है, तो उसे एक बार फिर आगामी नियमित परीक्षा देने की अनुमति, फिर से व्याख्यानों में उपस्थित हुए बिना, दी जा सकती है लेकिन उसे पूरी परीक्षा फिर से देनी होगी।

यदि कोई परीक्षार्थी दूसरे अवसर का उपयोग करने के बाद भी किसी समस्तर परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसे इस पाठ्यक्रम को छोड़ना पड़ेगा ।

12. किसी भी समस्तर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले परीक्षार्थी के आन्तरिक मूल्यांकन के अंक आगामी परीक्षा के साथ जोड़ दिए जाएंगे ।

13. उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाएगा:

(i) सभी समस्तरों की परीक्षाओं के कुल अंकों में से 75 प्रतिशत अंक पाने वाले ।

.....प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता के साथ

(ii) सभी समस्तरों की परीक्षाओं के कुल अंकों में से 60% या इससे अधिक तथा 75% से कम अंक पाने वाले ।

.....प्रथम श्रेणी

(iii) सभी समस्तरों की परीक्षाओं के कुल अंकों में से कम से कम 50% तथा 60% से कम अंक पाने वाले ।

.....द्वितीय श्रेणी

(iv) सभी समस्तरों की परीक्षाओं के कुल अंकों में से 50% से कम अंक पाने वाले ।

.....तृतीय श्रेणी

परीक्षा समाप्त होने के बाद, जितना शीघ्र हो सके, परीक्षा-नियंत्रक उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगा ।

34. होम्योपैथिक ओषधियाँ तथा शल्यचिकित्सा (बी.एच.एम.एस.) में स्नातक उपाधि परीक्षा से सम्बन्धित, (सन् 2002-2003 के सत्र से प्रभावी) तथा सीनेट/भारत से अनुमोदित किए जाने तथा भरत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिए जाने की प्रत्याशा में, विनियम :

(अ) होम्योपैथिक ओषधियाँ तथा शल्यचिकित्सा (बी.एच.एम.एस.) की स्नातक उपाधि की शैक्षणिक अवधि साढ़े सात वर्ष की होगी, जिसमें एक वर्ष की अनिवार्य इनटर्नशिप सम्मिलित है।

(आ) इसके अन्तर्गत चार परीक्षाएँ होंगी अर्थात् पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी। पहली परीक्षा 18 महीनों के बाद, दूसरी परीक्षा 30 महीनों की समाप्ति पर, तीसरी परीक्षा 42 महीनों की समाप्ति पर तथा चौथी परीक्षा 54 महीनों की समाप्ति पर होगी।

किसी भी विद्यार्थी के द्वारा अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए जाने के उपरान्त अनिवार्य तौर पर एक इनटर्नशिप होगी, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

<u>अनिवार्य इनटर्नशिप</u>

1. इनटर्नशिप कॉलेज के साथ गठबन्धित अस्पताल में होगी तथा जिन मामलों में ऐसे अस्पताल में सभी विद्यार्थियों को समा पाना सम्भव न हो पाए, उस दशा में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय निकायों के द्वारा चलाए जाने वाले दवाखानों में यह इनटर्नशिप की जा सकती है।

2. एक निर्दिष्ट समय तक इनटर्नशिप के पूरा कर लिए जाने, तथा जहाँ यह इनटर्नशिप की गई है, उस संस्था के अध्यक्ष के द्वारा संस्तुति किए जाने पर, सम्बद्ध विश्वविद्यालय की राज्य परिषद, यथास्थिति रूप में, उत्तीर्ण विद्यार्थी को उपाधि प्रदान करेगी।

3. इस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष मे वही विद्यार्थी प्रवेश पा सकता है, जसने प्रवेश के वर्ष में 31 दिसम्बर की तिथि तक 17 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद, किसी मान्यता-प्राप्त परिषद्, निकाय, समिति की या पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य किसी अन्य परीक्षा को भौतिक बिज्ञान, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान के साथ उत्तीर्ण करने के बाद, प्रवेश-परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर लिया हो।

4. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश की पद्धति वही होगी, जिसे विश्वविद्यालय समय-समय पर तय करेगा।

5. पहले व्यावसायिक बी.एच.एम.एस. (1½ वर्ष के उपरान्त होने वाली) परीक्षा की पद्धति :-

(i) किसी भी गैर-स्नातक को बी.एच.एम.एस. को पहली परीक्षा तभी देनी की अनुमति मिलेगी, जब वह परीक्षा के लिए निर्धारित विषयों की कक्षाओं सैद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों में नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए कम से कम 1½ वर्ष तक किसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में उपस्थित रहा हो और उस संस्था का अध्यक्ष इस बात से संतुष्ट हो।

(ii) पहला व्यावसायिक कालखंड (प्रोफेशनल पीरियड) सामान्यत: एक सितम्बर से आगामी वर्ष के फरवरी महीने के अन्त तक चलेगा। इसकी परीक्षा सामान्यत: मार्च के अन्त तक समाप्त होगी। पहले व्यावसायिक कालखंड की पूरक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के परिणाम की घोषणा के छ: सप्ताहों के भीतर ही आयोजित होगी। पहली प्रोफेशनल परीक्षा के उपरान्त किसी भी परीक्षार्थी को तीन और अवसर (नियमत: कुल चार अवसर) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दिए जाएंगे ।

(iii) तथापि, यदि कोई विद्यार्थी पहली प्रोफेशनल परीक्षा में, किसी एक विषय में, या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण रहता है, तो भी उसे दूसरे प्रोफेशनल में पढ़ने की अनुमति दी जा सकती है।

(iv) यदि कोई परीक्षार्थी पहले प्रोफेशनल बी.एच.एम.एस. की परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसे आगामी उच्चतर कक्षा में पढ़ने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन वह दूसरे प्रोफेशनल की परीक्षा तब तक नहीं दे सकेगा, जब तक कि वह पिछली कक्षा के सभी प्रश्नपत्रों (विषयों) में उत्तीर्ण नहीं हो जाता ।

(v) पहली प्रोफेशनल परीक्षा उन्हीं विषयों की होगी, जिसको पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। सभी परीक्षार्थियों के लिए इन सब विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(vi) होम्योपैथी के तथा सम्बद्ध ओषधीय विषयों में उत्तीर्णांक, प्रत्येक भाग में (लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक), 50% होंगे ।

(vii) किसी भी विषय में 75% या इससे अधिक अंक पाने वाले किसी भी परीक्षार्थी को प्रतिष्ठांक (आनर्स) दिए जाएंगे, यदि उनसे पहले ही प्रयास में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

(viii) परीक्षा देने से पूर्व, सभी परीक्षार्थियों को कॉलेज के प्राचार्य से इस बात का प्रमाणपत्र लेना होगा कि उन्होंने पहले प्रोफेशनल की परीक्षा के लिए निर्धारित सभी सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक पाठ्यक्रम का सभी विषयों में विधिवत् अध्ययन कर लिया है।

(ix) किसी एक या एक से अधिक विषयों में उत्तीर्ण न हो पाने वाला परीक्षार्थी पूरक परीक्षा दे सकता है।

पहले प्रोफेशनल की परीक्षा में सभी स्वीकार्य अवसरों, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है, का प्रयोग कर लेने के बावजूद यदि कोई परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसे पढ़ाई आगे ज़ारी रखने की अनुमति नहीं होगी। फिर भी, यदि किसी परीक्षार्थी की निजी बीमारी/कोई गम्भीर दुर्घटना/या कोई अपरिहार्य स्थिति/ या दशा का मामला हो, तो कुलपति उन अवसरों के बदले में एक या एक से अधिक अवसर पहले प्रोफेशन कोर्स को उत्तीर्ण करने के लिए दे सकता है।

(x) दूसरी प्रोफेशनल बी.एच.एम.एस. परीक्षा 2½ वर्ष की समाप्ति पर होगी।

(xi) दूसरे प्रोफेशनल कोर्स का सत्र सामान्यत: अप्रैल के महीने से, पहले प्रोफेशनल की परीक्षा की समाप्ति के बाद, शुरू होगा, और इसकी परीक्षा अगले वर्ष, 2½ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद, मार्च के महीने में होगी ।

(xii) दूसरे प्रोफेशनल कोर्स की परीक्षा, पहले प्रोफेशनल की परीक्षा के एक वर्ष के बाद, पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी विषयों में होगी। परीक्षार्थी से इन सब विषयों में उत्तीर्ण होना अपेक्षित है।

(xiii) सामान्यत: दूसरे प्रोफेशनल की पूरक परीक्षा सितम्बर के महीने में होगी। जो विद्यार्थी पूरक परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हों, वे आगामी दूसरे प्रोफेशनल की परीक्षा देने के योग्य होंगे ।

(xiv) होम्योपैथी तथा सम्बद्ध आयुर्विज्ञान के सभी विषयों के प्रत्येक भाग (लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक) में उत्तीर्णांक 50% होंगे।

(xv) किसी भी विषय में 75% या इससे अधिक अंक पाने वाले किसी भी विद्यार्थी को उस विषय में {प्रतिष्ठापूर्ण उत्तीर्णता (आनर्स)} दी जाएगी, यदि उसने परीक्षा पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण कर ली हो।

चौथे प्रोफेशनल की परीक्षा (4½ वर्ष के उपरान्त होने वाली)

(i) किसी भी विद्यार्थी को बी.एच.एम.एस. की चौथी परीक्षा तब तक देने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि :

(अ) उसने बी.एच.एम.एस. की तीसरी परीक्षा कम से कम एक वर्ष पहले उत्तीर्ण न कर ली हो ।

(आ) वह बी.एच.एम.एस. के पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी विषय नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ न चुका हो। ये सभी विषय उसके लिए उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

(ii) यदि कोई विद्यार्थी चौथी प्रोफेशनल परीक्षा में एक विषय या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण रहता है, तो वह चौथे प्रोफेशनल की आगामी परीक्षा दे सकता है, जो सामान्यत: प्रत्येक छ: सप्ताहों के बाद या सुयोग्य अधिकारी के द्वारा समय-समय पर तय किए गए समय पर होगी ।

(iii) होम्योपैथी तथा सम्बद्ध आयुर्विज्ञान के विषयों के सभी भागों (लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक) में उत्तीर्णांक 50% होंगे।

(iv) किसी भी विषय में 75% या इससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थी को प्रतिष्ठापूर्ण उत्तीर्णता (ऑनर्स) दी जाएगी, यदि उसने पहले प्रयास ही में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

6. <u>परीक्षा – परिणाम तथा पुनर्प्रवेश</u>

(i) प्रत्येक आवेदक को, परीक्षा के लिए घोषित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले, परीक्षा-शुल्क के साथ निर्धारित फार्म पर, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए सम्बद्ध अधिकारी को आवेदन देना होगा ।

(ii) परीक्षा की समाप्ति पर, यथाशीघ्र रूप में, परीक्षा-निकाय निम्नलिखित क्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची प्रकाशित करेगा :

(अ) वरीयता क्रम में पहले दस परीक्षार्थियों के नाम तथा उनके अनुक्रमांक ।

(आ) अन्य परीक्षार्थियों के क्रमबद्ध रूप में अनुक्रमांक ।

(iii) प्रत्येक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण हो जाने पर सम्बद्ध निकाय के द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

(iv) यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा देता है और किसी एक विषय या एकाधिक विषयों में अनुत्तीर्ण रहता है, तो उसे अनुत्तीर्णता वाले विषय के परीक्षा-भाग में पूरक परीक्षा देने की अनुमति होगी। इसके लिए उसे निर्धारित फार्म पर, निर्धारित शुल्क के साथ, प्रथम परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन के छः सप्ताह के बाद आवेदन देना होगा ।

(v) यदि किसी परीक्षार्थी को एक विषय या एकाधिक विषयों में, पूरक परीक्षा में, उत्तीर्णांक मिलते हैं, तो उसे सम्पूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा।

(vi) यदि कोई परीक्षार्थी पूरक परीक्षा में किसी एक विषय या एकाधिक विषयों में अनुत्तीर्ण रहता है, तो वह (विनियम के अधीन वांछित प्रमाणपत्र के अतिरिक्त) इस आशय का प्रमाणपत्र, कि उसने अनुत्तीर्णता वाले विषय या विषयों में नियमित रूप से कक्षाओं में पढ़ाई की है और प्राचार्य इस बात से संतुष्ट है, प्रस्तुत करने के उपरान्त आगामी वार्षिक परीक्षा दे सकता है। शर्त यह है कि उसे प्रथम बार पाठ्यक्रम के आरम्भ होने की तिथि से सम्पूर्ण परीक्षा की तिथि से भीतर ही चार अवसरों (पूरक परीक्षा को सम्मिलित करते हुए) के प्रयोग में ही परीक्षा के सभी भागों को उत्तीर्ण करना होगा।

(vii) यदि कोई विद्यार्थी निर्धारित चार अवसरों में भी सभी विषयों को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसे फिर से सभी विषयों को, सभी भागों सहित कॉलेज एक वर्ष तक प्राचार्य के संतोष तक, पढ़ना होगा और सभी विषयों में परीक्षा देनी होगी।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि यदि बी.एच.एम.एस. के चौथे प्रोफेशनल में निर्धारित अवसरों के अन्त तक किसी एक विषय को उत्तीर्ण नहीं कर पाता है, तो उसे आगामी परीक्षा में उस एक विषय को उत्तीर्ण करने की अनुमति

होगी और उसे इस विशेष अवसर से परीक्षा को पूरा करना होगा।

(viii) परीक्षा लेने वाला निकाय, अपवाद-स्वरूप परिस्थितियों में, सेंट्रल कौंसिल ऑफ़ होम्योपैथी को सूचित करते हुए, आंशिक रूप से या सम्पूर्णता में किसी परीक्षा को निरस्त कर सकता है और परीक्षा निरस्त होने के 30 दिनों के भीतर ही उन विषयों में दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा ।

7. वे ही विद्यार्थी बी.एच.एम.एस. की पहली, दूसरी, तीसरी तथा चौथी परीक्षा दे सकते हैं, जिनके पास निम्नलिखत योग्यताएँ हों :

(अ) जो कॉलेज में निरन्तर और नियमित, बी.एच.एम.एस. के पहले प्रोफेशनल में 1½ वर्ष; दूसरे, तीसरे तथा चौथे प्रोफेशनल में एक-एक वर्ष, विद्यार्थी रहे हों ।

(आ) जिनका चरित्र अच्छा हो ।

(इ) जो निम्नलिखित में अलग-अलग रूप में कम से कम 75% उपस्थित रहे हों :

(i) दिए गए व्याख्यानों में

तथा

(ii) प्रदर्शनों (डिमांस्ट्रेशंस) तथा किए गए प्रयोगों में ।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि कॉलेज का प्राचार्य प्रत्येक सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक विषय में अलग-अलग रूप में कुल दिए गए व्याख्यानों की 5% तक उपस्थिति की कमी को माफ कर सकता है, जिसमें सभी प्रकार के क्रियाकलाप का समय अर्थात अवकाश, खेल-कूद, समारोह आदि सम्मिलित हैं।

35. एम.एस-सी. (शरीर विज्ञान) से संबन्धित सीनेट/भारत सरकार के अनुमोदन/भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में (सन् 2003-2004 से प्रभावी) विनियम :

मास्टर ऑफ साइंस (शरीर विज्ञान) से संबन्धित विनियम

1. एम.एस-सी. शरीर विज्ञान (फिज़ियोलोजी) के पाठ्क्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्षो की होगी।

2. परीक्षा की पद्धति अर्थात् वार्षिक पद्धति या समस्तर पद्धति नियमानुसार होगी।

3. एम.एस-सी. शरीर विज्ञान में वही व्यक्ति प्रवेश का पात्र होगा, जिसने पंजाब विश्वविद्यालय की या अन्य किसी विश्वविद्यालय की सिंडीकेट के द्वारा समकक्ष मान्यताप्राप्त निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक को उत्तीर्ण किया हो:

   1. बी. एस. सी. (शरीर रचना (एनॉटॉमी), शरीर विज्ञान तथा जैव-रसायनविज्ञान के साथ) ।
   2. बी. एस. सी. मानव जीव विज्ञान (ह्यूमन बॉयोलोजी/जीवन विज्ञान (लाइफ साइंस)) ।
   3. बी. एस-सी. (आनर्स स्कूल : शरीर विज्ञान/प्राणिविज्ञान (जूआलोजी)/जैव-रसायन विज्ञान/जैव-भौतिकी/जैव-प्रौद्योगिकी के साथ) ।
   4. बी. एस. सी. प्राणिविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, रसायन विज्ञान/जैव-रसायन विज्ञान ।

4. <u>परीक्षा के लिए पात्रता – अंक</u>

(i) कोई भी विद्यार्थी तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि उसे अलग-अलग प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के प्रत्येक सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रश्न-पत्र में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं।

(ii) प्रत्येक सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रश्न-पत्र (भाग-I तथा भाग-II) में आंतरिक मूल्यांकन में कुल निर्धारित अंकों के दस प्रतिशत अंक निर्धारित अंक हैं। सैद्धान्तिक प्रश्न-पत्र में आंतरिक मूल्यांकन के अंक, विभाग द्वारा समय-समय ली गई विभिन्न परीक्षाओं में समवेत रूप में निष्पादन क्षमता के आधार पर किए जाएंगे। प्रयोगों के लिए आंतरिक मूल्यांकन का आधार विभाग द्वारा समय-समय पर प्रायोगिक परीक्षाओं में निष्पादन क्षमता को माना जाएगा।

(iii) शोध-प्रबंध को 'संतोषजनक' या 'असंतोषजनक' के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा तथा 'संतोषजनक' को ही उत्तीर्ण घोपित किया जाएगा।

(iv) यदि कोई विद्यार्थी पढाई पूरी करने के बाद परीक्षा (भाग -I या भाग II) में अनुतीर्ण रह जाता है या परीक्षा को वैध कारणों से नहीं दे पाता तो वह पूरक परीक्षा दे सकता है। उसे वर्ष की पढ़ाई के पूरे किए जाने पर आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए गए अंक पूरक परीक्षा में जोड़ दिए जाएंगे।

(v) यदि कोई विद्यार्थी तीन प्रयासों में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाता हो उसे शरीर विज्ञान में एम.एस.सी की परीक्षा के लिए पढ़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। ध्यान रहे, इसके लिए अधिकतम अवधि तीन वर्ष की होगी जो, इस पाठ्यक्रम में उसके प्रवेश लेने की तिथि से गिनी जाएगी। विद्यार्थी को भाग-। की परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता तभी मिलेगी जब उसने भाग-एक की परीक्षा उतीर्ण कर ली हो। यदि किसी विद्यार्थी का शोध प्रबन्ध संतोषजनक स्वीकृत हो गया हो लेकिन वह भाग -।। की परीक्षा मे अनुतीर्ण रह गया/ गई हो तो उसे दोबारा शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

5. शरीर विज्ञान में एम.एस.सी. भाग-। की परीक्षा के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी और इन्हें अपने कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा सूचित करना होगा कि वह कक्षा में दिए गए सैद्धान्तिक व्याख्यानों और किए गए प्रयोगों में अलग-अलग रूप में कम से कम 75% उपस्थित रहा/रही है। (यह गणना परीक्षा आंरभ होने की तिथि से एक महीने पहले तक लागू होगी)।

भाग-।। की परीक्षा में वही विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेगा जो संस्था के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(अ) शरीर विज्ञान में एम.ए.सी भाग-। परीक्षा उर्त्तीण करने का ।

(आ) उसकी उपस्थिति (i) पूरे पाठ्यक्रम में कथा में दिए गए प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कुल व्याख्यानों में 75%

(यह गणना परीक्षा आरंभ होने की तिथि से एक महीना पहले तक की होगी। (ii) पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रायोगिक कक्षाओं में 75% उपस्थिति ।

(इ) अपने निर्देशक के निर्देशानुसार उसने अपना शोध-प्रबंध प्रस्तुत कर दिया हो।

(ई) यदि कोई विद्यार्थी भाग-I की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे भाग II की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति होगी, लेकिन उसे भाग II की पढ़ाई जारी रखने की अनुमति होगी, लेकिन उसे भाग II की परीक्षा देने की अनुमति तभी मिलेगी, जब वह भाग I की परीक्षा उत्तीर्ण कर लगा/लेगी।

6. प्रवेश के फार्म स्वीकार करने की, बिना विलम्ब-शुल्क और विलम्ब-शुल्क के साथ, सिंडीकेट के द्वारा तय की जाएगी तथा इसकी अधिसूचना परीक्षा-नियंत्रक ज़ारी करेगा।

7. <u>उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का श्रेणी-विभाजन</u>

परीक्षा-नियंत्रक परीक्षा समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के सूची प्रकाशित करेगा। भाग-I तथा भाग-II की परीक्षा देने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी को एक विस्तृत अंक-पत्र दिया जाएगा।

8. सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाएगा, जो भाग-I तथा भाग-II की परीक्षाओं में संयुक्त रूप से उनके प्राप्तांकों पर आधारित होंगी।

(i) पहले ही प्रयास में परीक्षा को प्रथम श्रेणी प्रतिष्ठा के साथ उत्तीर्ण कर लेने वाले तथा 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले ।	:	प्रथम श्रेणी प्रतिष्ठा के साथ

(ii) कुल अंकों में से 60% या इससे अधिक तथा 75% से कम अंक प्राप्त करने वाले । : प्रथम श्रेणी

(iii) कुल अंकों में से 50% या इससे अधिक तथा 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले । : द्वितीय श्रेणी

36. नारी-विषयक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्वि-समस्तर पाठ्यक्रम) तथा नारी-विषयक/लिंग-परक अध्ययन में एम0 फिल0 की परीक्षा, सन् 2002 से सम्बन्धित, विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों/ भारत सरकार के अनुमोदन तथा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की प्रत्याशा में विनियम :

(i) नारी-विषयक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (द्वि-समस्तर पाठ्यक्रम);

(ii) नारी-विषयक अध्ययन में एम0 फिल

तथा

(iii) नारी-विषयक अध्ययन में पी-एच0डी0 ।

<u>नारी -विषयक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोगा</u>

1. नारी-विषयक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की अवधि दो समस्तरों में विभाजित एक वर्ष की होगी।

2. पहले और दूसरे समस्तर में वे अनिवार्य/ऐच्छिक प्रश्नपत्र होंगे, जिनका प्रावधान नियमों/पाठ्यक्रम में होगा।

3. इस पाठ्यक्रम में वही विद्यार्थी प्रवेश ले सकेगा, जिसने इस विश्वविद्यालय की निम्नलिखित परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा को, या पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा निम्नलिखित परीक्षाओं के समकक्ष मानी गई अन्य किसी विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो ।

(i) किसी भी संकाय की स्नातक उपाधि, कुल 50% प्राप्तांकों के साथ ।

(ii) बी. ए. (उत्तीर्ण), नारी विषयक / लिंग-विषयक अध्ययन या लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान या इतिहास या अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या मानोविज्ञान या गांधी साहित्य या भूगोल या मनोविज्ञान के साथ, कम से कम 45% प्राप्तांक सहित ।

4. नारी विषयक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की सामान्यत: पहले समस्तर की परीक्षा दिसम्बर के महीने में तथा दूसरे समस्तर की परीक्षा अप्रैल/मई के महीने में या विश्वविद्यालय के द्वारा तय की गई तिथियों पर होगी।

5. परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र जिसमें परियोजना कार्य, क्षेत्र-भ्रमण, सेमिनार, कार्यशाला आदि सम्मिलित हैं, में न्यूनतम 40% अंक अपेक्षित हैं।

6. पहले समस्तर की परीक्षा वही परीक्षार्थी दे सकेगा।

(i) जो पहले समस्तर की परीक्षा से ठीक पूर्व के समस्तर में

विभाग का नियमित विद्यार्थी रहा हो ।

(ii) जो प्रत्येक प्रश्नपत्र में कुल व्याख्यानों परिसंवादों, क्षेत्र-भ्रमणों, कार्यशालाओं आदि में 60% से कम उपस्थित न रहा हो ।

7. दूसरे समस्तर की परीक्षा वही विद्यार्थी दे सकेगा:

(i) जो दूसरे समस्तर की परीक्षा से ठीक पहले वाले समस्तर में विभाग का नियमित विद्यार्थी रहा हो।

(ii) जो प्रत्येक प्रश्नपत्र के कुल व्याख्यानों, परिसंवादों, क्षेत्र-भ्रमणों, कार्यशालाओं आदि में 60% से कम उपस्थित न रहा हो।

(iii) जिसने पहले समस्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो या जो विनियम सं. _____ की शर्तों को पूरा करता हो।

8. यदि कोई परीक्षार्थी पहले समस्तर में उत्तीर्ण न हो सका हो, और उसने समस्तर में निर्धारित प्रश्नपत्रों में कम से कम 35% अंक प्राप्त किए हों, तो उसे दूसरे समस्तर में पढ़ाई ज़ारी रखने की अनुमति होगी, किन्तु उसे उन सभी प्रश्न पत्रों की आगामी अप्रैल/मई के महीने मे फिर से परीक्षा देनी होगी, जिनमें वह दिसम्बर में हुई परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह गया/गई हो, साथ ही उसे दूसरे समस्तर की परीक्षा भी देनी होगी। यदि वह दूसरी बार भी अनुत्तीर्ण रह जाता/जाती है, तो उसका दूसरे समस्तर का परीक्षा-परिणाम निरस्त कर दिया जाएगा और उसे इस पाठ्यक्रम की पढ़ाई छोड़नी होगी।

यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरे समस्तर में निर्धारित प्रश्नपत्रों में कम से कम 35% अंक प्राप्त किए हों, लेकिन वह अनुत्तीर्ण रह गया/गई हो, तो उसे व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्णता वाले प्रश्नपत्रों की फिर से परीक्षा देने की, बिना पुनः प्रवेश लिए, पाठ्यक्रम समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ही, अनुमति होगी।

9. उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रखा जाएगा।

(i) 60% या इससे अधिक अंक पाने वाले विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी मिलेगी।

(ii) 50% या इससे अधिक, किन्तु 60% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को द्वितीय श्रेणी मिलेगी।

(iii) 50% से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी मिलेगी।

10. किसी परीक्षार्थी को पुनः परीक्षा की देयता वाले प्रश्नपत्रों की पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्रों के कुल अंकों के 1% कृपांक उस स्थिति में दिए जा सकते हैं, यदि इन कृपांकों से वह उन प्रश्नपत्रों में उत्तीर्ण हो जाता/जाती है। पहले और दूसरे समस्तर की परीक्षाओं के कुल अंकों के 1% कृपांक पहले और दूसरे समस्तर दोनों के प्राप्तांकों में उच्चतर श्रेणी के हेतु, जोड़े जा सकते हैं। यदि उसे उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिए गए हों, चाहे वह पहले समस्तर की परीक्षा हो या दूसरे समस्तर की परीक्षा हो।

11. यदि कोई परीक्षार्थी अपनी श्रेणी को उच्चतर बनाने के लिए फिर से परीक्षा देता है, तो उसे निम्नलिखित रूप में कुल अंकों के 1% कृपांक मिलेंगे: -

(i) यदि कोई परीक्षार्थी किसी एक समस्तर की ही फिर से परीक्षा देता/देती है, उसे पुनः परीक्षा दिए जाने वाले प्रश्नपत्र के कुल अंकों के 1% कृपांक दिए जाएंगे।

(ii) यदि कोई परीक्षार्थी दोनों समस्तरों की परीक्षा फिर से देता है, तो उसे दोनों समस्तरों के अंकों के कुल योग के 1% कृपांक दिए जाएंगे।

शर्त यह है कि किसी भी परीक्षार्थी को उतने अंकों से अधिक कृपांक नहीं दिए जाएंगे, जितने न्यूनतक अंकों की उच्चतर श्रेणी पाने के लिए उसे आवश्यकता है। परीक्षा के समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र परीक्षा-नियंत्रक उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची प्रकाशित करेगा।

नारी – विषयक अध्ययन में एम0 फिल0 से सम्बन्धी विनियम

1. एम0 फिल0 पाठ्यक्रम की अवधि अठ्ठारह महीनों की होगी, जो तीन समस्तरों में विभाजित रहेगी।

2. पहले दो समस्तरों की शर्तें वे ही होंगी, जो स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की हैं।

3. तीसरे समस्तर में किसी भी विद्यार्थी को एक शोध प्रबंध लिखना और प्रस्तुत करना होगा, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित रहेंगे और इसे पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद छः महीनों के अन्दर ही प्रस्तुत करना होगा।

4. इसमें वही व्यक्ति प्रवेश के लिए आवेदन दे सकेगा, जिसने इस विश्वविद्यालय की किसी भी संकाय की स्नातकोत्तर उपाधि, या किसी अन्य विश्वविद्यालय की, इस विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष घोषित की गई कोई उपाधि, प्राप्त की हो।

5. जिन विद्यार्थियों ने नारी-विषयक अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो, वे चाहें तो नारी-विषयक अध्ययन में एम0 फिल0 की पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंनें किसी भी संकाय, इसी विश्वविद्यालय ने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि के समकक्ष मान लिया हो, में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों।

पी–एच0 डी0 कार्यक्रम

पी–एच0 डी0 के कार्यक्रम में किसी भी संकाय की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश दिया जा सकता है। अन्य शर्तें विश्वविद्यालय के नियमों तथा विनियमों के अनुसार होंगी।

आर. एल. धवन
डिप्टी रजिस्ट्रार (जनरल)

21.04.2006 के दिन (शुक्रवार) मेरी उपस्थिति में पंजाब विश्वविद्यालय की सामान्य मोहर लगाई गई।

एस0 एस0 बारी
कुलसचिव

वार्षिक लेखा

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

नई दिल्ली-110025

आय और व्यय की आरेखीय प्रस्तुति

2004 - 2005

(राशि लाखों में)

आय

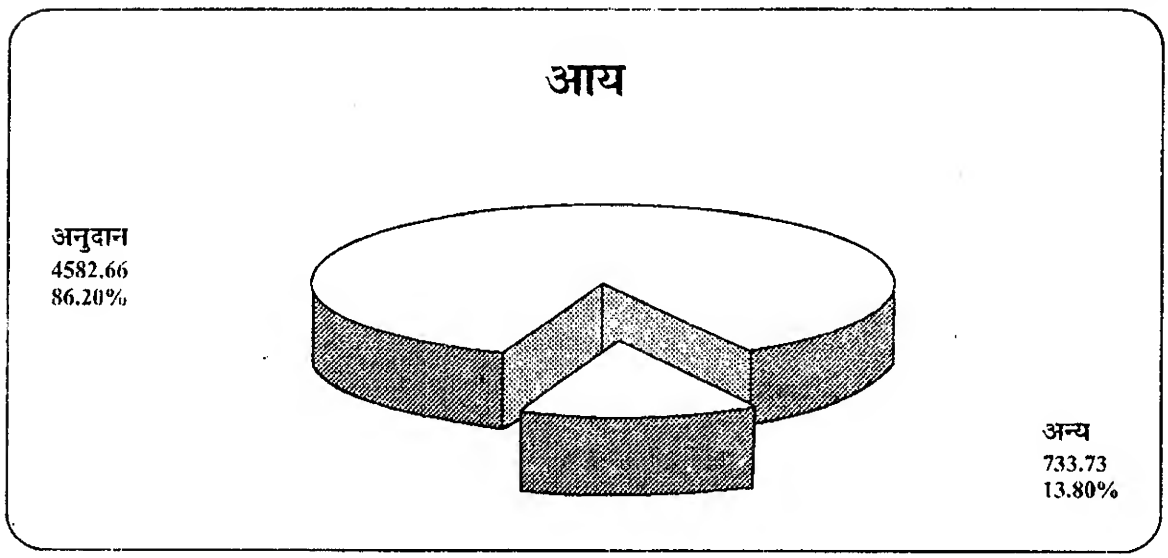

व्यय

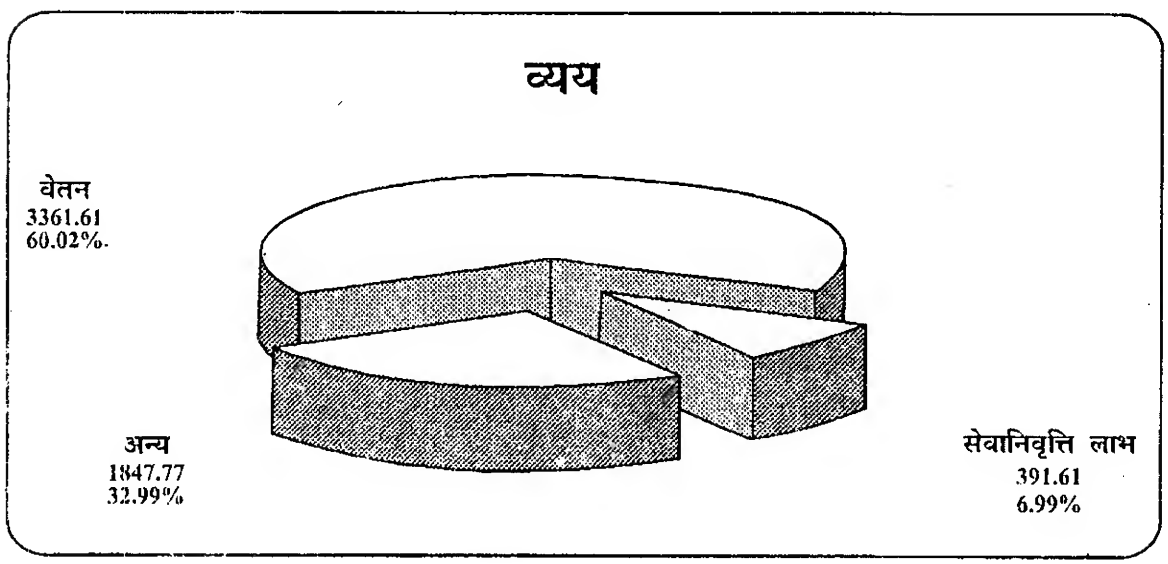

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

तुलन-पत्र

जा मि इ एम.सी.आर.सी. 31.03.2004	जा मि इ प्रमुख 31.03.2004	देयताएं	जा मि.इ एम सी आर सी 31.03.2005	जा मि इ प्रमुख 31.03.2005
		पूंजीगत निधि		
264,540,184	924,391,643	संलग्नक 'ख' के अनुसार	305,306,364	1,101,525,189
		निधियां संलग्नक 'ख'		
--	48,672,480	क. प्रयोजन-विशिष्ट खाता	--	49,108,422
--	288,196,890	ख. भविष्य निधि खाता	--	319,242,865
14,573,127	73,501,514	ग. जमा खाता	7,733,417	73,318,170
		प्रतिभूतियां एवं जमा		
1,131,299	17,146,796	क. प्रतिभूति-संलग्नक 'ख'	2,860,477	26,215,457
--	83,599,599	ख. जमा संलग्नक 'ख'	--	118,087,593
		अव्यतित शेष- संलग्नक 'ग'		
963,857	--	क. राजस्व खाता वि वि अ आ	547,792	--
102,452,040	31,674,880	ख. योजना एवं विकास खाता वि वि अ आ	72,262,287	--
--	97,526,920	ग. प्रयोजन विशिष्ट खाता	--	119,844,937
--	62,297,000	**2005-06 के लिए वि वि अ आ से अग्रिम अनुदान संलग्नक 'ख'**	--	--
--	28,119,084	**भविष्य निधि ब्याज खाता** संलग्नक 'ख' के अनुसार	--	21,367,341
		छात्रावासों का बेशी		
--	1,612,615	संलग्नक 'ख' के अनुसार	--	1,620,463
		रसोईघरों का बेशी		
--	1,170,004	संलग्नक 'ख' के अनुसार	--	792,291
		प्रेषण एवं अग्रिम		
149,483	1,631,353	संलग्नक 'ख' के अनुसार (परियोजनाओं सहित)	304,833	85,395,564
383,309,990	**1,659,540,778**		**389,015,170**	**1,916,518,292**

ह.
(आयतुल्लाह)
लेखाकार

ह.
(ज़फरउल्लाह खां)
लेखा अधिकारी

नई दिल्ली - 110 025

31-03-2005 को स्थायी

जा मि इ एम.सी.आर.सी. 31.03.2004	जा मि इ प्रमुख 31.03.2004	परिसम्पत्तियां	जा मि इ एम सी आर सी 31.03.2005	जा मि इ प्रमुख 31.03.2005
		स्थायी परिसम्पत्तियां		
264,540,184	924,391,643	संलग्नक 'क' के अनुसार	305,306,364	1,101,525,189
		निवेश-संलग्नक 'ग'		--
41,525,040	30,893,000	क. योजना एवं विकास खाता	69,386,420	
--	40,938,596	ख. प्रयोजन विशिष्ट खाता	--	116,876,596
--	315,300,000	ग. भविष्य निधि खाता	--	339,800,000
13,196,662	24,206,050	घ. जमा खाता	1,032,930	75,681,050
--	2,600,000	ड.. छात्रावास एवं रसोई खाता	--	2,100,000
		मक्तबा जामिआ लि. में अंश (लागत पर)		
--	92,070	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	--	92,070
		प्रतिभूति एवं जमा		
--	27,744	संलग्नक 'ग' के अनुसार	--	27,744
		वसूली योग्य शेष – संलग्नक 'ग'		
--	53885,935	क. राजस्व खाता वि वि अ आ	--	82,346459
--	--	ख. योजना खाता	658,898	339,302
--	26,547,223	ग. प्रयोजन विशिष्ट खाता	--	10,630,085
		प्रेषण एवं अग्रिम		
10,657,081	64,568,571	संलग्नक 'ग' के अनुसार (प्रयोजनाओं सहित)	1,559,058	143,792,526
		नकद एवं बैंक शेष संलग्नक 'ग' के अनुसार		
906,315	74,671,524	क. राजस्व खाता	460,432	1,641,752
50,353,827	1,182,395	ख. योजना एवं विकास खाता	2,695,413	2,613,720
--	44,527,046	ग. प्रयोजन विशिष्ठ खाता	--	5,176,333
--	1,015,974	घ. भविष्य निधि खाता	-	810,206
2,630,881	54,084,803	ड. जमा खाता	7,915,655	32,219,544
--	608,204	च. छात्रावास व रसोई खाता	--	845,716
383,809,990	**1,659,540,778**		**389,015,170**	**1,916,518,292**

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो. ज़ेड.एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

संलग्नक 'क'

तुलन-पत्र

31-03-2005 को स्थाय

विवरण	01.04.2004 को शेष		वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियाँ	
	जा.मि.इ. एम.सी. आर. सी.	जा.मि.इ. विशेष	जा.मि.इ. एम. सी.आर.सी.	जा.मि.इ.विशेष
1	2		3	
भूमि	--	14,787,531	--	55,500
भवन	6,041,398	483,689,554	--	--
फर्नीचर और उपस्कर	14,787,331	124,500,003	--	--
प्रयोशाला एवं कर्मशाला	234,839,469	138,598,696	--	--
कम्प्यूटर्स	--	72,695,921	--	--
पुस्तकें	1,727,620	73,626,681	--	197,662
शिविर उपकरण	--	13,310	--	--
गाउन्स	--	2,998	--	--
विद्युत फिटिंग	2,802,965	10,405,060	--	--
मुद्रणालय	--	127,464	--	--
फिल्में व वीडियो फिल्में	2,827,297	749	--	--
नलकूप	--	885,573	--	--
कार एवं लारी	1,514,104	4,994,646	--	--
हथियार एवं बारूद	--	63,457	--	--
योग:	**264,540,184**	**924,391,643**	--	**253,162**

ह.

(आयतुल्लाह)

लेखाकार

ह.

(जफरउल्लाह खां)

लेखा अधिकारी

सम्बधित संलग्नक
परिसम्पत्तियों का ब्यौरा

वर्ष के दौरान वृद्धि		31.03.2005 को शेष	
जा.मि.इ.एम.सी. आर.सी.	जा.मि.इ. विशेष	जा.मि.इ.एम.सी. आर.सी.	जा.मि.इ.विशेष
4		5(2-3+4)	
--	--	--	14,732,031
--	115,649,925	6,041,398	599,339,479
39,967,049	37,801511	54,754,380	162,301,514
202,196	592,915	235,041,665	139,191,611
--	10,963,444	--	83,659,365
437,338	12,364,063	2,164,958	85,793,082
--	--	--	13,310
--	14,850	--	17,848
--	--	2,802,965	10,405,060
--	--	--	127,464
159,597	--	2,986,894	749
--	--	--	885,573
--	--	1,514,104	4,994,646
--	--	--	63,457
40,766,180	**177,386,708**	**305,306,364**	**1,101,525,189**

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो. ज़ेड.एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

सलग्नक 'ख'

तुलन-पत्र

विवरण	जा.मि.इ.एम.सी.आर.सी.	जा.मि.इ.विशेष
1. अनुदान का पूंजीकृत मूल्य		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	264,540,184	924,391,643
घटाएं: बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियों का मूल्य	--	253,162
	264,540,184	**924,138,481**
वर्ष के दौरान वृद्धि	40,766,180	177,386,708
	305,306,364	**1,101,525,189**
2. निधियाँ		
क. प्रयोजन विशिष्ट खाता	--	33,110,438
i. गृह निर्माण आग्रिम हेतु आवर्तक निधि	--	2,652,156
ii. वाहन एवं पंखा अग्रिम हेतु आवर्तक निधि	--	500,000
iii. डा.जाकिर हुसैन धर्मादा निधि	--	12,845,828
	--	**49,108,422**
ख. भविष्य निधि खाता		
i.) सामान्य भविष्य निधि अंशदान	--	283,103,625
ii.) सी.पी.एफ अंशदान	--	23,002,700
iii.) सी.पी.एफ. योगदान	--	13,136,540
	--	**319,242,865**
ग. जमा खाता	**7,733,417**	**73,318,170**

सम्बंधित संलग्नक

विवरण		जा.मि.इ.एम.सी.आर.सी.	जा.मि.इ.विशेष
3. प्रतिभूतियाँ एवं जमा (देयताएं)			
क. प्रतिभूतियाँ			
i.)	राजस्व खाता	--	8,122.221
ii.)	योजना एवं विकास खाता	1,358,735	4,288,996
iii.)	प्रयोजन-विशिष्ट खाता	--	2,710,538
iv.)	जमा खाता	1,501,742	11,093,702
		2,860,477	**26,215,457**
ख. जमा			
	जमा खाता	--	118,087,593
4. ब्याज खाता (भ.नि.)		--	21,367,341
5. छात्रावासों का बेसी			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	--	1,612,615
	जोड़ें : वर्षकालीन वृद्धि	--	7,848
		--	**1,620,463**
6. रसोई घरों का बेसी			
	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	--	1,170,004
	घटाएं : वर्षकालीन घाटा	--	377,713
		--	**792,291**

संलग्नक 'ख' जारी

तुलन-पत्र

विवरण	जा.मि.इ.एम.सी.आर.सी	जा.मि.इ. विशेष
7. प्रेषण एवं अग्रिम (देयताएं)		
क. राजस्व खाता	-	76,163,977
ख. योजना एवं विकास खाता	--	730
ग. प्रयोजन विशिष्ट खाता	--	2,178,220
घ. जमा खाता	304,833	3,269,218
ड. छात्रावास एवं रसोई खाता	--	783,419
	304,833	85,395,564

8. 2005-2006 के लिए वि. वि. अ.आ. से अग्रिम अनुदान

ह.
(आयतुल्लाह)
लेखाकार

ह.
(जफरउल्लाह खां)
लेखा अधिकारी

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो. ज़ेड.एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

सम्बंधित संलग्नक

संलग्नक 'ग'

विवरण	जा.मि.इ.एम.सी.आरसी.	जा.मि.इ. प्रमुख
1. निवेश		
क. योजना एवं विकास खाता	69,386,420	--
ख. प्रयोजन विशिष्ट खाता		
i) डा.जाकिर हुसैन धर्मादा निधि निवेश	--	500,000
ii) दलित अध्ययन पीठ धर्मादा निधि निवेश	--	12,438,596
iii) अल्पकालीन जमा	--	103,938,000
	--	116,876,596
ग. भविष्य निधि खाता	--	339,800,000
ड. जमा खाता	1,032,930	75,681,050
च. छात्रावास एवं जमा खाता	--	2,100,000
2. प्रतिभूतियां एवं जमा (परिसम्पत्तियां)		
राजस्व खाता		27,744
3. प्रेषण एवं अग्रिम (परिसम्पत्तियां)		
क. राजस्व खाता	87,360	3,270,243
ख. योजना एवं विकास खाता	880,291	1,336,704
ग. प्रयोजन विशिष्ट खाता	--	41,159,103
घ. जमा खाता	591,407	97,776,019
ड. छात्रावास एवं रसोई खाता	--	250,457
	1,559,058	**143,792,526**

संलग्नक 'ग' जारी

तुलन-पत्र

4. 31.03.2005 को अव्ययित / वसूली योग्य शेष

विवरण	01.04.2004 को शेष	
	वसूली योग्य	अव्ययित
ध्व. वि. अ. आः अनुरक्षण अनुदान		
ज.मि.इ. प्रमुख	53,885,935	--
ज.मि.इ. एम.सी.आर. सी.	--	963,857
ध्व.वि.अ.आ.: योजना एवं विकास अनुदान		
ज.मि.इ. प्रमुख	--	31,674,880
ज.मि.इ. एम.सी.आर.सी.	--	102,452,040

टिप्पणी : प्रयोजन **विशिष्ट अनुदान** (जा.मि.इ. प्रमुख) सीधे तुलन-पत्र में लिया गया ।

वसूली योग्य	Rs. 10,630,085
अव्ययित	Rs. 119,844,937

सम्बंधित संलग्नक

वर्ष 2004-2005 के दौरान आय पर व्यय का आधिक्य	वर्ष 2004-2005 के दौरान व्यय पर आय का आधिक्य	31-03-2005 को तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	
		वसूली योग्य	अव्ययित
28,460,524	--	82,346,459	--
416,065	--	--	547,792
32,014,182	--	339,302	--
30,189,753	--	--	7,226,228
658,898	-	658,898	--

संलग्नक 'ग' जारी

5. 31.3.2005 को नकद व बैंक शेष

तुलन-पत्र

विवरण	राजस्व खाता		योजना खाता	
	जा.मि.इ. एम.सी.आर.सी.	जा.मि.इ. प्रमुख	जा.मि.इ. एम.सी.आर.सी.	जा.मि.इ. प्रमुख
हस्तस्थ रोकड़	11	99,782	553	--
बैंक में शेष				
इंडियन बैंक	431,310	324,294	2,686,817	2,613,720
यू. वी. आई., जामिआ नगर	29,111	1,217,676	8,043	--
योग :	460,432	1,641,752	2,695,413	2,613,720

ह.
(आयतुल्लाह)
लेखाकार

ह.
(जफरउल्लाह खां)
लेखाधिकारी

सम्बंधित संलग्नक

प्रयोजन विशिष्ट खाता		भ. नि. खाता	जामा खाता		छात्रावास एवं रसोई खाता
जा.मि.इ. एम.सी.आर.सी.	जा.मि.इ.प्रमुख	जा.मि.इ. प्रमुख	जा.मि.इ. एम.सी.आर.सी.	जा.मि.इ. प्रमुख	जा.मि.इ. प्रमुख
--	51,976	--	296	23,984	2,473
--	5,124,357	810,206	7,911,539	32,195,560	843,243
--	--	--	3,820	--	--
--	**5,176,333**	**810,206**	**7,915,655**	**32,219,544**	**845,716**

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो. जेड.एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

राजस्व

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

2003-2004	प्राप्ति		राशि
	अथ शेष		
106,892	हस्तस्थ रोकड़	169,662	
87,879,120	बैंक में शेष (यू.बी.आई)	214,034	
196,742	बैंक में शेष (इंडियन बैंक)	74,287,828	74,671,524
	वि.वि.अ.आ सहायता अनुदान		
327,097,000	अनुरक्षण अनुदान 2004-2005		395,969,000
2,693,000	वर्ष 2001-2002 के घाटे के लिए अनुदान		
62,297,000	अग्रिम अनुदान 2005-2006		
69,650,000	एम.सी.आर.सी. के लिए अनुदान		29,186,143
56,761,295	**अनुदान के अतिरिक्त प्राप्तियां**		73,372,770
4,250,362	**प्रतिभूतियां एवं जमा**		4,345,392
62,110,096	**प्रेषण एवं अग्रिम**		88,150,140
	निवेशों की वसूली		
140,330,000	अल्पकालीन जमा		125,000,000
813,371,507	**योग :**		**790,694,969**

ह.
(आयतुल्लाह)
लेखाकार

ह.
(जफरउल्लाह खां)
लेखा अधिकारी

खाता

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

2003-2004	भुगतान		राशि
	अनुरक्षण व्यय		
299,571,759	वेतन एवं भत्ते	336,161,193	
36,955,694	सेवानिवृत्ति लाभ	39,160,869	
122,736,035	अन्य	184,777,232	560099,294
69,650,000	एम. सी. आर. सी. को अनुदान प्रेषण		29,186,143
2,430,325	अग्रिम अनुदान का समायोजन		1,706,688
67,026,170	प्रेषण एवं अग्रिम		73,061,092
	निवेश		
140,330,000	अल्पकालीन जमा		125,000,000
	अंत शेष		
169,662	हस्तस्थ रोकड़	99,782	
74,287,828	इंडियन बैंक में शेष	324,294	
214,034	यू.बी.आई. बैंक में शेष	1,217,676	1,641,752
813,371,507	योग :		790,694,969

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो. ज़ेड.एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

योजना एवं विकास

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

2003-2004	प्राप्ति	राशि
	अथ शेष	
1,239,235	इंडियन बैंक में शेष	1,182,395
44,197,000	वि.वि.अ.आ. से अनुदान	22,886,000
2,062,027	योजना अनुदानों पर ब्याज.	1,067,861
14,531	अनुदानेत्तर प्राप्तियाँ	531,112
797,693	प्रतिभूतियां एवं जमा	3,857,766
2,056,437	प्रेषण एव अग्रिम	3.711.016
60,000,000	निवेशों का समायोजन	62,003,000
	अल्पकालीन जमा	
110,366,923	**योग :**	**95,239,150**

ह.
(आयतुल्लाह)
लेखाकार

ह.
(ज़फ़उल्लाह खाँ)
लेखाअधिकारी

खाता

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

2003-2004	भुगतान		राशि
	वि.वि.अनु.आयोग से प्राप्त अनुदान से भुगतान		
--	वेतन व भत्ते	1,797,922	
938,640	वेतन से इत्तर आवर्ती आय	452,631	
35,405,843	पूंजीगत व्यय	54,248,602	56,499,155
877,332	**प्रतिभूतियां तथा बयाना राशि का प्रतिदान**		244,177
21,069,713	**प्रेषण तथा अग्रिम**		4,772,098
50,893,000	**वर्ष के दौरान निवेश**		31,110,000
	अंत शेष		
1,182,395	इंडियन बैंक में शेष		2,613,720
110,366,923	**योग :**		**95,239,150**

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो. ज़ेड.एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

प्रयोजन विशिष्ट
31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

2003-2004	प्राप्ति		राशि
	अथ शेष		
161,410	हस्तस्थ रोकड़	249,902	
18,337,269	इंडियन बैंक में शेष	44,277,144	44,527,046
	परियोजनाएं योजनाएं एवं छात्रवृत्तियाँ वित्तपोषित द्वारा :		
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		
15,652,360	सहायता अनुदान	87,307,726	
8,328,933	अनुदानेत्तर प्राप्तियाँ	1,658,736	88,966,462
	मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
5,035,100	सहायता अनुदान	8,540,272	
1,949	अनुदानेत्तर प्राप्तियाँ	155,400	8,695,672
	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
7,135,470	सहायता अनुदान	8,760,076	
32,905	अनुदानेत्तर प्राप्तियाँ	1,882	8,761,958
	कल्याण मंत्रालय		
--	सहायता अनुदान	2,505	
4,338	अनुदानेत्तर प्राप्तियाँ	--	2,505
	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद		
1,249,710	सहायता अनुदान	787,402	
3,000	अनुदानेत्तर प्राप्तियाँ	17,944	805,346
	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद		
623,000	सहायता अनुदान	481,791	
1,798	अनुदानेत्तर प्राप्तियाँ	29,798	511,589

खाता

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

2003-2004	भुगतान		राशि
	परियोजनाएं, योजनाएं एवं छात्रवृत्तियाँ वित्तपोषित द्वारा		
85,367,000	**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग**		40,842,034
6,063,657	**मनव संसाधन विकास मंत्रालय**		6,157,937
2,559,495	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय**		5,951,798
--	**कल्याण मंत्रालय**		2,505
645,493	**भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद**		674,180
598,358	**भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद**		685,154
1,787,639	**भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद**		267,309
3,087,525	**वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद**		4,475,063
32,395,450	**विविध स्रोत**		26,148,981
33,559,308	**प्रेषण एवं अग्रिम**		16,391,869
30,000	**प्रतिभूतियाँ एवं जमा**		45,380
	निवेश		
--	i) गृह निर्माण हेतु आवर्तक निधि निवेश		--
500,000	ii) डा.जाकिर हुसैन धर्मादा निधि निवेश	500,000	
406,096	iii) दलित अध्ययन पीठ धर्मादा निधि निवेश	--	
216,286,832	iv) अल्पकालीन जमा	137,918,000	138,418,000

2003-2004	प्राप्ति		राशि
	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद		
61,700	सहायता अनुदान	252,209	
4,300	अनुदान के अतिरिक्त प्राप्तियाँ	32,500	284,709
	भारतीय सांस्कृति संबंध परिषद		
3,461,221	सहायता अनुदान	3,984,162	
46,548	अनुदान के अतिरिक्त प्राप्तियाँ	680	3,984,842
	विविध स्रोत		
11,463,576	सहायता अनुदान	8,259,546	
2,505,101	अनुदान के अतिरिक्त प्राप्तियाँ	3,167,487	11,427,033
	निधियाँ		
	गृहनिर्माण अग्रिम हेतु आवर्तक निधि:		
--	वि.वि.अनुदान आयोग से अनुदान	--	
392,444	अनुदानेत्तर प्राप्तियाँ	28,710	28,710
406,096	दलित अध्ययन धर्मादा निधि पीठ निवेश		407,232
303,134	**वाहन एवं पंखा अग्रिम हेतु अनुवर्ती निधि**		--
1,690,702	**प्रतिभूतियां एवं बयाना धन**		667,386
25,125,003	**प्रेषण एवं अग्रिम**		13,686,053
	निवेशों का समायोजन		
5,000,000	i) गृह निर्माण अग्रिम हेतु आवर्तक निधि	--	
500,000	ii) डा.जाकिर हुसैन धर्मादा निधि निवेश	500,000	
290,286,832	iii) अल्पकालीन जमा	61,980,000	62,480,000
427,813,899	**योग :**		**245,236,543**

ह.
(आयतुल्लाह)
लेखाकार

ह.
(ज़फ़रउल्लाह खां)
लेखा अधिकारी

2003-2004	भुगतन		राशि
	अंत शेष		
249,902	हस्तस्थ रोकड़	51,976	
44,277,144	इंडियन बैंक में शेष	5,124,357	5,176,333
427,813,899	**योग :**		**245,236,543**

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो. ज़ेड. एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

ए.जे.के. जनसंचार

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

प्राप्ति		राशि
01-04-2004 को अथ शेष		
i. हस्तस्थ रोकड़	322	
ii. इंडियन बैंक	646,882	
iii यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	259,111	906,315
वि.वि.अनु. आयोग से सहायता अनुदान	29,036,143	29,036,143
अनुदान के अतिरिक्त आय		
i. अनुरक्षण अनुदान पर प्राप्त ब्याज	163,082	
ii. छात्र शुल्क व अन्य प्राप्तियाँ	3,135,528	3,298,610
प्रतिभूतियाँ एवं जमा		
i. ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिभूतियाँ		37,818
प्रेषण एवं अग्रिम		7,212,026
योग :		**40,490,912**

ह.

(सैय्यद विक़ार हुसैन ज़ैदी)

लेखा अधिकारी

अनुसंधान केन्द्र
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा(राजस्व खाता)

भुगतान			राशि
अनुरक्षण व्यय			
i.	वेतन व भत्ते	18,408,755	
ii.	सेवानिवृत्ति लाभ	2,489,508	
iii.	अन्य	10,770,314	
iv.	पूंजीगत व्यय	1,082,241	32,750,818
प्रेषण एवं अग्रिम			7,241,844
प्रतिभूतियाँ एवं जमा			
i.	ठेकेदारों से प्राप्त प्रतिभूतियाँ		37,818
31.3.2005 **को अंत शेष**			
i.	हस्तस्थ	11	
ii.	इंडियन बैंक	431,310	
iii.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	29,111	460,432
योग :			**40,490,912**

ह.
(इफतिख़ार अहमद)
निदेशक

ए. जे. के. जनसंचार
31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

प्राप्ति		राशि
01.04.2004 को अथ शेष		
i. हस्तस्थ	1,253	
ii. इंडियन बैंक	50,344,531	
iii. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में	8,043	50,353,827
वि.वि.अनु. आयोग से सहायता अनुदान		183,878
अनुदान के अतिरिक्त आय		1,513,040
निवेश		49,341,770
प्रेषण एवं अग्रिम		38,712,140
प्रतिभूतियाँ एवं जमा		1,358,735
प्रतिभूतियाँ राशि जमा		
योग :		141,463,390

ह.
(सैय्यद विक़ार हुसैन ज़ैदी)
लेखा अधिकारी

अनुसंधान केन्द्र

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा(योजना एवं विकास)

भुगतान		राशि
वि.वि.अ.आ. के अनुदान से प्राप्त अनुदान के विरूद्ध भुगतान		
i. वेतन व भत्ते	431,917	
ii अन्य	430,710	
iii. पूंजीगत व्यय	31,682,942	32,545,569
निवेश		77,203,150
प्रेषण एवं अग्रिम		29,019,258
31-03-2005 **को अंतः शेष**		
(i) हस्तस्थ	553	
(ii) इंडियन बैंक	2,686,817	
(iii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8,043	2,695,413
योग :		**141,463,39(**

ह.
(इफतिख़ार अहमद)
निदेशक

राजस्व

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

2003-2004	व्यय		राशि
299,571,759	वेतन व भत्ते		336,161,193
36,955,694	सेवानिवृति लाभ		39,160,869
122,736,035	अन्य आवर्ती व्यय	184,777,232	
23,649,867	घटाएं : पूंजीकृत व्यय	47,550,021	137,227,211
12,712,807	तुलन-पत्र को स्थानांतरित आय का व्यय से आधिक्य		
448,326,428	योग :		512,549,273

ह.
(आयतुल्लाह)
लेखाकार

ह.
(ज़फरउल्लाह खां)
लेखा अधिकारी

खाता

आय एवं व्यय लेखा

2003-2004	आय		राशि
	वि.वि.अ.आ. से अनुरक्षण अनुदान		
85,425,000	अग्रिम अनुदान प्राप्ति 31.3.04	62,297000	
329,790,000	अनुदान प्राप्ति 2004-05	395,969,000	
		458,266,000	
23,649,867	घटाएं : अनुदान का पूंजीगत मूल्य	47,550,021	410,715,979
56,761,295	छात्रों से शुल्क तथा विविध आय		73,372,770
--	तुलन-पत्र को स्थानांतरित आय से व्यय का आधिक्य		28,460,524
448,326,428	**योग :**		**512,549,273**

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो.ज़ेड.एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

योजना एवं विकास

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

2003-2004	व्यय		राशि
--	वेतन एवं भत्ते		1,797,922
938,640	वेतन के अतिरिक्त आवर्ती आय	54,701,233	
--	अनुदान के पूंजीगत मूल्य की सीमा तक पूंजीगत व्यय	24,484,973	30,216,260
9,929,075	व्यय से आय का आधिक्य		--
10,867,715	योग :		32,014,182

ह.

(आयतुल्लाह)

लेखाकार

ह.

(ज़फरउल्लाह खां)

लेखा अधिकारी

खाता

आय एवं व्यय लेखा

2003-2004	आय		राशि
44,197,000	सहायता अनुदान	22,886,000	
2,062,027	जोड़े : योजना अनुदान पर ब्याज	1,067,861	
14,531	जोड़े : अनुदान के अतिरिक्त आय	531,112	
		24,484,973	
35,405,843	घटाएं : अनुदान का पूंजीकृत मूल्य	* 24,484,973	--
--	आय पर व्यय का आधिक्य		32,014,182
10,867,715	**योग :**		**32,014,182**

* कुल पूंजीकृत व्यय रू० **54,248,602**

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो. ज़ेड.एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

ए. जे. के. जनसंचार

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय	राशि
वेतन एवं भत्ते	18,408,755
सेवानिवृत्ति लाभ	2,489,508
अन्य आवर्ती व्यय	10,770,314
योग :	31,668,577

ह.

(सैयद विक़ार हुसैन ज़ैदी)

लेखाधिकारी

अनुसंधान केन्द्र
आय एवं व्यय लेखा(राजस्व खाता)

आय		राशि
वि.वि.अ.आ. से अनुरक्षण अनुदान	29,036,143	
जोड़ें : अनुरक्षण अनुदान पर प्राप्त ब्याज	163,082	
	29,199,225	
घटाएं : अनुदान का पंजीकृत मूल्य	1,082,241	28,116,984
छात्रों से शुल्क एवं विविध प्राप्तियां		3,135,528
तुलन पत्र को सीनांतरित व्यय का आय से आधिक्य		416,065
योग :		31,668,577

ह.
(इफतिख़ार अहमद)
निदेशक

ए.जे.के. जनसंचार
31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए

व्यय		राशि
आवर्ती व्यय		
वेतन व भत्ते	431,917	
अन्य आवर्ती व्यव	430,710	862,627
योग :		**862,627**

ह.
(सैयद विक़ार हुसैर ज़ैदी)
लेखा अधिकारी

अनुसंधान केन्द्र

आय एवं व्यय लेखा (योजना एवं विकास)

आय		राशि
वि. वि. अ. आ. से प्राप्त अनुदान	183,878	
अनुदान के अतिरिक्त प्रतियां	1,513,040	
आय पर व्यय का आधिक्य	30,848,651	32,545,569
घटाएं : अनुदान का पूंजीगत मूल्य		31,682,942
योग :		862,627

ह.

(इफतिख़ार अहमद)
निदेशक

परिशिष्ट

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

- वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रणाली और नकद आधार पर तैयार किया गया है ।
- समस्त निवेश लागत पर दर्शाये गये हैं ।
- परिसंपत्तियों का विवरण परिग्रहण लागत के आधार पर दिया गया है जिसमें परिग्रहण से सम्बद्ध शुल्क, कर और आकस्मिक आवक भाड़ा तथा प्रत्यक्ष खर्चे शामिल हैं ।
- गैर मौद्रिक अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियां पूंजी भंडार के द्वारा पूंजीबद्ध की गई है ।
- परिसंपत्तियों पर ह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है ।
- निर्माण परियोजनाओं अथवा स्थायी परिसंपत्तियों के लिए सरकारी अनुदानों को पूंजीगत निधि के रूप में देखा गया है।
- अनुरक्षण/राजस्व व्ययो के लिए अनुदान को आय के रूप में माना गया है ।
- अग्रिम अनुदान के रूप में प्राप्त राशि को वर्ष की आय माना गया है भले ही वह किसी अन्य वर्ष के लिए प्राप्त हुई हो ।
- योजना और विकास अनुदान, मंत्रालय द्वारा स्वीकृति वार्षिक निर्धारण के अनुसार दिखाए गए हैं ।
- विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन की विनिमय दर लेन-देन के समय की विनिमय दर है ।
- सेवानिवृत्ति लाभ के खाते की देनदारी वास्तविक आधार पर दिखायी गयी है ।

ह.
(आयतुल्लाह)
लेखाकार

ह.
(ज़फरउल्लाह खां)
लेखा अधिकारी

ह.
(एन.यू.सिद्दीकी)
वित्त अधिकारी

ह.
(प्रो. ज़ेड.एच. खान)
कार्यकारी कुलसचिव

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने 31 मार्च 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा एवं आय तथा व्यय लेखा और 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना एवं स्पष्टीकरण जिनकी आवश्यकता थी प्राप्त कर लिए है तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रक्षेणों, जिसमें कुल मिलाकर निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्षेण हैं और जिनमें से अधिकांश प्रक्षेण पिछले वर्षों में भी होते रहे हैं।

1. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त की गई भूमि को सम्बन्धित लेखाओं में न दर्शाना 2.08 करोड़ रूपये (पैरा 2.1.2)

2. वार्षिक लेखाओं को लेखाओं के परिशोधित प्रारूप में न बनाना (पैरा 4.1)

3. 1.96 करोड़ रूपये की भूमि के बिक्री मूल्य का लेखाओं में असमायोजन (पैरा 2.1.4)

अपनी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना, और मुझे दिए गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किए गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली के कार्यकलाप का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

डा. अं.कु.बनर्जी
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8.2.2006

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वर्ष 2004-05 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1 प्रस्तावना

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जा.मि.इ.) विश्वविद्यालय की स्थापना समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत 1920 में हुई तथा इसका पंजीकरण 1939 में हुआ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम 1988 के अन्तर्गत 26 दिसम्बर 1988 से इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लक्ष्य रहे हैं कि अधिगम की विभिन्न शाखाओं में निर्देशात्मक अनुसंधान और विस्तार सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा आधुनिक ज्ञान देना। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वित्तपोषण मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त अनुदानों से होता है। वर्ष 2004-05 के दौरान विश्वविद्यालय ने 59.77 करोड़ रूपये (योजनेत्तर 45.83 करोड़ रूपये योजनागत 2.29 करोड़ रूपये अनुदान प्रयोजन विशिष्ट लेखा 8.73 करोड़ रूपये तथा ज.सं.अ. के 2.92 करोड रूपये) अनुदान के रूप में प्राप्त किए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 7.56 करोड़ रूपये अनुदानों के अतिरिक्त भी प्राप्त किए।

जा.मि.इ. के लेखाओं की लेखापरीक्षा,नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य,शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम 1988 की धारा 28(1) के अन्तर्गत की जाती है।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

2 तुलन-पत्र

2.1 परिसम्पत्तियाँ

2.1.1 वसूली योग्य शेष-योजना एवं विकास लेखा को अनुचित रूप में दर्शाया जाना

लेखाओं के अनुमोदित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्ति दावों को तुलन-पत्र के परिसम्पत्ति पक्ष में तथा अव्ययित शेषों को चालू देयताओं में दिखाना चाहिए। यह देखा गया कि 3 लाख रूपये वसूली योग्य दावों तथा अव्ययित शेषों के निपटारे के बाद परिसम्पत्ति पक्ष में "योजना एवं विकास" में दिखाए गए थे। जिसके परिणामस्वरूप वसूली योग्य दावों तथा अव्ययित शेषों को 4.22 करोड़ रूपये कम दिखाया गया।

2.1.2 बकाया अग्रिम

जा.मि. इ. ने वर्ष 2001-02 के दौरान ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को विश्वविद्यालय के दूसरे परिसर के लिए 100 एकड़ भूमि की प्राप्ति के लिए पंजीकरण राशि के रूप में 2.08 करोड़ रूपये भुगतान किए। जबकि भूमि को अभी तक प्राप्त नही किया तथा न ही विश्वविद्यालय को दिया गया। लेखाओं में भी इसका उल्लेख नहीं था।

2.1.3 परिसम्पत्तियों को अधिक दर्शाना

जन संचार अनुसधान केन्द्र (ज.सं.अ.के.) के परिसम्पत्ति लेखों में 31.3.2005 को 30.53 करोड़ रूपये कि परिसम्पत्तियों के पुस्तक मूल्य को दर्शाया गया था और 1.36 करोड़ रू. के बेकार, अप्रचलित, अमरम्मत तथा अनुपयोगी घोषित परिसम्पत्तियों को नहीं निकाला गया। इस प्रकार परिसम्पत्ति लेखा में 1.36 करोड़ रूपये अधिक दिखाए गए थे जिसके कारण सही स्थिति प्रकट नही हुई

जामियां मिल्लिया इस्लामिया ने बताया (अक्टूबर 2005) कि ज.सं.अ.के. की 30.53 करोड़ रूपये की परिसम्पत्ति ठीक दिखाई गई है। 1.36 करोड़ रूपये के उपकरणों को बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तथा इसे अगले वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाया जाएगा।

2.1.4 भूमि के बिकी नामे के मूल्य को न दिखाना

सामानय वित्तीय नियमों में भारत सरकार के नियम 151(4) (c) के निर्णय के अनुसार जब एक परिसम्पत्ति को बेचा जाता है या बट्टे खाते में डाला जाता है तो किए गए विक्रय को प्राप्तियों में तथा आय एवं व्यय लेखा में (आय पक्ष) में दिखाना चाहिए तथा जिस परिसम्पत्ति को बेचा गया उसके पुस्तक मूल्य को तुलन-पत्र के परिसम्पत्ति पक्ष में उस परिसम्पत्ति के कुल मूल्य के नीचे दर्शाया जाना चाहिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने भूमि के एक टुकड़े को 1.96 करोड़ रूपये में बेचा तथा उसे 2004-05 में जमा खाते में जमा कर दिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (अक्टुबर 2005) ने बताया कि प्रशासनिक कारणों के कारण वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति को बटटे खाते में नही डाला जा सका । जिसके परिणामस्वरूप विक्रय आगम का असमायोजन हुआ तथा 2004-05 के खातों में परिसम्पत्ति के मूल्य को अधिक दिखाया गया।

परिसम्पत्तियों और देयताओं को कम दर्शाया जाना

वर्ष 2004-05 के लिए भुगतान वाउचरों की समीक्षा से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान 7.64 लाख रूपये (परिशिष्ट-ए) की राशि की परिसम्पत्तियों को पूंजीगत नही किया गया तथा जिसके परिणामस्वरूप तुलन-पत्र में 7.64 लाख रू. की परिसम्पत्तियाँ कम दिखाई गई 7.64 लाख रू. को जमा पक्ष (देयताओं) में अधिक दिखाया गया तथा 7.64 लाख रू. व्यय को अधिक दिखाया गया था।

3. आय तथा व्यय लेखा

3.1 आय

3.1.1 परियोजनाएं/योजनाएं

अनुदानों के निवेश पर प्राप्त ब्याज को परियोजनाओं के अन्तर्गत न दर्शाया जाना

अनुदान देने वाली एजेन्सियों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार अनुदान पाने वाली संस्था को परियोजना के लिये अलग से परीक्षित लेखे का अनुरक्षण करना होता है। यदि अनुदान की समस्त राशि अथवा उसके किसी अंश को ब्याज अर्जित करने वाले बैंक खाते में रखना समीचीन पाया

जाता है तो अर्जित ब्याज की सूचना सम्बन्धित मंजूरीदाता प्राधिकारी को दी जानी चाहिए। इस प्रकार अर्जित ब्याज की अनुदान देने वाली संस्था के जमा के रूप में देखा जाना चाहिए तथा अनुदान की आगे की किश्तों में उसे समायोजित कर लिया जाना चाहिए।

यह देखा गया, कि जा.मि.इ. ने इस जरूरत का अनुपालन नहीं किया तथा वर्ष 2004-05 में 9.59 लाख रू. की राशि अनुदान राशि के निवेश पर मिलने वाले ब्याज को जा.मि.इ. की आय के रूप में दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप 9.59 लाख रू. की आय को अधिक दिखाया गया तथा उपरोक्त राशि से अनुदानों को कम दिखाया गया।

4 सामान्य

4.1 वार्षिक लेखाओं को लेखाओं के परिशोधित प्रारूप में न दर्शाया जाना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने लेखाओं में पारदर्शिता एवं समरूपता लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए लेखाकरण की प्रोद्भवन प्रणाली से सम्बन्धित एक सामान्य प्रारूप निर्धारित किया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोद्भवन प्रणाली के अनुसार सामान्य प्रारूप को कार्यान्वित करना लेखाकरण वर्ष 2001-02 से अभी तक लम्बित है।

विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इस ओर लगातार ध्यान दिलाया जाता रहा है किंतु जा.मि.इ. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

4.2 परिसम्पत्तियों का सत्यापन न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियम 192(1) के अनुसार सभी भण्डारों का प्रतिवर्ष कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन आवश्यक है। जा.मि.इ. के विभिन्न विभागों ने कभी भी अपनी परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नही किया । जा.मि.इ. परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के अभाव में, वार्षिक लेखाओं में दर्शाई गई परिसम्पत्तियों के मूल्यों की शुद्धता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

जा.मि.ई. ने बताया (अक्टूर 2005) कि प्रत्यक्ष सत्यांपन हो चुका है तथा सत्यापन रिपोर्ट को आगामी लेखापरीक्षा में दिखा दिया जाएगा।

4.3 पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन

पुस्तकालय के प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 22.47 लाख रू. की 21471 पुस्तकों का पता नहीं लगा (कानून संकाय से (129), अध्यापक महाविद्यालय पुस्तकालय (2398), ग्रामीण संस्था पुस्तकालय (2875),जामिया कालेज सिरिज पुस्तकालय (2986), उर्दू पुस्तकें (2038) तथा जाकिर हुसैन पुस्तकालय (11135) खोई पुस्तके या उनके मूल्य को वापिस प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाएं।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों का तुलन-पत्र आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराग्राफा दी गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों निवल प्रभाव यह है कि 31.3.2005 को 128. 36 लाख रुपये की परिसम्पत्तियों को अधिक बताया गया, 7.64 लाख रुपये की देयताओं को अधिक बताया गया, 9.59 लाख रु. की आय कम बताई गई एवं 128.36 लाख रु. व्यय को अधिक बताया गया।

(डा. अं.कु.बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8.2.2006

आकलन पत्र

तुलन पत्र

(रुपये लाखों में)

देनदारियां				परिसम्पत्तियाँ			
पैरा सं.	अत्युक्ति	पैरा	न्यूनोक्ति	पैरा सं.	अत्युक्ति	पैरा	न्यूनोक्ति
2.1.5.	7.64			2.1.3	136.00	2.1.5.	7.64
Total	**7.64**			**Total**	**136.00**	**Total**	**7.64**

कुल : परिसंपत्तियों की अत्युक्ति रुपये (136.00-7.64) = रुपये 128.36 लाख
देनदारियों की अत्युक्ति रुपये 7.64 लाख

आय और व्यय खाता

(रुपये लाखों में)

आय				व्यय			
पैरा सं.	अत्युक्ति	पैरा	न्यूनोक्ति	पैरा सं.	अत्युक्ति	पैरा	न्यूनोक्ति
3-1-1	9-59			2.1.5.	7.64	2.1.3.	136.00
Total	**9.59**			**Total**	**7.64**		**136.00**

कुल: व्यय की अत्युक्ति रुपये (136.00-7.64) = रुपये 128.36 लाख

अनुच्छेद 'ए'

क्र. संख्या	पृष्ठ वाउचर संख्या	खाते का नाम	मद	राशि
1.	5517 दिनांक 14.3.03	जमा खाता	यूपीएस की खरीद	3,400
2.	5495 दिनांक 7.3.03	जमा खाता	कम्प्यूटर प्रिन्टर	11,700
3.	5518 दिनांक 14.3.05	जमा खाता	खरीद पानी की टंकी	1,998
4.	154 दिनांक 27.4.04	जमा खाता	फलक्श कंस्ट्रक्शन	4,40,041
5.	5403	जमा खाता	लकड़ी का लेटर बाक्स	2,800
6.	5537	जमा खाता	वीडियो कैसेट्स	3,600
7.	5155	जमा खाता	पेंन डाईव 250 एम.बी.	3,200
8.	5154	जमा खाता	डीवीडी, सीडी राईटर	3,750
9.	5629	जमा खाता	कम्प्यूटर हार्ड डिस्क	15,225
10.	5586	जमा खाता	कम्प्यूटर माऊस	14,110
11.	5647 दिनांक 23.3.05	जमा खाता	यूपीएस की खरीद	2,900
12.	5648 दिनांक 23.3.05	जमा खाता	यूपीएय की खरीद	1,900
13.	14790	राजस्व खाता	कम्प्यूटर रैम	3,050
14.	408 दिनांक 11.3.05	छात्रावास खाता	बेंच की खरीद	5,126
15.	187 दिनांक 6.5.04	जमा खाता	विद्युत तराजू की खरीद	52,000
16.	447 दिनांक 16.4	जमा खाता	वेंटीलेशन फैन	3,570
17.	844 दिनांक 2.6.04	जमा खाता	एमसीबी	5,000
18.	1363 दिनांक 21.7.04	जमा खाता	कम्प्यूटर सीपीयू	10,000
19.	305 दिनांक 26.4.04	जमा खाता	लेज़र जैट प्रिन्टर	12,100
20.	1373 दिनांक 29.704	जमा खाता	मोनीटर	12,100
21.	2178 दिनांक 2.9.04	जमा खाता	फर्नीचर	9,830
22.	2690 दिनांक 4.10.04	जमा खाता	कम्प्यूटर माऊस	2,525
23.	1541 दिनांक 28.2.05	राजस्व खाता	पुस्तकें	8,922
24.	3355 दिनांक27.10.04	जमा खाता	कम्प्यूटर	6,775
25.	3356 दिनांक 6.10.04	जमा खाता	पुस्तकें	3,704
26.	3380 दिनांक 5.11.04	जमा खाता	स्पीकर	500
27.	3339 दिनांक 2.11.04	जमा खाता	हार्ड डिस्क	4,675
28.	3763 दिनांक 10.1104	जमा खाता	पुस्तकें	16,286
29.	3765दिनांक 10.11.04	जमा खाता	पुस्तकें	3,200
30.	4258दिनांक 31.12.04	जमा खाता	कालीन	60,559
31.	4280 दिनांक 6.1.05	जमा खाता	फर्नीचर	6,000
32.	4390 दिनांक 12.1.05	जमा खाता	परदे की राड	1,600
33.	4462 दिनांक 14.1.05	जमा खाता	परदे की राड	13,790
34.	4569 दिनांक 27.1.05	जमा खाता	परदे की राड	17,840
			Total	**7,63,731**

कार्रवाई की गयी रिपोर्ट

लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2004-2005

अनुच्छेद संख्या	पर्यवेक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी	की गयी कार्रवाई
1.	प्रस्तावना	तथ्यों की पुष्टि कर ली गयी
2.	लेखाओं पर टिप्पणियाँ	
2.1	परिसंपत्तियां	
2.1.1	वसूली योग्य शेष-योजना एवं विकास लेखा को अनुचित रूप में दर्शाया जाना	31.3.2005 तक यूजीसी की ओर से योजनागत राशि के रूप में मिले 3.39 लाख रूपये को अव्ययित शेष के रूप में पूर्णत: दर्शाया गया है। पारदर्शिता बनाये रखने के लिए मुख्य श्रेणी/उपमुख्य श्रेणी के आधार पर योजना राशि को लेखा में समेकित राशि के साथ दर्शाया गया है । इस प्रकार प्रति प्राप्ति और अव्ययित राशि क्रमश: रूपये 4.25 करोड़ और 4.22 करोड़ को मुख्य श्रेणी/उपमुख्य श्रेणी के आधार पर योजना राशि को दर्शाया गया है ।
2.1.2	बकाय अग्रिम	भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी लंबी है । इसलिए इसकी प्रभावशाली देखरेख के लिए पंजीकरण शुल्क को अग्रिम राशि के तरह दर्शाया गया है।
2.1.3	परिसंपत्तियों को अधिक दर्शाना	एमसीआरसी की परिसंपत्ति लेखा 30.53 करोड़ रूपये दर्शाया गया है जिसमें रूपये 1.36 करोड़ की राशि को उपकरण संबंधी कुल हानि को सम्मिलित करना शेष है। कुल हानि के प्रभाव को अव्ययित शेष में दर्शाया जाएगा, जब यह प्रक्रिया पूरी होगी ।
2.1.4	भूमि के बिक्री नामें के मूल्य को न दिखाना	यद्यपि वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए भूमि की बिक्री का लेखा तैयार कर लिया गया था लेकिन उस वर्ष परिसंपति की कुल हानि को प्रशासकीय प्रक्रिया के कारण दर्शाया नहीं जा सका । परिसम्पत्ति का कुल हानि विवरण भूमि इसके कानूनी दस्तावेजों के हस्तांतरण/विक्रय दस्तावेज के हस्ताक्षर के पश्चात् दर्शाया जाएगा ।

2.1.5	**परिसंपत्तियों और देयताओं को कम दर्शाया जाना**	अनुपालन के लिए दर्ज कर लिया गया है ।
3.	**आय तथा व्यय लेखा**	
3.1	**आय**	
3.1.1	**परियोजना/योजनाएँ:** **अनुदानों के निवेश पर प्राप्त ब्याज को परियोजनाओं के अन्तर्गत न दर्शाया जाना**	किसी विशेष परियोजनाओं पर निवेश की गयी राशि से प्राप्त ब्याज को योजना मद में शामिल किया गया है । यद्यपि शेष राशि पर उपलब्ध ब्याज जो किसी परियोजनाओं/योजनाओं के साथ सम्बद्ध नहीं हैं, उसे विश्वविद्यालय के सामान्य राजस्व में दर्शाया गया है ।
4.	**सामान्य**	
4.1	**वार्षिक लेखाओं को लेखाओं के परिशोधित प्रारूप में न दर्शाया जाना ।**	अनुपालन के लिए दर्ज कर लिया गया ।
4.2	**परिसंपत्तियों का सत्यापन न किया जाना**	विश्वविद्यालय की कुल परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और इसकी रिर्पोट अगली लेखा परीक्षा पर्यवेक्षकों को दिखायी जाएगी ।
4.3	**पुस्तकालय की पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन**	अनुपालन के लिए दर्ज कर लिया गया ।
5.	**लेखापरीक्षा टिप्पणियों का तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा पर प्रभाव**	कोई टिप्पणी नहीं

हस्ताक्षर
(एन.यू.सिद्दिकी)
वित्त अधिकारी

STATE BANK OF INDIA

ASSOCIATES & SUBSIDIARIES GROUP

Mumbai, the 17th April 2006

SBD. No. 4/05-06

In terms of clause (c), Sub-Section (1) of Section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India hereby nominates Shri Jiban Goswami, General Manager (A&S), State Bank of India, A&S Group, Mumbai, as a director on the Boards of the following Associate Banks w.e.f. 17.4.2006 vice Shri M. N. Rao :-

1) State Bank of Bikaner & Jaipur
2) State Bank of Hyderabad
3) State Bank of Indore
4) State Bank of Mysore
5) State Bank of Patiala
6) State Bank of Saurashtra
7) State Bank of Travancore.

A. K. PURWAR
Chairman

BAR COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110 002

The Bar Council of India at its meeting held on 9th April, 2006 elected its Chairman and Vice Chairman for the term commencing from 17th April, 2006 and ending with 16th April, 2008 and Council passed the following resolutions : -

RESOLUTION NO. 40 / 2006

"RESOLVED that Shri Jaganath Patnaik, Member, Bar Council of India is unanimously re-elected as Chairman, Bar Council of India for a two year term and the period of two years is to be reckoned from 17.4.2006 and ending with 16.4.2008."

RESOLUTION NO. 41/ 2006

"RESOLVED that Shri Rajendra Raghuwanshi, Member, Bar Council of India is unanimously elected as Vice-Chairman of Bar Council of India for a two year term and the period of two years is to be reckoned from 17.4.2006 and ending with 16.4.2008."

S. RADHAKRISHNAN
Secy.

The Bar Council of India at its meeting held on 8th & 9th April, 2006 considered the observations made by the Hon'ble Supreme Court in W.P. No. 40/2006 filed as a Public Interest Litigation and after consideration the following resolution was passed : -

RESOLUTION NO. 58/2006

RESOLVED that the following rule made under section 49(1)(j) of the Advocates Act, 1961 be added as Chapter III A in Part VI of the Bar Council of India Rules.

"Consistent with the obligation of the Bar to show a respectful attitude towards the Court and bearing in mind the dignity of Judicial office, the

form of address to be adopted whether in the Supreme Court, High Courts or Subordinate Courts should be as follows:-

" Your Honour' or " Hon'ble Court " in Supreme Court & High Courts and in the Subordinate Courts and Tribunals it is open to the Lawyers to address the Court as " Sir" or the equivalent word in respective regional languages.

Explanation : As the words" My Lord" and " Your Lordship" are relics of colonial past, it is proposed to incorporate the above rule showing respectful attitude to the Court ."

The Rule shall come into force from the date of publication in the Official Gazette . IT IS FURTHER RESOLVED to circulate the resolution to all the State Bar Councils with a request to the Bar Councils to circulate the same to all the Bar Associations in their States and to the Courts. Letters should also be sent to the Supreme Court Bar Association, the Registrar General of the Supreme Court of India and the Registrars of all the High Courts."

S. RADHAKRISHNAN
Secy.

BCI:D:01/2005

1. It is notified for the public information in compliance with the order of the Hon'ble High Court of Delhi in LPA No. 543/2003 and LPA No. 666/2003 that the candidates holding degrees in Law from foreign Universities recognised by the Bar Council of India for enrolment as advoctes should have undergone a 3 year LLB course after graduation in any other discipline in the pattern of 10+2+3 or a 5 year integrated law course after higher secondary examination in the pattern of 10+2 .. Such candidates seeking enrolment as advocates should appear and pass an examination conducted by the Bar Council of India in the following subjects:-

1. "Code of Civil Procedure, Limitation Act and Transfer of Property Act.
2. Criminal Procedure Code, Indian Penal Code and Indian Evidence Act.
3. Personal Laws.
4. Professional Ethics and Legal History of India.
5. Constitutional Law of India.
6. Environmental Law."

- These requirements are effective from the date of this notification.

2. It is also notified that all those students who joined the LLB course prior to the date of this notification in the foreign Universities Recognised by the Bar Council of India without possessing the above mentioned minimum qualification prescribed by the Bar Council of India for admission in the law course will be eligible for enrolment as advocates. This exemption is strictly limited to the students who joined the LLB course prior to the date of this notification. For details of examination, candidates may get in touch with the Secretary, Bar Council of India in the above address.

S. RADHAKRISHNAN
Secy.

PUNJAB UNIVERSITY

Chandigarh-160014, 21st April 2006

No. 2/2006/GR—

The Central Government (Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary & Higher Education) have accorded approval vide their letter No. F. No. 2-5/2005-U-II dated **13.9.2005** to the following Regulations.

1. Amendment of Regulations 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 for Master of Computer Applications (M.C.A.) (Semester System) examinations (effective from the session 2001) at pages 155-158 of P.U. Calendar, Volume II, 2000 and given effect to in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.

1. The duration of the course leading to the degree of Master of Computer Applications shall be three academic years comprising of six semesters. The examination of various semesters will be held on such dates as may be fixed by the Syndicate from time to time.

2.1 The minimum qualification for admission to the First year of the course shall be-

(i) Bachelor's degree in any discipline with at least 50 marks in aggregate under 10+2+3 system of examination of Panjab University.

(ii) Any other examination recognized by the Panjab University as equivalent to the above examination with at least 50% marks in aggregate.

2.2 The admission will be only to First Semester of First Year of M.C.A. The admission will be governed by the rules framed by the Syndicate from time to time.

3. Every candidate admitted to the M.C.A. course shall pay admission and examination fee for each semester of an academic year to the University as prescribed by the Syndicate/Senate from time to time.

A candidate appearing in any paper(s) as a reappear candidate in the examination shall pay examination admission fee per paper subject to the maximum fee for the full semester examination, in addition to the examination admission fee for the semester examination, if any, in which he appears as a regular candidate, as may be prescribed by the Syndicate/Senate from time to time.

4. Before the commencement of each semester examination, the Chairperson of the Department of Computer Science & Applications shall forward to the Controller of Examinations, a list of students who have satisfied the requirements of rules and regulations and are qualified to appear in the examination.

5. At the end of each semester, every candidate shall appear in the whole examination or in such subjects as may be prescribed by the Board of Studies from time to time keeping in view the course/objectives and approved by the appropriate University authorities. The medium of instruction and examination shall be English.

6.1 The First and Second semester examinations shall be open to a regular candidate who-

(i) has been on the rolls of the Department of Computer Science & Applications during first and second semester respectively preceding the examination;

(ii) has attended not less than 75 per cent of the lectures and practicals in each subject of the prescribed course for the First and Second semester examinations, a deficiency of up to 10 per cent of the lectures actually delivered and practicals conducted may be condoned by the Board of Studies on the recommendation of the Chairman of the Department;

(iii) has obtained at least 40 per cent marks in the internal assessment of each such subject.

6.2 The Third and Fourth semester examinations shall be open to a regular candidate who-

(i) has been on the rolls of the Department of Computer Science and Applications during Third and Fourth semester respectively preceding the examination;

(ii) has passed the First and Second semester examinations or is eligible to appear in the Third and Fourth semester examination under Regulation 9;

(iii) has attended not less than 75 per cent of the lectures and practicals in each subject of the prescribed course for the Third and Fourth semester examination, provided that a deficiency of not more than 10 per cent of the lectures actually delivered and practicals conducted may be condoned by the Board of Studies on the recommendation of the Chairman of the department;

(iv) has obtained at least 40 per cent marks in the internal assessment of each subject.

6.3 The Fifth and Sixth semester examination shall be open to a candidate who-

(i) has been on the rolls of the Department of Computer Science and Applications during Fifth and Sixth semesters preceding the examination;

(ii) has passed the First, Second, Third and Forth Semester examinations or is eligible to appear in the Fifth and Sixth Semester examination under Regulation 9;

(iii) has attended not less 75 per cent of the lectures and practicals in each subject of the prescribed course of the Fifth and Sixth semesters of the Third Year examination, provided that a deficiency of not more than 10 per cent of the lectures actually delivered and practicals conducted may be condoned by the Board of Studies on the recommendation of the Chairman of the department;

(iv) has obtained at least 40 per cent marks in the internal assessment of each such subject.

7. The minimum percentage of marks required to appear in and pass the First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth Semester examinations shall be as follows in each case-

(i) 40 per cent in the internal assessment part of every subject separately of the examination, whether theory or practical (including project work, etc.), as a prequisite to appear in the First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth semester examinations; and.

(ii) 50 percent in the total of the internal assessment part and the University examination part of every subject separately of the examination, whether theory or practicals (including project work etc.) for passing the First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth semester examinations; and

A student who does not obtain 40 per cent marks in the internal assessment part of every subject separately of the First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth semester shall be required to again study the subject, submit assignments, appear in class test and present Seminar prescribed for that semester in the next academic session before being allowed to appear in the University examination as approved by the Board of Studies subject to the restriction that a student must complete all course requirements and pass all prescribed examinations within a maximum period of five academic sessions from the original date of joining the course in order to be eligible for the award of the Degree.

(iii) If a student gets re-appear in a paper/s then the students have to appear as a appear as re-appear candidate along with the regular students. There shall be no special r. appear examination.

8. Grace Marks shall be given at the rate of one percent of the aggregate marks of all subjects of the First, Second, Third, Fourth, Fifth and Sixth semester examinations, as the case may be. A candidate may avail of the grace marks either in the

aggregate or in one or more papers as may be his/her advantage. Grace marks, shall, however, be given only for passing the examination or for earning a higher division and not for improving internal assessment or for passing the examination with distinction.

9. The student must complete all course requirements and pass all prescribed examinations in maximum five academic sessions from the date of joining the course in order to be eligible for award of the Degree. Subject to the above, a student may be allowed to re-appear in one or more subjects as specified below:

(i) A candidate who, having obtained the pre-requisite marks in the internal assessment part of every subject of the First and Second semester examination under Regulation 7(i), appears in the First and Second semester examination but fails to pass the examination under Regulation 7(ii), may be allowed to study in the third semester of the Second Year of the course and to re-appear in all or some of the subjects of the First and Second semester examination along with the subjects of the Third and Fourth semester examination. The subjects in which the candidate shall be eligible to re-appear shall be only those in which he/she has obtained less than 50 per cent marks in the total of the Internal Assessment part and the University examination part (Internal assessment marks shall not be reassessed, but shall be carried over). If he/she still fails to clear the First and Second semester examination, the candidate shall not be allowed to study for the fifth semester of the Third Year of the course, and his result of the third and fourth semester examination shall be withheld, till all subjects prescribed for the First and Second semester examination have cleared by him/her.

(ii) A candidate who having obtained the pre-requisite marks in the internal assessment part of every subject of the 3rd & 4th Semester of Second Year examination under Regulation 7(i) appears in the 3rd & 4th semester of Second Year examination under Regulation 7(ii) may be allowed to study in the fifth semester of the Third Year of the course and to re-appear in all or some of the subjects of the third and fourth semester examination along with the subjects examination along with the subjects of the fifth and sixth semester examination. The subjects in which the candidate shall be eligible to reappear shall be eligible to reappear shall be only those in which he/she has obtained less than 50 per cent marks in the total of the Internal Assessment part and the University examination part (Internal Assessment marks shall not be reassessed, but shall be carried over.) If he/she still fails to clear the third and fourth semester examination, the result of the candidate of the fifth and sixth semester examination shall be withheld, till all subjects prescribed for the third and fourth semester examination have been cleared by him/her.

(iii) A candidate who having obtained the pre-requisite marks in the internal assessment part of every subject of the Fifth and Sixth semester of Third Year examination under Regulation 7(i), appears in the fifth and sixth semester examination but fails to pass the examination under Regulation 7(ii), may be allowed in re-appear in all or some of the subjects of the fifth and sixth semester examination. The subjects in which the candidate shall be eligible to re-appear shall be only those in which he/she has obtained les than 50 per cent marks in the total of the Internal Assessment part and the University examination part (Internal Assessment marks shall not be reassessed, but shall be carried over).

10. The Vice-Chancellor shall appoint the paper setters on the recommendation of the Board of Studies for the setting of question papers in the subjects of M.C.A.

11. Examiners for all subjects, whether external or internal, shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Board of Studies. The evaluation of the project work shall be done by a committee of three internal examiners appointed by the Vice-Chancellor.

12. The result of the examinations shall be prepared and declared by the Controller of Examinations.

13. Successful candidates shall be classified as under:

i) Those who obtain 75 per cent or more of the total aggregate marks of all the First & Second, Third & Fourth, Fifth & Sixth Semester examinations taken together: First division with Distinction, provided that the candidate had passed all the examinations/subjects in the first attempt.

ii) Those who obtain 60 per cent or more, but less than 75 per cent of the total aggregate marks of all the First & Second, Third & Fourth, Fifth & Sixth semester examinations taken together: First division.

iii) Those who obtain less than 60 per cent of the total aggregate marks of all the First & Second, Third & Fourth, Fifth & Sixth Semester examinations taken together: Second division.

2. **Change in nomenclature of M.B.A. (Part-time) as M.B.A. (Executive) from the session 2002-2003 and given effect to in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Govt. of India Gazette.**

.....

3. **Addition of Regulation 26 for Bachelor of Commerce (General & Honours) examination at page 306 of P.U. Calendar, Volume II, 2000 (effective from the session 2002) in anticipation of the approval of various bodies of University/Govt. of India/publication in the Govt. of India Gazette.**

26. A regular candidate of an affiliated College may offer a subject, including Honours, in which his College is not affiliated, by attending the prescribed courses of instructions in that subject in another College affiliated in it; the Principal of the later College shall certify that the student has completed the prescribed number of lectures, etc. The Principal of the College in which the student is enrolled shall report the student's name to the controller of Examinations of the University for confirmation.

.....

4. **Addition to Regulation 2 concerning admission to M.Sc. (2 year Course) (Semester System) at Pages 127-128 of P.U. Calendar, Volume II, 2000 (effective from the session 2001-2002) in anticipation of the approval of various University bodies/Govt. of India/publication in the Government of India Gazette.**

2 A person who has passed one of the following examinations shall be eligible to join M.Sc. (Semester System)

XXX XXX XXX

Zoology

B.Sc. with Zoology having at least 50 per cent marks in the aggregate from Panjab University or from any other University recognized by the Syndicate as equivalent thereto

.....

5. **Amendment of Regulation 3.1 for the Master of Arts examination at pages 78-80 of P.U. Calendar, Volume II, 2000 and given effect to in anticipation of the approval of the various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

3.1 A person who has passed one of the following examinations from this University at Lahore before 1948, or from any other University whose examination has been recognized as equivalent to the corresponding examination of this University shall be eligible to join the first year (Part I) class of the M.A. Course :-

xxx xxx xxx

For M.A. Part - I (French), a person who has passed-

i) B.A./B.Sc./B.Com./B.B.A./B.C.A. or Honours (under 10+2+3) system of education, and Advanced Diploma Course in French with at least 45% marks from the Panjab University or any or any other University.

OR

ii) B.A./B.Sc./B.Com./B.B.A./B.C.A. (under 10+2+3 system of education) with at least 45% in French elective or Honours (under 10+2+3 system of Education) from the Panjab University or any other University.

OR

iii) B.A./B.Sc./B.Com./B.B.A/B.C.A. or Honours (under 10+2+3 system of education) and Diploma Approfondi de La Langue francaise (DALF Advanced French Language Diploma) issued by the French National Ministry of Education.

In addition, this be also noted under 2.1-

Provided that:-

a candidate shall apply for M.A. in French only if he has the knowledge of the language as clarified in 3.1 (i).

.....

6. **Addition to Regulation 2(ii) and Regulations for One-Year Diploma in Advanced Scientific Computing (DASC) (effective from the session 2002-2003), in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

2. The minimum qualification for admission to the Diploma shall be –

(i) Master's degree in science subjects of Panjab University,

OR

(ii) B.E./B.Tech.
OR
(iii) Any other examination recognized by Panjab University as equivalent to the above examination

Regulations for the One -Year Diploma in Advanced Scientific Computation (DASC) Semester System w.e.f. admission of July, 2002.

DURATION

1. The duration of course leading to Diploma in Advanced Scientific Computation (DASC) shall be one year comprising two semesters. The examination of first semester will be held in the month of December and that of the second semester will held in April/May or on such other dates as may be fixed by the appropriate University authorities.

ADMISSION

2. The minimum qualification for admission to the diploma shall be-

(i) Masters degree in Science subjects of Panjab University
Or
(ii) Any other examination recognized by Panjab University equivalent to the above examination.

3. The admission will be to the First semester of the DASC. The admission will be governed by the rules approved by the University authorities from time to time.

4. Every candidate admitted to DASC course shall pay admission fee and tuition fees and examination fee for each semester of an academic year to the University as prescribed by the University from time to time.

EXAMINATION AND ASSESSMENT

5. The Board of Control in Physics will recommend a committee for two years with its Convener as the coordinator of the Diploma course for approval by the Vice-Chancellor.

The Chairman of Department Physics, on the recommendation of the Coordinator of the course, shall forward to the Controller of Examinations a list of students who have satisfied the requirements of the rules and regulations and are qualified to appear in the examination.

The Board of Control in Physics from time to time will revise the Syllabi.

6. The first and second semester examination shall be open to a regular candidate who-

(i) Has been on the rolls of the department of Physics during first/second semester for the diploma course respectively preceding the examination.

(ii) Has attended not less than 75 per cent lectures and practicals in each subject of the prescribed course for the first and second semester examination a deficiency of attendance may be condoned as per University rules.

7. A student must pass all prescribed examinations in maximum two academic sessions from the date of admission in the course in order to be eligible for award of Diploma subject to the above a student who scores less than 40 per cent marks in any subject may be allowed to reappear in one or more subjects as specified.

8. (i) All the assessment will be wholly internal for all theory papers. For laboratory courses, it may be wholly internal or there may be an external examiner. The Board of Control in Physics on the recommendation of Coordinator of the Course will appoint the external examiner.

(ii) The Coordinator/teacher for the course/paper is responsible for maintaining the desired standard of the course/paper and for evaluating students performance.

(iii) In a theory course/paper, 25 per cent of the total marks will be for in semester assessment and 75 per cent for end semester examination.

(iv) I n a theory course/paper the answer books of end-semester examination will be available to students for perusal according to the schedule which will be announced by the department/teacher.

(v) In laboratory course 50 per cent marks will be meant for semester assessment which will depend on the following:

(a) The performance of student in achieving the desired result in practical.

(b) Viva Voce on the experiment.

(c) Written repot on the experiment.

9. The evaluation of the project work shall be done by a committee of at least two internal examiners appointed by the Board of Control on the recommendation of the Coordinator of the diploma course. The student may be asked to present his/her project work in a seminar.

10. The result of the examinations shall be prepared and declared by the Controller of Examinations.

11. The students of the Diploma course will be at par with the whole time students of the University for Hostel Facilities as per the University rules.

12. Successful candidates shall be classified as under:

(i) Those who obtain 75 per cent or more of total aggregate marks of all the semester examinations: First division with distinction provided that the candidate has passed all the examinations/subjects in first attempt.

(ii) Those who obtain 60 per cent or more but less than 75 percent of total aggregate marks of all the semesters taken together : First division

(iii) Those who obtain less than 60 per cent of total aggregate marks of all the first and second semester taken together: Second division.

Re-Examination:

13. All the reappear examinations will be held along with the regular examinations in December/April or any other dates approved by the Board of Control as per the University rules.

.....

7. **Regulations for Post-graduate Diploma in Health, Family Welfare and Population Education for the Department of Correspondence Studies/affiliated Colleges (effective from the session 2002-2003) in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

1. The duration of the course of instruction for the Postgraduate Diploma in Health, Family Welfare and Population Education shall be one academic year.

2. The examination shall ordinarily be held in the month of April/May on such dates as may be fixed by the Syndicate.

3. The date for the commencement of the examination and the last date of receipt of admission form and fee:

(a) Without late fee and
(b) With late fee to be fixed by the Syndicate from time to time shall be notified by the Controller of Examinations to the Chairman, Department of Correspondence Studies, Panjab University, Chandigarh/Principal of the affiliated colleges.

4. The examination fee to be paid by the candidate shall be prescribed by the Syndicate from time to time.

5. The admission to the course shall be open to any person who has obtained the-

(i) Bach elor's degree of the Panjab University or any other qualification recognized as equivalent by the Syndicate, or

(ii) Para medical staff with five years, work experience.

6. Every student admitted to the Diploma course shall be on the rolls of the Department of Correspondence Studies/affiliated colleges and shall pay admission fee and other charges to the University/college as the Syndicate may prescribe from time to time.

7. There shall be a Board of Studies for the course. The Chairman of the Department of Correspondence Studies will be the convener and the Vice-Chancellor will nominate 4-5 persons to the Board.

8. Every candidate shall be examined in the subject as laid down in the syllabus, prescribed from time to time by the Board.

9. The medium of examination shall be English or Punjabi or Hindi.

10. The examination shall be open to the student whose name has been sent by the Chairman of the Department of Correspondence Studies/Principal of affiliated colleges who-

(i) has been on the rolls of the Department of Correspondence Studies/affiliated colleges, during the academic year preceding the examination, and

(ii) has attended prescribed class room lectures in affiliated colleges.

(iii) Has sent at least 50 per cent of the response sheets to the Department of Correspondence Studies, (for Correspondence students only).

(iv) A deficiency in the required number of the response sheets or lectures may be condoned by the Chairman, Department of Correspondence Studies/Principal of affiliated colleges as per rules framed by the Syndicate from time to time.

11. A candidate who has been on the rolls of the Department of Correspondence Studies/affiliated colleges and fails to appear or having appeared but fails in the examination, may be allowed to appear in the examination as an ex-student of the

Department of Correspondence Studies/affiliated college after paying the prescribed fee to the University.

12. The minimum number of marks required to pass the examination shall be-

(i) 35 per cent in each paper

(ii) 40 per cent in the aggregate.

Successful candidate will be classified into three divisions as under:-

(a)	Those who obtain 60 per cent or more of the aggregate marks.	First Division
(b)	Those who obtain less than 60 per cent but not less than 50 per cent of the aggregate marks.	: Second Division
(c)	Those who obtain less than 50 per cent of the aggregate marks.	: Third Division

13. Grace marks shall be given by the University as per rules prescribed by the Syndicate/Senate from time to time.

14. (i) A candidate who obtains 40 per cent of the aggregate number of marks in all the papers but fails in one paper only, obtaining not less than 25 per cent of the marks in that paper, may be admitted to the supplementary examination in that paper to be held in the month of September of the same year, or the date fixed by the Controller of Examinations. If he/she fails to pass the examination or absent from the examination then he/she can appear at the next examination. If he/she obtains 35 per cent marks in that paper in the University examination, he/she shall be declared to have passed the examination.

(ii) Such a candidate shall be required to pay examination fee as prescribed by the Syndicate from time to time and shall not be eligible for a prize or a medal.

15. A candidate who fails to pass or to appear in the two chances allowed, shall be declared to have failed in the whole examination and must appear in all the papers if he/she desired to take examination again.

16. A candidate who fails to qualify this examination in three consecutive chances shall not be allowed to continue his/her studies in the course.

17. The Controller of Examinations shall publish a list of candidates who have passed the examination, showing the division four weeks after the termination of Examination or as soon as possible.

18. Each successful candidate shall be awarded a Post-Graduate Diploma in Health, Family Welfare and Population Education showing the division in which he has passed along with the marks obtained by him/her and the aggregate marks.

.....

8. **Change of nomenclature of Bachelor of Engineering (Agro Processing) to Bachelor of Engineering (Food Technology) (effective from the session 2002-2003) in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/Publication in the Government of India Gazette.**

.....

9. **Amendment of Regulations 2.1 (a) and 5.1 for Bachelor of Education examination at pages 264-268 of P.U. Calendar, Volume II, 2000 (effective from the session 2002-2003) in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

2.1 A person who possesses one of the following qualifications shall be eligible to join the course:-

(a) B.A./B.Com./B.B.A./B.C.A./B.Sc./B.Sc. (Honours School) degree of the Panjab University of any other University recognized as equivalent thereto with not less than 45% marks in the aggregate provided the candidate has offered at least two school subjects at the first degree level.

5.1 B.Com./B.B.A./M.Com. students may opt two teaching subjects. One is teaching of Commerce and the other shall be out of the following:

Teaching of Economics or any of the languages i.e. English, Hindi, Punjabi and Sanskrit.

B.C.A. students may opt for teaching of Computer Science and Applications as one subject. The other subject shall be teaching of Mathematics or any of the languages i.e. English, Hindi, Punjabi and Sanskrit.

B.Sc. (Home Science) students may opt two teaching subjects. One is teaching of Home Science and the other shall be out of the following:

Teaching of Science or any one of the Languages i.e. English, Hindi, Punjabi and Sanskrit.

B.Sc.(Honours School)/B.Sc./(Medical) Gradu ates shall opt two teaching subjects out of the following:

1. Teaching of Science/Teaching of Physical Science.
2. Teaching of Life Sciences.
3. Teaching of any of the languages i.e. English, Hindi, Punjabi and Sanskrit.

B.Sc. (Honours School)/B.Sc.(Non-Medical) graduates shall opt tow teaching subjects out of the following:

1. Teaching of Science/Teaching of Physical Science.
2. Teaching of Mathematics/Teaching of Computer Science.
3. Teaching of any of the languages, i.e. English, Hindi, Punjabi and Sanskrit.

Arts g raduates may opt any one teaching subject out of the following:

Teaching of Social Studies.
Teachin g of History, Teaching of Geography
Teac hing of Economics.

And/or teachin g of any one of the languages i.e English, Hindi, Punjabi and Sanskrit, provided. the candidate has studied the subject at the graduation level.

XXX XXX XXX

.....

10. **Amendment of Regulation 8 of Chapter II(A) (vi) at page 44 'Academic Council' and Regulation 2 of Chapter V (A) 'University Teachers' at page 111 of P.U. Calendar, Volume I, 2000 and given effect to in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

8. The functions of the Academic Council shall be-

(a) to deal with University teaching and to make proposals for fresh development.

(b) to recommend to Syndicate the creation of new or additional teaching post in the University and to advise upon all proposals for the abolition of such posts. } deleted

XXX XXX XXX

2. The Senate shall have the power to determine, from time to time, after considering the recommendations of the Board of Finance/Syndicate, the Departments of Study for which Professorships, Readerships and Lectureships shall be instituted.

.....

11. **Change of nomenclature of Faculty of Engineering & Technology to Faculty of Engineering & Technology and Architecture & Planning and given effect to in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

.....

12. **Amendment of Regulation 4.1 at pages 45-46 of the P.U. Calendar, Volume II, 2000.**

4.1 A person who has passed one of the following examinations with pass in English as one of the subjects shall be eligible to join the First Year class of B.A. or B.Sc. (General and Honours) degree course in a College affiliated to this University, however, a person who has not qualified English as one of the subjects at the +2 examination, shall be eligible to join B.A./B.Sc. Ist Year class provisionally subject to his/her qualifying the deficient subject of English from the parent Board/Body/Council/University in two consecutive chances subsequent to his admission, failing which his/her admission to B.A./B.Sc., Ist year class and the result for the examination shall automatically stand cancelled.

xxx xxx xxx

.....

13. **Amendment of Regulation 25 of Chapter II(A) (i) 'The Senate' appearing at page 33 of the Panjab University Calendar, Volume I, 2000.**

25. A regulation shall take effect from the date of its publication in the Gazette unless any other date is named therein as the date on which it is to come in force.

If no objection to the proposed regulations/amendments/additions/deletions is received from the Government of India within three months from the date of despatch from the office of the University in case of academic matters, it would be presumed that the Government has no objection to the proposed regulations/amendments/additions/deletions and the same would be deemed as applicable from the date of approval by the Senate.

14. **Amendment/addition in Regulation 8(h) of Chapter 2(A) (iv) 'Academic Council' appearing at pages 44-45 of the Panjab University Calendar, Volume I, 2000 relating to functions of the Academic Council effect from the academic session 2004-05 in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

8(h). To manage the University Library, subject to general and financial control of the Syndicate and, for this purpose, to-

(i) appoint a Committee to **advise on policy matters concerning** the Library under the general control of the **Academic** Council. The Library Committee shall consist of the following:

(1) to (5) xxx xxx xxx

(6) A faculty member of the Department of Library & Information Science (of the rank of Reader and above).

(ii) xxx xxx xxx

.....

15. **Amendment of Regulation 17 XVIII(c)(v) of Chapter 2(B) 'Election of Ordinary Fellows' appearing at pages 67-68 of the Panjab University Calendar, Volume I, 2000 and given effect to in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

No Ballot Paper shall be issued to a voter who is not present at the polling booth within the time fixed for polling and does not produce any of the following documents before the Presiding Officer at the time of polling for identification:

(i) Own recent identity card with photograph of the voter, from the employer of a recognized institution i.e. Government, Semi-Government institution, statutory bodies, Autonomous bodies, Corporations, Boards.

(ii) General Election identity card.

(ii) A valid Driving Licence, with photograph.

(iv) A valid passport.

(v) (a) A certificate with photograph duly attested by 1st Class Magistrate/Subordinate Judge/ Principal of College affiliated to Panjab University.

(b) Permanent Account Number (PAN) issued by the Income-Tax Department.

(c) Any original document, with holder's photograph, issued by the Panjab University establishing the identity of voter.

(vi) Bank/Post Office recent passbook with photograph.

(vii) Students identity card issued by recognized educational institution with photograph.

(viii) Recent Ration Card with photograph.

(ix) Pension documents of ex-servicemen's pension book/pension payment order, ex-servicemen's widows/dependent certificate, old age pension order, widow pension order with photograph.

(x) Senior citizen card with photograph.

(xi) Freedom fighter identity card with photograph.

(xii) Recent Arms licence with photograph.

(xiii) Recent certificate of physical handicap issued by competent authority with photograph.

(xiv) Recent certificate issed by the Bar Council/Bar Association with photograph.

.....

16. **Addition to Regulation 2 of Chapter IV (A) (ii), Dean of Student Welfare (Men)/Dean of Student Welfare (Women) appearing at page 107 of the Panjab University Calendar, Volume I, 2000 in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

2.1 The duties and functions of the Dean of Student Welfare shall be -

(i) to make arrangement for the residence and to supervise discipline of students studying in the University classes at Chandigarh, and also to supervise and approve the lodging arrangements of the students living outside the campus;

(ii) to supervise co-curricular and cultural activities of the students in the University campus;

(iii) to look after the Physical Welfare and N.C.C. activities of the students in the University campus;

(iv) to operate the accounts of the Amalgamated Fund allocated to the students' welfare Department for co-curricular activities;

(v) to deal with all matters pertaining to discipline among the University students on the campus and outside (excepting those relating to their academic work which will be dealt with by the Heads of the Departments and/or the D.U.I.) and to impose such penalties as may be deemed necessary, after due enquiry;

(vi) to devise ways and means for promoting the well being of the University students, social, moral and emotional, and inculcating among them regard for great ideals like loyalty to the country, devotion to duty and pursuit of truth.

2.2 The Senate may also, on the recommendation of the Vice-Chancellor and the Syndicate, appoint a Dean of Student Welfare (Women) for such period and on such implementation and conditions as for the Dean of Student Welfare out of the Amalgamated Fund Account. The Dean of Student Welfare (Women) would also be the Chairperson of Grievance Committee for the code of conduct and discipline for avoidance of sexual harassment.

.....

17. **Regulation 7 for B.A./B.Sc. (General and Honours) examination appearing at page 48 of the Panjab University Calendar, Volume II, 2000 given effect to from the admissions of 2003-2004, in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

7. The examination in First/Second/Third year shall be open to a student who -

(a) has passed not less than one academic year previously the qualifying examination laid down in Regulation 4.1.

In the case of a compartment candidate who is eligible to join B.A./B.Sc. course, the period of one academic year shall be counted from the examination in which the candidate is placed under compartment. A candidate who is placed in compartment/fail in the

subject in +2 examination may be allowed to join B.A./B.Sc. 1st Year class subject to the following conditions:

The admission of a candidate under Regulation 4.2 shall be provisional and shall be confirmed only after he has cleared the subject of compartment from the parent Board/Body/ Council/University in the two consecutive chances subsequent to his admission. In case he does not clear the compartment in two consecutive chances afforded to him, his provisional admission to the 1st year B.A./B.Sc. shall stand cancelled.

If the candidates placed under compartment in +2 cleared their compartment examination by appearing in the Supplementary Examination of the Board before the last date of admission, they shall be considered for admission to the next higher class provided they were eligible and subject to availability of seats.

(b) xxx xxx xxx

.....

18. **Addition of clause (vi) to Regulation 12.2 for B.Sc. (Honours School) (Annual System) in regard to functions of the Undergraduate Academic Programme Monitoring and Executive Committee (UGAPMEC) (effective from the admissions of 2002-2003) in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

12.2 The Board of Control would appoint Undergraduate Academic Programme Monitoring and Execution Committee (UGAPMEC) for monitoring an execution of the academic programmes in all the three years. The composition and functions of the UGAPMEC would be as under:

(i) to (v) xxx xxx xxx

(vi) UGAPMEC shall make recommendations regarding complaints and settle disputes, if any, against paper-setting and evaluation.

.....

19. **Addition to the Regulations for B.Sc. (Honours School) (Annual System) examination at page 69 of P.U. Calendar, Volume II, 2000 (effective from the examinations of April, 200-) given effect to in anticipation of the approval of the Senate/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

"A candidate who had passed B.Sc. (Honours School) examination from the Panjab University may reappear as a private candidate in a subject(s) in theory papers, in which he/she appeared earlier, with a view to improving his/her previous performance. He/She may reappear in the First, Second and Third Year examinations or any of the examinations simultaneously or separately.

For the purpose, a candidate be given two chances within a period of three years from the year of passing B.Sc. (Honours School) examination. He/she will appear in the Annual/Semester examination along with regular students

The students for B.Sc. (Honours School) improvement examination will be examined only under the current syllabus as per the existing University rules.

No improvement shall be allowed in the internal assessment component.

EXPLANATORY NOTE:

Improvement of performance by a candidate shall not affect the inter-se merit position determined on the basis of original examination."

.....

20. Addition to Regulation 14 for B.Sc.(Honours School) (Annual System) examination regarding issue of certificate in respect of the Subsidiary subjects of Vocational Biotechnology/Vocational Computer Science and Applications given effect to in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/ publication in the Government of India Gazette :

14. The students passing B.Sc. (Honours School) examination during 1999-2003 having studied Vocational Biotechnology/Vocational Computer Science and Applications as Subsidiary Subject for all the three years of the course will be given separate certificate under the seal/signatures of the Controller of Examinations, indicating the marks obtained in the Subsidiary Subject in the B.Sc. (Honours School) Third Year.

.....

21. Addition to Regulation 13 for M.Sc. (Honours School) (Semester System) of P.U. Calendar, Volume II, 2000 w.e.f. April 2003 examinations given effect to in anticipation of the approval of Senate/Government of India/publication in the Government of India Gazette:

"A candidate who has passed the M.Sc. (Honours School) (Semester System) examination from the Panjab University under the semester

system may re-appear as a private candidate in a course/s, he/she wishes to, with a view to improving his/her performance. For this purpose, he/she may be given two chances within a period of 5 years from the date of his/her passing the degree course. The candidate in the first instance shall be required to intimate all the courses in which he/she would like to improve his/her performance. He/she will then appear in the respective course/s at the main semester examination, i.e. for the course(s) offered for First and Third semester in the November/December and for the Second and Fourth semesters in April/May examination. If he/she does not improve his performance in any course/s, he shall be eligible to do so the following year in the semester examination concerned which would be treated as a second chance. The candidate shall be charged fee as prescribed by the Syndicate from time to time for each course subject to the maximum admission fee prescribed for the semester concerned.

EXPLANATORY NOTE:

Improvement of performance by a candidate shall not affect the *inter-se* merit position determined on the basis of original examination."

.....

22. **Addition to Regulation 9.1 relating to M.A. Part I (Sociology) (Annual System) examination through Correspondence appearing at 85 of P.U. Calendar, Volume II, 2000 (effective from the examinations of 2002) given effect to in anticipation of approval of the Government of India/publication in Government of India Gazette**:

(i) A candidate shall be deemed to have passed Paper II if he/she secures 33% marks in theory separately or jointly with research assignment;

(ii) In case of PRE, a candidate can appear in Supplementary examinations in theory paper only and the internal assessment marks in such case would be carried forward from the previous main examinations. It will also be applicable to absent/failed candidates in this paper;

(iii) No extra chance is given to the candidates to submit the assignments. These students who fail to submit assignments by due date be awarded zero marks in the internal assessments;

(iv) In case of re-evaluation, it should be done only in the theory paper and not the assignments nor internal assessment. The original score of the internal assessment in this paper obtained by a candidate will remain till he/she gets the chance to clear this paper by Supplementary Examination of Re-evaluation in theory part of it.

23. **Addition of clause (vii) to Regulation 10.2 for M.Sc. (Honours School) (Annual System) of P.U. Calendar, Volume II, 2000 in regard to the functions of Postgraduate Academic Programme Monitoring and Executive Committee (PGAPMEC) (effective from the admissions of 2002-2003) given effect to in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

10.2. The Board of Control would appoint Postgraduate Academic Programme Monitoring and Execution Committee (PGAPMEC) for monitoring an execution of the academic programmes in all the three years. The composition and functions of the PGAPMEC would be as under:

(i) to (vi) xxx xxx xxx

(vii) PGAPMEC shall make recommendations regarding complaints and settle disputes, if any, against paper-setting and evaluation.

.....

24. **Regulations 3.4, 3.5, 4.2, 11.1 and 13.1 relating to Degree of Doctor of Philosophy in the Faculties of Arts, Languages, Education, Science and Design & Fine Arts at page 175-183 of Panjab University Calendar, Volume II, 2000 and be made applicable to the candidates enrolled after the date of the Senate decision dated 14.12.2003, in anticipation of the approval of Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

The students enrolled for Ph.D before the decision of the Senate dated 14.12.2003 will be governed by the old Regulations.

3.4 Within one year of the date of enrolment, the candidate shall apply through the Chairman/Head of the University Department concerned/Principal, Home Science College for registration. Extension up to six months may be granted by the Dean of University Instruction on the recommendation of the Chairman/Head of the University Department concerned/Principal, Home Science College. The application for registration shall contain-

(a) a tentative title of thesis or broad area of work; and
(b) a tentative design of research project (synopsis).

If a candidate fails to submit the registration form, including tentative title of the thesis and synopsis, within the prescribed period of one and a half years, the Chairperson/Head of the Department/Principal of Home Science College, may give specific reasons for consideration of the Joint Research Board which may grant six months' second extension beyond one and a half years (normal period of

one year plus six months' extension) in the submission of registration form, tentative title of the thesis and synopsis, on payment of fee prescribed by the Syndicate/Senate from time to time.

3.5 (a) A candidate would be required to submit the registration form, tentative title of the thesis and synopsis to the Chairperson of the Department concerned, who, in trun, would forward the same to the University Office within a week of its receipt.

(b) In case a candidate does not submit the registration form, tentative title of the thesis and synopsis to the Chairperson of the Department within a period of two years, his/her enrolment be treated as cancelled automatically. No separate intimation would be sent to the candidate.

4.2 While forwarding the application, Head of the Department/Principal, Home Science College shall also recommend a suitable supervisor to guide the applicant in his research work. He may, if he considers necessary, recommend joint supervisors.

4.3 Joint Supervisors may be appointed, on the request of the candidate and the Supervisor, from the Teaching Departments and Postgraduate Regional Centres of the Universities recognized by the U.G.C. and also from the national/autonomous institutions, national/autonomous organizations and national/autonomous laboratories to be certified by the Chairperson of the concerned Department, provided they fulfill the following conditions:

(a) hold the degree of Ph.D with published research work, such as books, articles or research papers in refereed research journals; and

(b) evidence of having been engaged in research after Ph.D.

No fee shall be charged form the concerned institutions, etc. for the above purpose.

11.1 Every candidate shall report in writing, at the end of every six months, to the Supervisor the work done by him during the six months. The Supervisor will take such action on his report as he considers suitable depending on the nature of the report and other circumstances of the case.

The progress report form the date enrloment, duly signed by at least one of the Supervisors(s)/proposed Supervisor(s)/Joint Supervisor(s), as the case may be, shall be submitted by the candidate to the Chairperosn of the Department concerned and the same shall be placed before the Academic Committee of the Department. A copy of the proceedings of the Academic Council be sent to the University Office for record. The Chairperson of the Department shall ensure that the progress reports, the matter be placed before the Academic Council for consideration and recommendation to the Joint Research Board for cancellation of enrolment and registration of the candidate.

13.1 A candidate who is unable to complete research work and thesis within the time allowed by these Regulations may apply through his Supervisor and Head of the Department concerned for grant of extension.

Extension may be granted by the Joint Research Board up to a maximum of two years, i.e. every candidate must submit his thesis on the expiry of a total period of give years form the date of enrolment of application.

Provided that –

(i) extension shall not be gra nted for more than a year at a time;

(ii) every application for grant of extension shall be accompanied by a fee prescribed by the Syndicate /Senate from time to time.

If the thesis is received after the prescribed period of five years, the delay may be condoned by the authorities named below:

(i) Up to 3 months - Dean of University Instruction.
(i) Up to one year - Joint Research Board.
(ii) Beyond one year up to three years – Vice-Chancellor on the recommendation of the Joint Research Board, under special and exceptional circumstances to be recorded.

A fee of Rs. 2000 per year or an amount to be decided by the Syndicate/Senate from time to time, shall be charged for condonation of delay in the submission of Ph.D. thesis after expiry of the period of five years from the date of enrolment.

Provided that the maximum time limit for submission of Ph.D. thesis would be eight years from the date of enrolment, i.e. normal period: three years, extension period: three years, after which enrolment and registration of the candidate shall be treated as cancelled automatically.

.....

25. **Regulation 3.1 and 3.3 of Diploma in Translation (English to Hindi/Punjabi) in the affiliated Colleges at page 233 of the Panjab University Calendar, Volume II, 2000 (effective from the session 2003-2004) given effect to in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette):**

3.1. A person who possesses the qualification laid down in Regulation 2, and produces the following certificates signed by the Head of the Panjab University Hindi/Punjabi Department as the case may be or by the

Principal of a College affiliated to the Panjab University, shall be eligible to appear in the examination;

(a) of good character;

(b) of having been on the rolls of the Department/College concerned during the academic year preceding the examination; and

(c) of having attended not less than 66 per cent of the lectures in each paper delivered to the class;

3.3. A student who having completed the prescribed course, does not appear in the examinations, or having appeared has failed, may be permitted, on the recommendation of the Head of the Department /Principal of the College, as the case may be, to appear in the examination as private candidate, within a period of three years of completing the course concerned.

.....

26. **Addition to Regulation 4.1(a) for B.Com. (General and Honours) examination at page 302 of the Panjab University Calendar, Volume II, 2000 (effective from the admissions of 2003-2004) given effect to in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

4.1. The examination in First/Second/Third year shall be open to a student who -

(a) has passed not less than one academic year previously the qualifying examination laid down in Regulation 3.

If the candidates placed under compartment in +2 cleared their compartment examination by appearing in the Supplementary Examination of the Board before the last date of admission, they shall be considered for admission to the next higher class provided they were eligible and subject to availability of seats.

XXX XXX XXX

.....

27. **Addition of Regulation regarding improvement of performance in the regulations for LL.M. examination appearing at pages 360-364 of the Panjab University Calendar, Volume II, 2000 in anticipation of the approval of University bodies/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

"LL.M. students who got/get less than 55% marks in the aggregate shall be given chance for improvement from the date of passing the LL.M. degree examination."

NOTE: 1. Improvement in performance by a candidate shall not affect the *inter-se* merit position determined on the basis of original examination.

2. Those who have passed LL.M. would be allowed improvement chance within two years from the date this change comes into force.

.....

28. **Regulation 3 for Bachelor of Engineering examination at the University Institute of Engineering and Technology (effective from the admissions of 2003) given effect to in anticipation of the approval of Senate/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

3. The admission to the first semester course in any branch will be through an Entrance Test. It will be open to a candidate who has passed 10+2 examination of the Central Board of Secondary Education, New Delhi or its equivalent with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the following subjects:

1. Chemistry
2. Biotechnology
3. Computer Science
4. Biology.

.....

29. **Regulation 3 at page 377 of the Panjab University Calendar, Volume II, 2000 for Bachelor of Engineering examination (effective from the admissions of 2003) given effect to in anticipation of the approval of Senate/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

3. The admission to the first semester course in any branch will be through an Entrance Test. It will be open to a candidate who has passed 10+2 examination of the Central Board of Secondary Education, New Delhi or its equivalent with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the following subjects:

1. Chemistry
2. Biotechnology
3. Computer Science
4. Biology.

.....

30. **Regulations for M.Tech. (Energy Engineering & Management) (effective from the admissions of 2002-2003) in anticipation of the approval of various University bodies/Government of India/publication in Government of India Gazette.**

1.1. The duration of course for the degree of M.Tech (Energy Engineering & Management) for regular candidate shall be four years (2 years). The maximum period in which such a candidate must qualify for the degree shall be four academic years, failing which he shall not be allowed continue his/her studies for the course.

2.1 A person holding the following qualifications shall be eligible for admission to M.Tech. (Energy Engineering & Management).

B.E./B.Tech. or equivalent degree in Chemical, Mechanical, Civil Production Engineering, Electrical Engineering, Agricultural Engineering, M.Sc. Physics, M.Sc. Energy, M.Sc. Chemistry with 55 per cent marks in aggregate.

2.2 Admission will be made as per procedure prescribed by the Syndicate from time to time.

2.3 A candidate who has passed A & B Sections of the Indian Institutions of Engineers (Calcutta) (AMIE) or Indian Institute of Chemical Engineers (Calcutta) (I.I.Ch.E.) with at least 55 per cent marks may be admitted to M.Tech. (Energy Engineering & Management) course provided that he has passed the entrance test.

3.1 The examination for the degree of M.Tech. (Energy Engineering & Management) shall be held in December/January and May/June on dates fixed by the Syndicate.

3.2 The last date for receipt of examination admission forms and examination fees without and with late fee shall be fixed by the Syndicate.

3.3 The dates fixed by the Syndicate in accordance with Regulations 3.1 shall be notified by the Controller of Examinations.

3.4 A student who has remained on the rolls of the University Department in M.Tech. (Energy Technology) Semester concerned and produced following certificate signed by the Director Energy Research Centre shall be eligible to appear in the examination in that semester:

i) of good moral character;
ii) of having attended for each subject, not les than 75% of the lectures and 75% of the total sessional work, in tutorials design, laboratory work and seminars and of having acquitted himself creditably in all the exercises or periodicals examination conducted by the University Department from time to time.

4. A deficiency in the required number of lectures and practicals may be condoned up to 10 per cent by the Director Energy Research Centre.

5. The amount of admission fee to be paid by the candidates shall be prescribed by the Syndicate from time to time.

6.1 Every candidate shall be required to offer for examination:

(a) 10 theory papers out of the list approved by the Faculty of Engineering and Technology form time to time- selection be made on the advice of the Director Energy Research Centre provided that no candidate shall be allowed to qualify in more than five papers at the end of the first semester of the first year of the course and not more the ten papers (including the papers passed in the first semester) at the end of the first year of the course.

(b) A thesis of which four neatly typed or printed copies properly bound shall be submitted to the University.

6.2 The medium of Instruction and examination shall be English.

7.1 The candidate shall prepare his/her thesis under the supervision of the teacher concerned in the University/Department/Collaborating Institutions and a joint Supervisor from any other Institution, Industry/Corporation/other organization engaged in the area of Energy. If, however, the Director Energy Research Centre is satisfied that facilities for preparing the thesis exist elsewhere, he may allow that candidate to prepare his/her thesis there and his period shall be counted towards the requirement for M.Tech. (Energy Technology) but the candidate shall spend for completing his thesis, a minimum period of four weeks under the direct supervision of his teacher or the Director Energy Research Centre.

7.2 The thesis shall present an orderly and critical exposition of the existing knowledge of the subject, shall embody result of the original investigations and shall demonstrate the capacity of the candidate to do independent research work while writing the thesis, the candidate shall lay out clearly the work done by him independently and the source from which he has obtained other information contained in the thesis.

7.3 The thesis shall be submitted by the candidate at the end of the third semester of the course provided that he has appeared in all the theory papers of 1st and 2nd semester examination. The result of the thesis shall be declared after the candidate passes in all the 10 theory papers. In case the candidate's thesis is rejected or he/she is unable to complete the thesis in the third semester he/she will be allowed two more years at the maximum for submission of thesis of its revision.

Provided further that the extension beyond the above limit but exceeding two years may be allowed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Director Energy Research Centre as the may be.

7.4 There shall be viva voce test on the subject matter of the thesis. The examiners may, if they consider it necessary also require the candidate to undergo a written and of a practical test.

8.1 The minimum number of marks required to pass the examination shall be:-

a) 40 per cent in each theory paper;
b) 50 per cent in the sessional part of each paper;

8.2 Subject to Regulation 8.1 a candidate who has failed in any paper/s may be allowed to reappear in any subsequent examination to pass the examination in that paper on the payment of requisite admission fee per paper in each semester examination subject to a maximum of amount prescribed by the Syndicate for the examination concerned and admission fee charged for other semester examination, if any, in which he/she was appearing, provided that such a candidate shall not be placed in the category of pass with distinction.

9. Successful candidates shall be classified as under:

(a) Those who obtain 75 per cent or more of the aggregate marks of all the theory papers and in the sessional at least fifty per cent marks in each theory papers and also if the thesis has been adjudged to merit distinction, provided that the candidate concerned has cleared the examination in each paper at the first attempt (i.e first time when a candidate actually takes the University examination in the concerned paper). : Pass with Distinction

(c) Those who pass all the theory paper and the sessional but are not entitled to be classified as having been placed in Pass with distinction. : First Division

10. Four weeks after the termination of each semester examination or as soon as possible, the Controller of Examinations shall publish the result. Every successful candidate shall receive a certificate of having passed that semester of the examination shall be awarded the degree in accordance with Regulation.

11. A person who pass passed in all the theory papers but has not completed the thesis he/she shall be granted Post Graduate in Energy Technology.

.....

31. **Regulation 3.1 for Bachelor of Pharmacy examination (effective from the admissions of 2003) in anticipation of the approval of Senate/Government of India/publication in the Government of India Gazette:**

3.1. The admission to the first semester course will be through an Entrance Test. It will be open to a candidate who has passed 10+2 examination with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with one of the following subjects:

1. Mathematics
2. Biotechnology
3. Computer Science
4. Biology.

.....

32. **Regulation 2 for Bachelor of Architecture examination (effective from the admissions of 2003) in anticipation of the approval of Senate/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

2. The admission to the first semester course will be through an Entrance Test. It will be open to a candidate who has passed 10+2 examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the following subjects:

1. Chemistry
2. Engine ering Drawing
3. Computer Science
4. Biolog y.

.....

33. **Regulations for (i) Post-graduate Diploma in Marketing Management; (ii) Post-graduate Diploma in Personnel Management & Labour Welfare; (iii) Post-graduate Diploma in International Trade, (effective from the admissions of 2002-2003) in anticipation of the approval of various bodies/Government of India/ publication in the Government of India Gazette.**

(i) Postgraduate Diploma in Marketing Management
(ii) Postgraduate Diploma in Personnel Management & Labour Welfare
(iii) Postgraduate Diploma in International Trade.

1. The duration of the course leading to the Postgraduate Diplomas shall be one year. The examination shall be divided into two semesters. The examination for first semester and second semester

shall ordinarily be held in the months of December and April/May respectively, or such dates as may be fixed by the Syndicate.

2. The Chairman of the concerned Department/the Principal of the college shall forward to the Controller of Examinations, at least five weeks before the commencement of the examination for each semester, a list of the students along with their admission forms and fees who have satisfied the requirements of regulations and are qualified to appear in the examination.

3. The minimum qualification for admission to First Semester of the course shall be –

(a)(i) A Bachelor's/Post-graduate degree in any discipline of the University or a degree of any other University which has been recognized by the Syndicate as equivalent thereto with not less than 45% marks in the aggregate:

Provided that in case of candidates having Bachelor's degree of the University through Modern Indian Languages (Hindi/Urdu/Punjabi (Gurmukhi Script) and/or in a Classical Language Sanskrit/Persian/Arabic) or a degree of any other University obtained in the same manner, recognized by the Syndicate, 45% marks in the aggregate shall be calculated by taking into account full percentage of marks in all the papers in Language excluding the additional optional paper, English and the elective subject taken together.

OR

(ii) A pass in the final examination conducted by the (a) Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Chartered Accountants of England and Wales, or (b) Institute of Cost and Works Accountants of India or Institute of Cost & Management Accountants incorporated by Royal Charter, London, or (c) Institute of Company Secretaries of India.

OR

(iii) AMIE examination with at least 50% marks.

4. Every candidate shall be examined in the subjects as laid down in the syllabus prescribed from time to time.

30% marks in each paper excluding seminar, project and viva-voce shall be assigned for internal assessment.

Seminar, Projects and Workshop will be assessed on 100% basis. Viva-voce shall be conducted jointly by the internal and external examiners.

The Chairman of the concerned Department/the Principal of the college shall forward these marks on the basis of periodical tests, written assignments, case discussion, Syndicate sessions, field trips etc., to the Controller of Examinations, at least one week before the commencement of the examination.

5. The first semester examination shall be open to a regular student who: -

(i) has been on the rolls of the Department/the College during one semester preceding the first semester examination; and

(ii) has attended not less than 75% of the lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, field trips, project work, etc., for each paper.

(iii)

6. The second semester examination shall be open to a regular student who:-

(a) has been on the rolls of the Department/the College during one semester preceding the second semester examination;

(b) has attended not less than 75% of lectures, seminars, case discussions, Syndicate sessions, field trips, project work, etc., for each paper.

(a) has passed the first semester examination or is covered under 'Reappear' Regulation____.

7. The minimum number of marks to pass the examination in each semester shall be-

(i) 35% in each paper in the University examination, separately as well as jointly with internal assessment;

(ii) 35% in seminar, project and viva voce;

(iii) 45% in the aggregate of each semester.

8. Grace marks shall be given @ one per cent of the aggregate marks of the University examination for each semester. A candidate may avail of the grace marks either in the aggregate or in one or more

papers as may be to his advantage. Grace marks, shall however, be given only for passing the examination or for earning the higher division and not for passing the examination with distinction.

9.(a) A candidate who fails in the first semester but has secured at least 35 marks separately as well as jointly with internal assessment in not less than 50% of the papers prescribed for that semester shall be permitted to continue his studies in the second semester but he will be required to reappear in the next April/May examination in such papers in which he had failed in the December examination, simultaneously with the second semester examination.

(b) A candidate who fails in the second semester examination but had secured at least 35% marks separately as well as jointly with internal assessment in not less than 50% papers prescribed for that semester shall be allowed to reappear in such papers in which he had failed in April, in two consecutive examinations to be held with semester examinations.

Explanation: Fifty per cent of 5 papers will be taken as 2 and that of 7 papers as 3 for purpose of exemption under this Regulation.

(c) A candidate who is unable to clear the second semester examination even after availing of the chances as specified above shall be required to leave the course.

10. If a candidate is required to reappear in a paper, which is 100% internal assessment, he will be given one more opportunity to qualify in that paper without attending a fresh course of lectures. The work assignment may be determined by the Chairman of the concerned Department/the Principal of the College.

11. A candidate who failed in the I or II semester examination and is not covered under the 'Reappear' Regulations may be given one more chance and allowed to appear in the next regular examination without attending a fresh course of lectures but he will have to repeat the entire examination.

If a candidate fails too pass in a semester examination even after the second attempt he will be required to leave the course.

12. The internal assessment awards of a candidate who fails in the examination shall be carried forward to the next examination.

13. Successful candidates shall be classified as under:-

(i) Those who obtain 75% or more of the total aggregate marks in all the semester Examinations taken together.

.....First Division with distinction.

(ii) Those who obtain 60% or more of the aggregate marks but less than 75% marks in all the semester examinations taken together.

.....First Division

(iv) Those who obtain 50% of the aggregate marks but less than 60% in all the semester examinations taken together.

.....Second Division

(v) Those who obtain below 50% of the aggregate marks in all the semester examinations taken together.

.....Third Division

As soon as possible after the termination of the examination, the Controller of examinations shall publish a list of the candidates who have passed.

.....

34. **Regulations for Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery (B.H.M.S.) (effective from the session 2002-2003) in anticipation of the approval of Senate/Government of India/publication in the Government of India Gazette.**

a. The duration of the course of instruction for the degree of Bachelor of Homeopathic Medicine & Surgery (B.H.M.S.) including one year compulsory internship shall be five & a half years.

b. There shall be four examinations viz. First, Second, Third & Fourth. The First Examination will be held at the end of 18 months, the Second Examination at the end of 30 months, third examination at the end of 42 months & fourth examination at the end of 54 months.

After a candidate has passed the final examination, there shall be a compulsory internship as described below:-

COMPULSORY INTERSNHIP

1. The internship shall be undertaken at the Hospital attached to the College & in cases where such Hospital cannot accommodate all of its students for internship such students may undertake their internship in a Hospital or dispensary run by the Central Government or State Government or local bodies.

2. At the completion of the internship of the specified period & on the recommendation of the head of the Institution where internship was undertaken, the concerned State Board of University, as the case may be, shall issue the Degree to the successful candidate.

3. A person who shall attain the age of 17 years as on 31st December in the year of admission & has passed 10+2 examination from the recognized Boards/Bodies/Councils or any other examination recognized as equivalent to 10+2 examinations by the Panjab University with Physics, Chemistry & Biology after qualifying the entrance test shall be eligible to join the first year class of the Course.

4. The mode of admission to the Course shall be as prescribed by the University from time to time.

5. First Professional B.H.M.S. Examination (to be held at the end of 1½ Years) Scheme of Examination: -

   (i) Any undergraduate may be admitted to the First B.H.M.S. examination provided that he has regularly attended the following courses of instruction in the subjects of the examination, theoretical & practical for not less than one & half years at a Homeopathic Medical College to the satisfaction of the head of such College.

   (ii) The first Professional period shall ordinarily start from 1st day of September & end of February next year. The examination shall ordinarily be completed by the end of March. The Supplementary examination of First Professional shall ordinarily be held within six weeks of declaration of result of main examination. The candidate be allowed three more chances (a total of four chances as per rules) after the First Professional Examination.

   (iii) However, a student failing in one or more subjects of First Professional Examination may be allowed to continue in Second Professional course.

   (iv) A candidate who has failed in B.H.M.S. 1st Professional Annual Examination shall be permitted to continue studies

to the next higher class but shall not be allowed to sit for the examination of the next professional till he has cleared all the subjects of the lower class.

(v) The First Professional B.H.M.S. examination shall be held in the subjects prescribed in the syllabus & the candidates shall be required to pass all subjects.

(vi) Pass marks in all subjects both Homeopathic & allied medical subjects shall be 50% in each part (written, oral & practical).

(vii) A candidate securing 75% or above marks in any of the subjects shall be declared to receive honours in that subject provided he has passed the examination in the first attempt.

(viii) The candidates, before presenting themselves for this examination shall obtain a certificate from the Principal of his/her college for having completed the prescribed course of theory & practicals in the prescribed subjects of the first professional examination.

(ix) A candidate failing in one or more subjects in examination shall be eligible to appear in Supplementary examination.

Candidates who fail to pass the First Professional Examination in the admissible chances as mentioned above shall not be allowed to continue their studies. However, in the case of personal illness/accident of a serious nature of a candidate or other unavoidable conditions/circumstances, the Vice/Chancellor may permit them one or more chances only in lieu of the chances missed by them for passing the first professional course.

(x) Second Professional B.H.M.S. Examination (to be held at the end of 2 ½ Years)

(xi) The second Professional Course shall ordinarily start in April following the First Professional Examination & the examination shall be held ordinarily in March of next year after completion of 2 ½ years.

(xii) The Second Professional examination shall be held after one year after First Professional Examination in the subjects prescribed in the syllabus and the candidate shall be required to pass all subjects.

(xiii) The supplementary examination to Second Professional shall be held ordinarily in September & those who remain failed in one or more subjects in Supplementary examination shall be eligible to appear in the subsequent Second Professional Examination.

(xiv) Pass Marks in all subjects Homoeopathic & allied Medical subjects shall be 50% in each part (written, oral & practical).

(xv) A candidate securing 75% or above marks in any of the subjects shall be declared to receive honours in that subject provided he has passed the examination in first attempt.

Fourth Professional B.H.M.S. Examination (to be held at the end of 4 ½ Years

i) No candidate shall be admitted to the Fourth B,H.M.S. Examination unless:

a) he has passed the 3rd B.H.M.S. Examination at least one year previously.

b) has regularly attended B.H.M.S. 4th Prof. Subjects prescribed in the syllabus & the candidate shall be required to pass all the subjects.

ii) If a candidate remains failed in one or more subjects in 4th Professional examination, he/she shall be eligible to appear in those subjects in subsequent 4th Professional Examination which may be held ordinarily after every six weeks or at such time as the competent authority may determine from time to time.

iii) Pass marks in all subjects both Homeopathic & allied Medical subjects shall be 50% in each part (written, oral/practical).

iv) A candidate securing 75% or above marks in any of the subjects shall be declared to receive honours in that subject provided he has passed the examination in first attempt.

6. Results and readmission to examination.

i) Every candidate for admission to an examination shall 21 days before the date fixed for the commencement of the examination send to the authority concerned his application in the prescribed form alongwith the examination fee.

ii) As soon as possible after the examination the examining body shall publish a list of successful candidates arranged in the following manner:-

a) The names and roll numbers of the first ten candidates in order of merit and

b) The roll numbers of others arranged serially.

iii) Every candidate on passing shall receive a certificate in the form prescribed by the examining body concerned.

iv) A candidate who appears at the examination but fails to pass in subject or subjects may be admitted to a supplementary examination in the subject or subjects of that part of the examination in which he has failed after six weeks from the publication of result of the first examination on payment of the prescribed fee along with an application in the prescribed form.

v) If a candidate obtains pass marks in the subject or subjects at the supplementary examination he shall be declared to have passed at the examination as a whole.

vi) If such a candidate fails to pass in the subject or subjects at the supplementary examination he may appear in that subject or subjects again at the next annual examination on production of a certificate (in addition to the certificate required under regulations) to the effect that he had attended to the satisfaction of the principal, a further course of study during the next academic year in the subject or subjects in which he had failed, provided that all the parts of the examination shall be completed within four chances (including the supplementary one) from the date when the complete examination came into force for the first time.

vii) If a candidate fails to pass in all the subjects within the prescribed four chances, he shall be required to prosecute a further course of study in all the subjects and in all parts for one year to the satisfaction of the head of the college and appear for examination in all the subjects.

Provided that if a student appearing for the IV B.H.M.S. examination has only one subject to pass at the end of prescribed chances, he shall be allowed to appear at the next examination in that particular subject and shall complete the examination with this special chance.

viii) the examining body may, under exceptional circumstances, partially or wholly cancel any examination conducted by it under intimation to the Central Council of Homoeopathy and arrange for conducting re-examinations in these subjects within a period of thirty day from the date of such cancellation.

7. Only those students who fulfil the following requirements shall be allowed to appear in the B.H.M.S. first, second, third & fourth examination:

a) of having been on the rolls of the College throughout the period of 1 ½ Years of B.H.M.S. 1st Prof. & one year each of B.H.M.S. 2nd, 3rd & 4th Prof. Examinations.

b) of having good character

c) of having attended not less than 75% of the full course of:-

i) Lectures delivered; and
ii) Demonstration and practicals held separately in each subject.

Provided that the Principal of the College shall be empowered to condone shortage up to 5% of the total lectures delivered in each subject in theory & practicals separately which includes all kinds of period i.e. leave, sports, functions etc.

.....

35. Regulations for M.Sc. (Physiology) (effective from the session 2003-2004) in anticipation of the approval of the Senate/Government of India/publication in the Government of India gazette.

1. The duration of the course for M.Sc. in Physiology shall be two academic years.

2. The system of examination i.e. whether annual or semester, will be adopted as prescribed in the rules.

3. A candidate who has passed one of the following examinations of Panjab University or any other university recognized by the Syndicate as equivalent thereto, shall be eligible for admission to M.Sc. Physiology:

1. B.Sc. (with Anatomy, Physiology and Biochemistry)
2. B.Sc. Human Biology/Life Science
3. B.Sc. (Honours School in Physiology/Zoology/Biochemistry/ Biophysics/Biotechnology).
4. B.Sc. with Zoology, Botany, Chemistry/Biochemistry.

4. Qualifying marks for examination

(i) A candidate shall be declared to have passed the examination if he/she obtains 50% marks in each theory paper and 50% marks in practicals in the 1st year and 2nd year separately.

(ii) The weightage given towards internal assessment for each theory paper and practical (Part I and Part II) shall be 10% of the total marks allocated. The marks for internal assessment for theory are derived from the cumulative performance in various theory tests conducted from time to time, by the department. The marks for internal assessment for practicals are given based on performance in practical tests conducted by the department from time to time.

(iii) Thesis would be adjudged as 'Satisfactory" or "Unsatisfactory" and 'Satisfactory' should be taken as pass.

(iv) A candidate who fails in the examination (Part I or Part II) after having completed the prescribed courses or fails to appear in the examination for valid reasons can appear in the supplementary examination. The marks for the internal assessment for the completed year will be credited for the said examination.

(v) If a candidate does not pass in 3 attempts, he/she will not be allowed to continue his studies for the M.Sc. examination in Physiology. However, the maximum duration of the course shall not exceed 3 years from his/her date of admission to the course. The candidate has to pass the Part I examination for being eligible to appear for Part II examination. If the candidate has the thesis accepted but fails in Part II examination, he/she is not required to submit thesis again.

5. Every candidate for the M.Sc. Physiology Part I examination shall complete the following requirements and intimate the same through Principal of the college:

Of having attended not less than 75% of all the lectures delivered and practicals conducted separately (the course to be counted up to one month before the date of commencement of the examination). The examination in Part II shall be open to a student of the University who produces the following certificates signed by the Head of the Institution:

(a) Of having passed M.Sc. Part I examination in Physiology;

(b) Of having attended not less than (i) 75% of the full course of lectures delivered to his class in each of the prescribed papers (the course to be counted up to one month before the date of commencement of the examination and (ii) 75% of the practical classes prescribed in the syllabus.

(c) He/she should have submitted his/her thesis as directed by the Supervisor.

(d) A candidate who fails in Part I examination will be allowed to continue his studies in Part II but will be allowed to appear in Part II examination subject to the condition that he/she clears Part I examination.

6. The last date for receipt of admission form and fee with and without late fee as fixed by the Syndicate shall be notified by the Controller of Examinations.

7. Classification of successful candidates:

As soon as possible after the completion of the examination, the Controller of Examinations shall publish a list of successful candidates. Each candidate who appears in Part I or II examination will receive a detailed marks card.

8. The successful candidates shall be classified into divisions as under on the basis of total aggregate marks of Part I and Part II examination taken together:

(i) Those who obtained 75% or more having passed the examination in first attempt.	:	First Division with Distinction
(ii) Those who obtained 60% or more of the total aggregate marks but less than 75% marks	:	First Division
(iii) Those who obtain 50% o r more of the total aggregate marks but less than 60% n.arks	:	Second Division

.....

36. Regulations for Postgraduate Diploma in Women's Studies (Two-Semester Course) and M.Phil. in Women's/Gender Studies for the examinations of 2002 in anticipation of the approval of various University bodies/ Government of India/publication in the Government of India Gazette.

(i) POSTGRADUATE DIPLOMA IN WOMEN'S STUDIES (TWO SEMESTER COURSE;

(ii) M.PHIL. IN WOMEN'S STUDIES; AND

(iii) PH.D. IN WOMEN'S STUDIES

POSTGRADUATE DIPLOMA IN WOMEN'S STUDIES

1. The duration of Postgraduate Diploma in Women's Studies shall be one year divided into two semesters.

2. The first and second semesters shall consist of compulsory/optional papers as prescribed in the Rules/Syllabus.

3. A person who has passed one of the following examinations from this University or from any other University whose examination has been recognized as equivalent to the corresponding examination of this University shall be eligible to join the course:-

   (i) Bachelor's degree in any faculty with at least 50% marks in the aggregate;

   (ii) B.A. (Pass) with at least 45% marks in Women/Gender Studies or Public Administration or Political Science or History or Economics or Sociology or Psychology or Gandhian Studies or Geography or Philosophy.

4. The examination for first semester and second semester for Postgraduate Diploma in Women's Studies shall ordinary be held in the months of December, April or May on the dates fixed by the University.

5. The minimum number of marks required too pass the examination shall be 40% in each paper, including project work, field trips, seminars, workshops etc.

6. The first semester examination shall be open to the student who:

   (i) has been on the rolls of the Department during one Semester preceding the first Semester examination;

   (ii) has attended not less than 66% of the total lectures, seminars, field trips, projects, workshops, etc. in each paper.

7. The Second Semester examination shall be open to the student who:

   (i) has been on the rolls of the Centre during one Semester preceding the second Semester examination.

   (ii) has attended not less than 66% of the total lectures, seminars, field trips, projects, workshops, etc. in each paper.

(iii) has passed the first Semester examination or has fulfilled the conditions of Regulation____.

8. A candidate who fails in the first Semester but has secured at least 35% marks in the papers prescribed for that Semester shall be permitted to continue her/his studies in the second Semester but she/he shall be required to re-appear in the next April/May examination in such paper/s in which she/he had failed in the December examination, simultaneously with the second Semester examination. If she/he fails to pass the first Semester examination even after the second attempt, her/his result for the second Semester examination shall be cancelled and she/he shall be required to leave the course.

A candidate who fails in the second Semester examination but has secured at least 35% marks in the papers prescribed for that Semester shall be allowed to reappear in such papers she/he failed as a private candidate within one year after completing the course without re-admission.

9. Successful candidates shall be classified into three divisions as under:

(i) Those who obtain 60 percent or more of the aggregate marks will receive a First Division.

(ii) Those who obtain less than 60 per cent but not less than 50 per cent of the aggregate marks will receive a Second Division.

(iii) Those who obtain less than 50% per cent of the aggregate marks will receive a Third Division.

10. A candidate who reappears to clear the paper/s in which she/he has been declared to reappear shall be awarded grace marks up to 1% of the total marks of the paper/s in which she/he reappears if by such addition the candidate can pass in that paper/s. grace marks up to 1 per cent of the total marks of first Semester and Second Semester examinations shall be added to the aggregate of both first Semester and Second Semester examinations for the award of a higher class to a candidate, provided that no grace marks have already been given for passing the examination either in first Semester or in the Second Semester.

11. A candidate who reappears in the examination for the purpose of improving the division may be given grace marks up to 1 per cent of the total marks as follows:

(i) A candidate who reappears in one Semester only will get 1 per cent of the marks in the paper in which she/he reappears.

(ii) A candidate who reappears in both the Semesters will get 1 per cent of the marks in the papers of both the Semesters taken together.

Provided that no candidate shall be given more than the minimum that may be required for securing the higher division. As soon as possible after the termination of the examination, the Controller of Examinations shall publish a list of the candidates who have passed.

REGULATIONS FOR M.PHIL IN WOMEN'S STUDIES

1. The duration of M.Phil in Women's studies shall be eighteen months divided into three Semesters.

2. The requirements for the first two semesters shall be the same as those for Postgraduate Diploma course.

3. In the third Semester, the student will have to write and present a Dissertation worth two hundred marks within a period of six months after completion of the course work.

4. A candidate who has obtained a Master's Degree in any Faculty with at least 50% marks from this University or from any other University, whose examination has been recognized as equivalent to the corresponding examination of this University, shall be eligible to apply for admission.

5. The students admitted to Postgraduate Diploma in Women's Studies may opt for the Degree of Master of Philosophy in Women's studies provided they have obtained a Master's degree in any faculty with at least 50% marks from this University or from any other University whose examination has been recognized as equivalent to the corresponding examination of this University.

PH.D. PROGRAMME

Ph.D. Programme will be open to Post-graduate students from any faculty. Other requirements will be as per University rules and regulations.

CHANDIGARH -- 160014
DATED: 21.4.2006

R.L.Dhawan
Deputy Registrar (General)

Sealed in my presence with the Common Seal of Panjab University this day **Friday 21st April 2006.**

S.S.Bari
Registrar

STATEMENT OF ACCOUNTS
JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI-110 025

Diagrammatic Presentation of Income and Expenditure

2004-2005

(Amount in Lacs)

INCOME

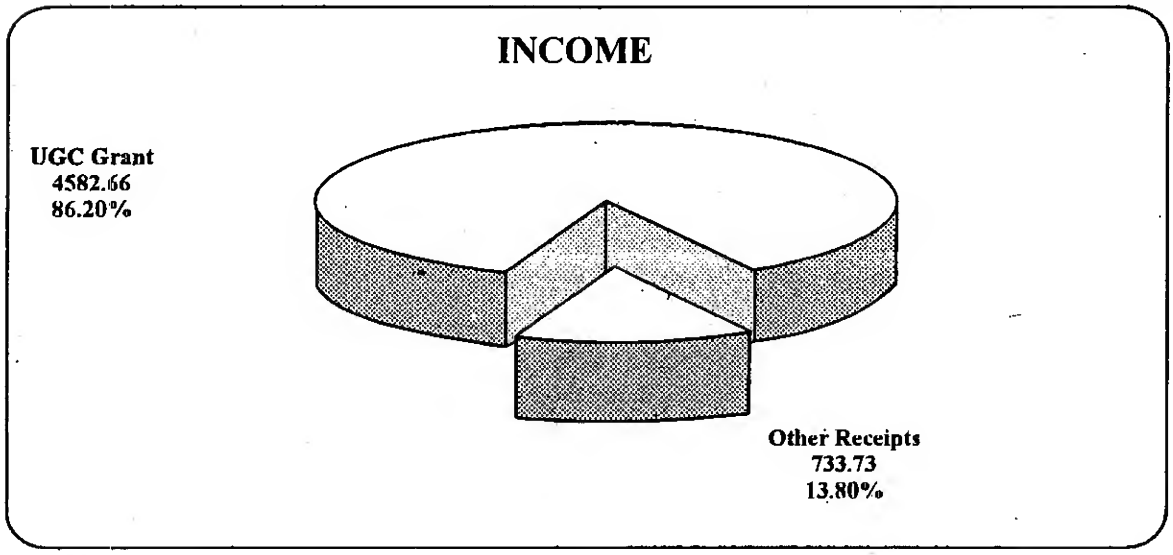

EXPENDITURE

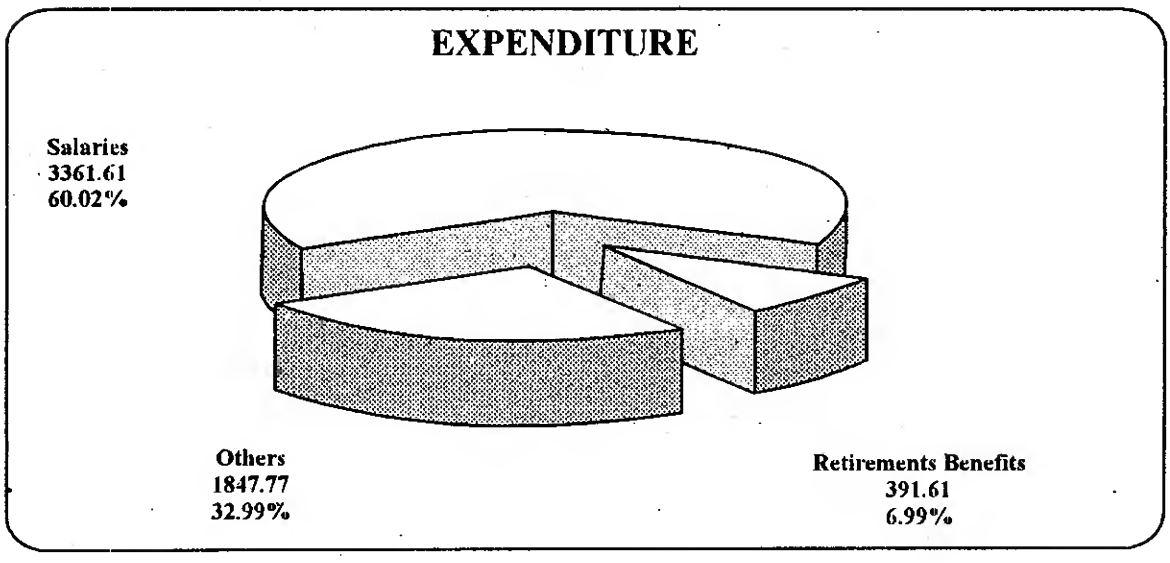

JAMIA MILLIA ISLAMIA

BALANCE SHEET

JMI MCRC AS ON 31.3.2004	JMI MAIN AS ON 31.3.2004	LIABILITIES	JMI MCRC AS ON 31.3.2005	JMI MAIN AS ON 31.3.2005
		CAPITAL FUND		
264,540,184	924,391,643	As per Annexure 'B'	305,306,364	1,101,525,189
		FUNDS - ANNEXURE 'B'		
--	48,672,480	a. Earmarked Account	--	49,108,422
--	288,196,890	b. Provident Fund Account	--	319,242,865
14,573,127	73,501,514	c. Deposit Account	7,733,417	73,318,170
		SECURITIES & DEPOSITS		
1,131,299	17,146,796	a. Securities-Annexure 'B'	2,860,477	26,215,457
--	83,599,599	b. Deposits - Annexure 'B'	--	118,087,593
		UNSPENT BALANCES - ANNEXURE 'C'		
963,857	--	a. Revenue Account UGC	547,792	--
102,452,040	31,674,880	b. Plan & Dev.Account UGC	72,262,287	--
--	97,526,920	c. Earmarked Account	--	119,844,937
--	62,297,000	**GRANT-IN-ADVANCE FROM U.G.C. FOR 2005-2006 ANNEXURE 'B'**	--	--
--	28,119,084	**INTEREST ON PF ACCOUNT ANNEXURE 'B'**	--	21,367,341
		SURPLUS OF HOSTELS		
--	1,612,615	**As per Annexure 'B'**	--	1,620,463
		SURPLUS OF KITCHENS		
--	1,170,004	**As per Annexure 'B'**	--	792,291
		REMITTANCES & ADVANCES		
149,483	1,631,353	**As per Annexure 'B' (Including Projects)**	304,833	85,395,564
383,809,990	**1,659,540,778**		**389,015,170**	**1,916,518,292**

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

NEW DELHI - 110 025

AS ON 31st MARCH, 2005

JMI MCRC AS ON 31.3.2004	JMI MAIN AS ON 31.3.2004	ASSETS	JMI MCRC AS ON 31.3.2005	JMI MAIN AS ON 31.3.2005
		FIXED ASSETS		
264,540,184	924,391,643	**As per Annexure 'A'**	305,306,364	1,101,525,189
		INVESTEMENTS - ANNEXURE 'C'		
41,525,040	30,893,000	a. Plan & Development Account	69,386,420	--
--	40,938,596	b. Earmarked Account	--	116,876,596
--	315,300,000	c. Provident Fund Account	--	339,800,000
13,196,662	24,206,050	d. Deposit Account	1,032,930	75,681,050
--	2,600,000	e. Hostel & Kitchen Account	--	2,100,000
		SHARES IN MAKTABA JAMIA LTD. (AT COST)		
--	92,070	As per last Balance Sheet	--	92,070
		SECURITIES & DEPOSITS		
--	27,744	As per Annexure 'C'	--	27,744
		RECOVERABLE BALANCES - ANNEXURE 'C'		
--	53,885,935	a. Revenue Account U.G.C.	--	82,346,459
--	--	b. Plan Account	658,898	339,302
--	26,547,223	c. Earmarked Account	--	10,630,085
		REMITTANCES & ADV.		
10,657,081	64,568,571	As per Annexure 'C' (Including Projects)	1,559,058	143,792,526
		CASH & BANK BALANCES - ANNEXURE - 'C'		
--				
906,315	74,671,524	a. Revenue Account	460,432	1,641,752
50,353,827	1,182,395	b. Plan & Development Account	2,695,413	2,613,720
--	44,527,046	c. Earmarked Account	--	5,176,333
--	1,015,974	d. Provident Fund Account	--	810,206
2,630,881	54,084,803	e. Deposit Account	7,915,655	32,219,544
--	608,204	f. Hostel & Kitchen Account	--	845,716
383,809,990	**1,659,540,778**		**389,015,170**	**1,916,518,292**

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

ANNEXURE 'A'

ANNEXURES TO STATEMENT OF FIXED ASSETS

PARTICULARS	BALANCES AS ON 01.04.2004		ASSETS WRITTEN OFF DURING THE YEAR	
	JMI MCRC	JMI MAIN	JMI MCRC	JMI MAIN
1	2		3	
LAND	--	14,787,531	--	55,500
BUILDING	6,041,398	483,689,554	--	--
FURNITURE & EQUIPMENT	14,787,331	124,500,003	--	--
LAB & WORKSHOP	234,839,469	138,598,696	--	--
COMPUTERS	--	72,695,921	--	--
BOOKS	1,727,620	73,626,681	--	197,662
CAMP EQUIPMENT	--	13,310	--	--
GOWNS	--	2,998	--	--
ELECTRIC FITTINGS	2,802,965	10,405,060	--	--
PRINTING PRESS	--	127,464	--	--
FILMS/V.FILMS	2,827,297	749	--	--
TUBEWELL	--	885,573	--	--
CAR & LORRY	1,514,104	4,994,646	--	--
ARMS & AMMUNITION	--	63,457	--	--
Total :	**264,540,184**	**924,391,643**	--	**253,162**

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

BALANCE SHEET
AS ON 31st MARCH, 2005

ADDITIONS DURING THE YEAR		BALANCE AS ON 31.03.2005	
JMI MCRC	JMI MAIN	JMI MCRC	JMI MAIN
	4		5(2-3+4)
--	--	--	14,732,031
--	115,649,925	6,041,398	599,339,479
39,967,049	37,801,511	54,754,380	162,301,514
202,196	592,915	235,041,665	139,191,611
--	10,963,444	--	83,659,365
437,338	12,364,063	2,164,958	85,793,082
--	--	--	13,310
--	14,850	--	17,848
--	--	2,802,965	10,405,060
--	--	--	127,464
159,597	--	2,986,894	749
--	--	--	885,573
--	--	1,514,104	4,994,646
--	--	--	63,457
40,766,180	**177,386,708**	**305,306,364**	**1,101,525,189**

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

ANNEXURE 'B'

ANNEXURES TO

PARTICULARS	JMI MCRC	JMI MAIN
1. CAPITALISED VALUE OF GRANT		
As per last Balance Sheet	264,540,184	924,391,643
Less : Value of Assets Written off	--	253,162
	264,540,184	**924,138,481**
Additions during the year	40,766,180	177,386,708
	305,306,364	**1,101,525,189**
2. FUNDS		
a. Earmarked Account :		
i) Revolving Fund for House Building Advance	--	33,110,438
ii) Revolving Fund for Vehicle & Fan Advance	--	2,652,156
iii) Z.H.Endowment Fund	--	500,000
iv) Dalit Study Chair Endow. Fund	--	12,845,828
	--	**49,108,422**
b. Provident Fund Account :		
i) G.P.F. Subscription	--	283,103,625
ii) C.P.F. Subscription	--	23,002,700
iii) C.P.F. Contribution	--	13,136,540
	--	**319,242,865**
c. Deposit Account		
	7,733,417	**73,318,170**

BALANCE SHEET

PARTICULARS	JMI MCRC	JMI MAIN
3. SECURITIES & DEPOSITS (LIAB)		
a. SECURITIES		
i) Revenue Account	--	8,122,221
ii) Plan & Development Account	1,358,735	4,288,996
iii) Earmarked Account	--	2,710,538
iv) Deposit Account	1,501,742	11,093,702
	2,860,477	**26,215,457**
b. DEPOSITS		
Deposit Account	--	118,087,593
4. INTEREST ACCOUNT (P.F.)	--	21,367,341
5. SURPLUS OF HOSTELS		
As per last Balance Sheet	--	1,612,615
Add Surplus during the year	--	7,848
	--	**1,620,463**
6. SURPLUS OF KITCHENS		
As per last Balance Sheet	--	1,170,004
Less : Deficit during the year	--	377,713
	--	**792,291**

ANNEXURE 'B' CONTD.

ANNEXURES TO

PARTICULARS	JMI MCRC	JMI MAIN
7. REMITTANCES & ADVANCES (LIAB)		
a. Revenue Account	--	79,163,977
b. Plan & Development Account	--	730
c. Earmarked Account	--	2,178,220
d. Deposit Account	304,833	3,269,218
e. Hostel & Kitchen Account	--	783,419
	304,833	85,395,564
8. GRANT-IN-ADVANCE FOR 2005-06		

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

ANNEXURE 'C'

BALANCE SHEET

PARTICULARS	JMI MCRC	JMI MAIN
1. INVESTMENTS		
a. Plan & Development Account	69,386,420	--
b. Earmarked Account :		
i) Z. H. Endowment Fund Investment	--	500,000
ii) Dalit Studies Chair Endo. Fund Investment	--	12,438,596
iii) Short Term Deposit	--	103,938,000
	--	116,876,596
c. Provident Fund Account	--	339,800,000
d. Deposit Account	1,032,930	75,681,050
e. Hostel & Kitchen Account	--	2,100,000
2. SECURITIES & DEPOSITS (ASSETS)		
Revenue Account	--	27,744
3. REMITTANCES & ADVANCES (ASSETS)		
a. Revenue Account	87,360	3,270,243
b. Plan & Development Account	880,291	1,336,704
c. Earmarked Account	--	41,159,103
d. Deposit Account	591,407	97,776,019
e. Hostel & Kitchen Account	--	250,457
	1,559,058	**143,792,526**

ANNEXURE 'C' CONTD.

ANNEXURES TO

4. UNSPENT/RECOVERABLE BALANCES AS ON 31.03.2005

PARTICULARS	BALANCE AS ON 01.04.2004	
	RECOVERABLE	UNSPENT
UGC : Maintenance Grants :		
JMI MAIN	53,885,935	--
JMI MCRC	--	963,857
UGC : Plan & Development Grants :		
JMI MAIN	--	31,674,880
JMI MCRC	--	102,452,040
-do- Xth Plan	--	--

Note : Balances of Earmarked Grants (JMI MAIN) taken over directly to the Balance Sheet :-

Recoverable : Rs. 10,630,085

Unspent : Rs. 119,844,937

BALANCE SHEET

EXCESS OF EXP. OVER INCOME DURING THE YEAR 2004-2005	EXCESS OF INCOME OVER EXP. DURING THE YEAR 2004-2005	BALANCE AS ON 31.03.2005 TAKEN OVER TO BALANCE SHEET	
		RECOVERABLE	UNSPENT
28,460.524	--	82,346,459	--
416.065	--	--	547,792
32,014,182	--	339,302	--
30 189.753	--	--	7,226,228
658.898	--	658.898	--

ANNEXURE 'C' CONTD.

5. CASH & BANK BALANCES AS ON 31.03.2005

PARTICULARS	REVENUE ACCOUNT		PLAN ACCOUNT	
	JMI MCRC	JMI MAIN	JMI MCRC	JMI MAIN
Cash in hand	11	99,782	553	--
Balances At Bank				
Indian Bank	431,310	324,294	2,686,817	2,613,720
UBI Jamia Nagar	29,111	1,217,676	8,043	--
Total :	**460,432**	**1,641,752**	**2,695,413**	**2,613,720**

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

EARMARKED ACCOUNT		P.F. ACCOUNT	DEPOSIT ACCOUNT		H & K
JMI MCRC	JMI MAIN	JMI MAIN	JMI MCRC	JMI MAIN	JMI MAIN
--	51,976	--	296	23,984	2,473
--	5,124,357	810,206	7,911,539	32,195,560	843,243
--	--	--	3,820	--	--
--	**5,176,333**	**810,206**	**7,915,655**	**32,219,544**	**845,716**

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

REVENUE RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

2003-2004	RECEIPT		AMOUNT
	OPENING BALANCES		
106,892	Cash in hand	169,662	
87,879,120	Balance at Bank (UBI)	214.034	
196,742	Balance at Bank(Indian Bank)	74,287,828	74,671,524
	GRANTS-IN-AID FROM UGC		
327,097,000	Maint. Grant received in 2004-2005		395,969,000
2,693,000	Grant against deficit of 2001-2002		--
62,297,000	Grant-in-Advance for 2005-2006		--
69,650,000	Grant on behalf of MCRC		29,186,143
56,761,295	RECEIPT OTHER THAN GRANTS		73,372,770
4,250,362	SECURITIES & DEPOSITS		4,345,392
62,110,096	REMITTANCES & ADVANCES		88,150,140
	INVESTMENTS		
140,330,000	Short Term Deposits		125,000,000
813,371,507	**Total:**		**790,694,969**

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH 2005

2003-2004	PAYMENT		AMOUNT
	MAINTENANCE EXPENDITURE		
299,571,759	Salaries & Allowances	336,161,193	
36,955.694	Retirement Benifits	39,160,869	
122,736.035	Others	184,777,232	560,099,294
69,650,000	REMITTANCE OF GRANT TO MCRC		29,186,143
2,430,325	SECURITIES & DEPOSITS		1,706,688
67,026,170	REMITTANCES & ADVANCES		73,061,092
	INVESTMENTS		
140,330,000	Short Term Deposits		125,000,000
	CLOSING BALANCES		
169,662	Cash in hand	99,782	
74,287,828	Balance at Bank (Indian Bank)	324,294	
214,034	Balance at Bank(UBI)	1,217,676	1,641,752
813,371,507	**Total:**		**790,694,969**

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

PLAN & DEVELOPMENT
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

2003-2004	RECEIPT	AMOUNT
	OPENING BALANCE	
1,239,235	Balance at Bank (Indian Bank)	1,182,395
44,197,000	GRANTS IN AID FROM UGC	22,886,000
2,062,027	INTEREST ON PLAN GRANTS	1,067,861
14,531	RECEIPTS OTHER THAN GRANTS	531,112
797,693	SECURITIES & EARNEST MONEY	3,857,766
2,056,437	REMITTANCES & ADVANCES	3,711,016
60,000,000	REALISATION OF INVESTMENTS (Short term Deposits)	62,003,000
110,366,923	**Total :**	**95,239,150**

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

ACCOUNT

FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH 2005

2003-2004	PAYMENT		AMOUNT
	PAYMENT AGAINST GRANTS FROM UGC		
--	Salaries & Allowances	1,797,922	
938,640	Recurring Exp. Other than Salaries	452,631	
35,405,843	Capital Expenditure	54,248,602	56,499,155
877,332	REFUND OF SECURITIES & EARNEST MONEY		244,177
21,069,713	REMITTANCES & ADVANCES		4,772,098
50,893,000	INVESTMENT		31,110,000
	CLOSING BALANCE		
1,182,395	Balance at Bank (Indian Bank)		2,613,720
110,366,923	**Total :**		**95,239,150**

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

EARMARKED
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

2003-2004	RECEIPT		AMOUNT
	OPENING BALANCES		
161,410	Cash in hand	249,902	
18,337,269	Balance at Bank (Indian Bank)	44,277,144	44,527,046
	PROJECTS, SCHEMES & SCHOLARSHIPS FINANCED BY :		
	UNIVERSITY GRANTS COMMISSION		
15,652,360	Grants-in-Aid	87,307,726	
8,328,933	Receipts other than grants	1,658,736	88,966,462
	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT		
5,035,100	Grants-in-Aid	8,540,272	
1,949	Receipts Other than Grants	155,400	8,695,672
	MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY		
7,135,470	Grants-in-Aid	8,760,076	
32,905	Receipts Other than Grants	1,882	8,761,958
	MINISTRY OF WELFARE		
--	Grants-in-Aid	2,505	
4,338	Receipt other than grant	--	2,505
	I.C.S.S.R.		
1,249,710	Grants-in-Aid	787,402	
3,000	Receipts Other than Grants	17,944	805,346
	I.C.H.R.		
623,000	Grants-in-Aid	481,791	
1,798	Receipts Other than Grants	29,798	511,589

ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH 2005

2003-2004	PAYMENT		AMOUNT
	PROJECTS, SCHEMES AND SCHOLARSHIPS FINANCED BY :		
85,367,000	UNIVERSITY GRANTS COMMISSION		40,842,034
6,063,657	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT		6,157,937
2,559,495	MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY		5,951,798
--	MINISTRY OF WELFARE		2,505
645,493	I.C.S.S.R		674,180
598,358	I.C.H.R.		685,154
1787639	I.C.C.R.		267,309
3,087,525	C.S.I.R.		4,475,063
32,395,450	MISCELLANEOUS SOURCES		26,148,981
33,559,308	REMITTANCES & ADVANCES		16,391,869
30,000	SECURITIES & EARNEST MONEY		45,380
	INVESTMENTS		
500,000	Zakir Husain Endowment Fund Investment	500,000	
406,096	Dalit Studies Chair Endowment Fund Investment	--	
216,286,832	Short term Deposits	137,918,000	138418000

2003-2004	RECEIPT		AMOUNT
	I.C.C.R.		
61,700	Grant-in-Aid	252,209	
4,300	Receipts Other than Grants	32,500	284,709
	C.S.I.R.		
3,461,221	Grants-in-Aid	3,984,162	
46,548	Receipts other than Grants	680	3,984,842
	MISCELLANEOUS SOURCES		
41,463,576	Grants-in-Aid	8,259,546	
2,505,101	Receipts other than grants	3,167,487	11,427,033
	FUNDS		
	Revolving Fund for House Building Advance		
--	Grants from UGC	--	
392,444	Receipts other than Grants	28,710	28,710
406,096	Dalit Studies Chair Endowment Fund		407,232
303,134	Revolving Fund for Vehicle & Fan Advance		--
1,690,702	SECURITIES & EARNEST MONEY		667,386
25,125,003	REMITTANCE & ADVANCE		13,686,053
	REALISATION OF INVESTMENTS		
5,000,000	Revolving Fund for House Building Advance	--	
500,000	Zakir Husain Endowment Fund Investment	500,000	
290,286,832	Short term Deposits	61,980,000	62,480,000
427,813,899	**Total :**		**245,236,543**

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

2003-2004	PAYMENT		AMOUNT
	CLOSING BALANCES		
249,902	Cash in hand	51,976	
44,277,144	Balance at Bank (Indian Bank)	5,124,357	5,176,333
427,813,899	**Total :**		**245,236,543**

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

A.J.K. MASS COMMUNICATION

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT (REV. ACCOUNT)

RECEIPT		AMOUNT
OPENING BALANCES AS ON 01.04.2004		
i. In hand	322	
ii. At Indian Bank	646,882	
iii. At U.B.I.	259,111	906,315
GRANT FROM UGC	29,036,143	29,036,143
RECEIPTS OTHER THAN GRANTS		
i. Interest earned on Maint. Grant	163,082	
ii. Fee from student & other Receipts	3,135,528	3,298,610
SECURITY & DEPOSITS		
i. Securities from contractors		37,818
REMITTANCES & ADVANCES		7,212,026
Total:		**40,490,912**

Sd.
(Syed Viqar Husain Zaidi)
Accounts Officer

RESEARCH CENTRE
FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, 2005

PAYMENT		AMOUNT
MAINTENANCE EXPENDITURE		
j. Salaries and Allowances	18,408,755	
ii. Retirement benefits	2,489,508	
iii. Others	10,770,314	
iv. Capital Expenditure	1,082,241	32,750,818
REMITTANCES & ADVANCES		7,241,844
SECURITY & DEPOSITS		
i. Securities from contractors		37,818
CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2005		
i. In hand	11	
ii. At Indian Bank	431,310	
iii. At U.B.I.	29,111	460,432
Total:		**40,490,912**

Sd.
(Iftikhar Ahmed)
Director

A.J.K. MASS COMMUNICATION

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT (PLAN & DEVELOPMENT)

RECEIPT		AMOUNT
OPENING BALANCE AS ON 01.04.2004		
i. In hand	1,253	
ii. At Indian Bank	50,344,531	
iii. At U.B.I.	8,043	50,353,827
GRANTS IN-AID FROM U.G.C.		183,878
RECEIPT OTHER THAN GRANT		1,513,040
INVESTMENT		49,341,770
REMITTANCES & ADVANCES		38,712,140
SECURITIES & DEPOSIT		
Earnest Money Dep.		1,358,735
Total:		**141,463,390**

Sd.
(Syed Viqar Husain Zaidi)
Accounts Officer

RESEARCH CENTRE
FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, 2005

PAYMENT		AMOUNT
PAYMENTS AGAINST GRANT FROM UGC:		
i. Salaries and Allowances	431,917	
ii. Others	430,710	
iii. Capital Expenditure	31,682,942	32,545,569
INVESTMENT		77,203,150
REMITTANCES & ADVANCES		29,019,258
CLOSING BALANCES AS ON 31.03.2005		
i. In hand	553	
ii. At Indian Bank	2,686,817	
iii. At U.B.I.	8,043	2,695,413
otal:		**141,463,390**

Sd.
(Iftikhar Ahmed)
Director

REVENUE

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

2003-2004	EXPENDITURE		AMOUNT
299,571,759	SALARIES & ALLOWANCES		336,161,193
36,955,694	RETIREMENT BENEFITS		39,160,869
122,736,035	OTHER RECURRING EXPENDITURE	184,777,232	
23,649,867	LESS: CAPITAL EXPENDITURE	47,550,021	137,227,211
12,712,807	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE TRANSFERRED TO BALANCE SHEET		--
448,326,428	**Total:**		**512,549,273**

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, 2005

2003-2004	INCOME		AMOUNT
	MAINTENANCE GRANT FROM UGC		
85,425,000	Grant in Advance received on 31.3.04	62,297,000	
329,790,000	Grant received during 2004-05	395,969,000	
		458,266,000	
23,649,867	LESS : CAPITALISED VALUE OF GRANT	47,550,021	410,715,979
56,761,295	FEES FROM STUDENTS AND MISC. INCOME		73,372,770
	EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME TRANSFERRED TO BALANCE SHEET		28,460,524
448,326,428	**Total:**		**512,549,273**

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

PLAN & DEVELOPMENT
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT

2003-2004	EXPENDITURE		AMOUNT
--	SALARIES & ALLOWANCES		1,797,922
938,640	RECURRING EXPENDITURE	54,701,233	
--	LESS: CAP. EXP. TO THE EXTENT O CAPITALISED VALUE OF GRANT	24,484,973	30,216,260
9,929,075	EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		
10,867,715	**Total :**		**32,014,182**

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, 2005

2003-2004	INCOME		AMOUNT
44,197,000	GRANTS IN AID	22,886,000	
2,062,027	ADD: INTEREST ON PLAN GRANTS	1,067,861	
14,531	ADD: RECEIPT OTHER THAN GRANTS	531,112	
		24,484,973	
35,405,843	LESS : CAPITALISED VALUE OF GRANT	24,484,973	--
--	EXCESS OF EXPENDITURE OVER INCOME		32,014,182
10,867,715	**Total :**		**32,014,182**

TOTAL CAPITAL EXPENDITURE Rs. 54,248,602

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd.
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

A.J.K. MASS COMMUNICATION
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (REVENUE ACCOUNT)

EXPENDITURE	AMOUNT
Salaries & Allowances	18,408,755
Retirement Benefits	2,489,508
Other Recurring Expenditure	10,770,314
Total:	**31,668,577**

Sd.
(Syed Viqar Husain Zaidi)
Accounts Officer

RESEARCH CENTRE
FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, 2005

INCOME		AMOUNT
Maintenance Grant from UGC:	29,036.143	
Add:		
Intt. Earned on Maint. Grant	163,082	
	29,199,225	
Less:		
Capitalised Value of Grant	1,082,241	28,116.984
Fee from Students & Misc. Receipt		3,135.528
Excess of Expenditure Over Income		416,065
Total:		**31,668,577**

Sd.
(Iftikhar Ahmed)
Director

A.J.K. MASS COMMUNICATION
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (PLAN & DEVELOPMENT)

EXPENDITURE		AMOUNT
RECURRING EXPENDITURE		
Salary & Allowances	431,917	
Other Recurring Exp.	430,710	862,627
Total:		**862,627**

Sd.
(Syed Viqar Husain Zaidi)
Accounts Officer

RESEARCH CENTRE
FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH, 2005

INCOME		AMOUNT
Grant Received From UGC	183,878	
Receipt other than Grant	1,513,040	
Excess of Expenditure Over Income	30,848,651.	32,545,569
Less: Capitalised Value of Grant		31,682,942
Total:		**862,627**

Sd.
(Iftikhar Ahmed)
Director

26-59G1/06

APPENDIX

Note on Accounts

- The Financial statements are prepared on the basis of historical cost convention and on cash basis.
- All the investments are carried at cost.
- Fixed assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.
- Fixed assets received by way of non-monetary grants, are capitalized by corresponding credit to capital fund.
- No depreciation is provided on fixed assets.
- Government grants in respect of fixed assets or for setting up construction of projects are treated as part of capital fund.
- Grants for meeting revenue/maintenance expenses is treated as income.
- Grants received in advance is treated as income of the year to which it relates irrespective of the year of receipt.
- Plan & Development grants are accounted for as per the yearly allocation approved by the Ministry.
- Transactions denominated in the Foreign Currency are accounted for at the exchange rate prevailing at the date of transaction.
- Liability on account of retirement benefits is accounted for on actual basis

Sd.
(Aayatullah)
Accountant

Sd.
(Zafarullah Khan)
Accounts Officer

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

Sd
(Prof. Z. H. Khan)
Offg. Registrar

Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Account and Income and Expenditure Account for the year ended 31 March 2005 and Balance sheet as on 31 March 2005 of Jamia Millia Islamia; New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, which, inter-alia, contains the following major audit observations, majority of which have been persistent over the years:

- Non disclosure in accounts relating to land to be acquired through Greater Noida Authority Rs. 2.08 crore (Para 2.1.2)
- Non preparation of Annual Accounts in the common Format of Accounts. (Para 4.1);
- Non adjustment of sale value of land Rs. 1.96 crore in the accounts. (Para 2.1.4);

I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Jamia Millia Islamia, New Delhi according to the best of the information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Place: New Delhi
Date: 17.01.2006

Director General of Audit
Central Revenues

27-596/06

4.2 Non-Verification Of Assets

As per General Financial Rule 192 (1), physical verification of all stores shall be made at least once in every year. The various departments of JMI had never conducted physical verification of the assets acquired and held by them. In the absence of physical verification of assets of JMI, the correctness of the value of assets depicted in the annual accounts could not be verified.

JMI stated (October 2005) that the physical verification had been carried out and verification report would be shown to next audit.

4.3 Physical verification of library books

As per physical verification report of library, 21471 books worth Rs. 22.47 lakh were untraceable (missing from the Faculty of law (129), Teachers college Library (2398), Rural Institute library (2785), Jamia college Series Library (2986), Urdu Books (2038) and Dr. Zakir Hussain Library (11135). Steps may be taken to recover the missing books or their values.

5 Effect of audit comments on Balance Sheet, Income and Expenditure and Receipt and Payment Accounts

The net impact of audit comments given in the preceding paras is that as on 31-3-2005, the assets were overstated by Rs. 128.36 lakh, liabilities were overstated by Rs. 7.64 lakh, income were understated by Rs. 9.59 lakh and expenditure were overstated by Rs. 128.36 lakh.

Place : New Delhi
Date: 17.01.2006

Director General of Audit
Central Revenues

CALCULATION SHEET

Balance Sheet (Rs. in lakh)

Liabilities				Assets			
Para No.	Over-statement	Para	Under-statement	Para No.	Over-statement	Para	Under-statement
2.1.5	7.64			2.1.3	136.00	2.1.5	7.64
Total	7.64			Total	136.00	Total	7.64

Net :- Overstatement of assets Rs. (136.00 – 7.64) = Rs. 128.36 lakh

Overstatement of liabilities Rs. 7.64 lakh

Income and Expenditure Account (Rs. in lakh)

Income				Expenditure			
Para No.	Over-statement	Para	Under-statement	Para No.	Over-statement	Para	Under-statement
3.1.1	9.59			2.1.5	7.64	2.1.3	136.00
Total	9.59			Total	7.64		136.00

Net: Overstatement of expenditure Rs. (136.00 – 7.64) Rs. 128.36 lakh

ANNEXURE 'A'

S.No.	Voucher No.	Name of Account	Items	Amount in Rs.
1.	5517, dated 14.03.2005	Deposit Account	Purchase of UPS	3,400
2.	5495, dated 07.03.2005	-DO-	Computer Printer	11,700
3.	5518, dated 14.03.2005	-DO-	Purchase of Water Tank	1,998
4.	154, dated 27.04.2004	-DO-	Flux construction	4,40,041
5.	5403	-DO-	Letter Box Wooden	2,800
6.	5537	-DO-	Video Cassettes	3,600
7.	5155	-DO-	Pen Drive 250 MB	3,200
8.	5154	-DO-	DVD, CD Writer	3,750
9.	5629	-DO-	Computer Hard Disk	15,225
10.	5586	-DO-	Computer Mouse	14,110
11.	5647, dated 23.03.2005	-DO-	Purchase of UPS	2,900
12.	5648, dated 23.03.2005	-DO-	-DO-	1,900
13.	14790	Revenue Account	Computer Ram	3,050
14.	408, dated 11.03.2005	Hostel Account	Purchase of Bench	5,126
15.	187, dated 06.05.2004	Deposit Account	Purchase of electric balance	52,000
16.	447, dated 16/4	-DO-	Ventilation Fan	3,570
17.	844, dated 02.06.2004	-DO-	MCB	5,000
18.	1363, dated 21.07.2004	-DO-	Computer CPU	10,000
19.	305, dated 26.04.2004	-DO-	Laser Jet Printer	12,100
20.	1373, dated 29.07.2004	-DO-	Monitor	12,100
21.	2178, dated 02.09.2004	-DO-	Furniture	9,830
22.	2690, dated 04.10.2004	-DO-	Computer Mouse	2,525
23.	1541, dated 28.02.2005	Revenue Account	Books	8,922
24.	3355, dated 27.10.2004	Deposit Account	Computer	6,775
25.	3356, dated 06.10.2004	-DO-	Books	3,704
26.	3380, dated 05.11.2004	-DO-	Speaker	500
27.	3339, dated 02.11.2004	-DO-	Hard Disk	4,675
28.	3763, dated 10.11.2004	-DO-	Books	16,286
29.	3765, dated 10.11.2004	-DO-	Books	3,200
30	4258, dated 31.12.2004	-DO-	Carpets	60,559
31.	4280, dated 06.01.2005	-DO-	Furniture	6,000
32.	4390, dated 12.01.2005	-DO-	Curtain Rods	1,600
33.	4462, dated 14.01.2005	-DO-	-DO-	13,790
34.	4569, dated 27.01.2005	-DO-	-DO-	17,840
			Total	**7,63,731**

ACTION TAKEN REPORT

(COMMENTS ON AUDIT OBSERVATIONS)

FINANCIAL YEAR 2004-2005

PARA NO	BRIEF CONTENT OF OBSERVATION	ACTION TAKEN
1	**Introductory :**	Facts confirmed
	Comments on Accounts :	
2	**Balance Sheet :**	
2.1	**Assets**	
2.1.1	**Improper exhibition of Recoverable Balance –Plan and Development Account**	The amount recoverable from the UGC on account of plan grant as on 31.3.2005 was Rs. 3.39 lakh which has rightly been reflected on the assets site of the balance sheet. In order to exercise greater transparency, the head wise/sub head wise distribution of the plan grant has also been reflected in the accounts alongwith the consolidated position. Thus the recoverable and the unspent balances of Rs. 4.25 crore and 4.22 crore respectively represent the position of the head wise/sub head wise distribution of the grant.
2.1.2	**Outstanding advances**	The process of acquisition of land is quite time consuming, hence, for the purpose of effective monitoring, the Registration money is being shown as an advance.
2.1.3	**Overstatement of assets**	The asset account of MCRC has correctly been depicted at Rs. 30.53 crore as the write off process of equipment amounting to Rs. 1.36 crore is yet to be completed. The effect of write off will be reflected in the Balance Sheet when this process is completed.
2.1.4	**Non depiction of value of sale deed of land**	Although the sale proceeds of land was accounted for in the year 2004-2005, the asset could not be written off within the year because of the administrative procedure involved. The asset will be written off once the legal documents for transfer of land/sale deed is signed.
2.1.5	**Understatement of assets and liability**	Noted for compliance

3	**Income And Expenditure Account :**	
3.1	**Income :**	
3.1.1	**Projects/Schemes :** **Interest on investment of grants not credited to projects**	Interest earned on investment to surplus fund of a particular projects are being credited to respective projects. However interest on cash balance not related to any particular projects/schemes has rightly being credited to the General Revenues of the University.
4	**General :**	
4.1	**Non-preparation of Annual Accounts in the revised format of Accounts**	Noted for compliance
4.2	**Non verification of Assets**	The physical verification of Assets of the whole University has since been carried out and verification report has been prepared which will be shown to the next audit party.
4.3	**Physical verification of library books**	Noted for compliance
5	**Effect of audit comments on Balance Sheet, Income and Expenditure and Receipt and Payment Accounts**	No comments

Sd.
(N.U. Siddiqui)
Finance Officer

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2006
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2006